भारतीय ट्रेड यूनियन केन्द्र

जनरल कौंसिल बैठक

23-26 जुलाई, 2005

अलेपी, केरल

दस्तावेज

- अध्यक्षीय भाषण
- महासचिव की रिपोर्ट
- कार्य रिपोर्ट

भारतीय ट्रेड यूनियन केन्द्र

जनरल कौंसिल बैठक

23 - 26 जुलाई, 2005

अलेपी, केरल

अध्यक्षीय भाषण

प्रिय साथियो,

1. हम पिछली बार 3–5 दिसम्बर, 2005 को कार्य समिति की बैठक के समय ;त्रिपुराद्ध में मिले थे; सात महीने हो चुके हैं। इसी बीच भारत तथा विश्व में अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं घट चुकी हैं; श्रमिक वर्ग तथा श्रमिक आंदोलन पर इनका असर लम्बे समय तक महसूस किया जाता रहेगा। हमें इस बैठक में उन सभी घटनाओं की समीक्षा करनी है ताकि हम उनके प्रति एक सामान्य समझ बना सकें और श्रमिक वर्ग तथा जन साधारण के हित में संघर्षों के भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय कर सकें।

2. सहस्त्राब्दी के लक्ष्यों का क्या हुआ?

2.1 संयुक्त राष्ट्र की ओर से हाल ही में 'मिलेनियम इकोसिस्टम असैसमैंट सिंथेसिस रिपोर्ट' का प्रकाशन किया गया है। यह रिपोर्ट 2500 पश्ष्ठों की है। इसमें स्पष्ट तौर पर चेतावनी दी गई है कि मानवीय आक्रामकता के चलते पारिस्थितिकीय–व्यवस्था पर गहरा दुष्प्रभाव पड़ा है। उसमें बताया गया है कि 2015 तक सहस्त्राब्दी के लिये निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के मार्ग में प्राकृतिक सेवाओं की क्षति के चलते सभी राष्ट्रों की सरकारों के लिये बड़ी बाधाएं उत्पन्न हो जाएंगी।

2.2 रिपोर्ट के अनुसार 1990 के दशक में विश्व के 21 देशों को मानव विकास सूचकांक में गिरावट का मुंह देखना पड़ा था जिसका सम्बन्ध लोगों की आर्थिक बेहतरी, स्वस्थ्य तथा शिक्षा के साथ है। इनमें से 14 देश सब–अफ्रीका के थे। यह भी उल्लेख किया गया है कि पिछले चार दशकों में अनाज के प्रति व्यक्ति उत्पादन में बढ़ोतरी होने पर भी 2000–2002 में 85.20 करोड़ लोग अर्ध पोषण का शिकार थे। एशिया, अफ्रीका तथा लातिनी अमरीका और कैरेबियन देशों को एक तथा अनेक बीमारियों का प्रकोप झेलना पड़ा; ये सभी बीमारियां पानी तथा सफाई जैसी सुविधाओं की कमी के कारण पैदा हो रही हैं। विश्वव्यापी स्तर पर एक अनुमान के अनुसार वर्ष में 17 लाख लोग इन्हीं बीमारियों के कारण असमय काल का ग्रास बन जाते हैं।

2.3 रिपोर्ट में विचार व्यक्त किया गया है कि सब–सहारा देशों में पैदा होने वाले अधिकांश बच्चे मश्त्यु की गोद में चले जाते हैं; उनकी मश्त्यु दर एक औद्योगिक देश की बाल मश्त्यु दर से पांच गुणा अधिक है। यह असमानता उससे कहीं अधिक है जो एक दशक पहले थी। रिपोर्ट में संकेत दिया गया है कि अगले 50 वर्षों में पारिस्थितिकीय–व्यवस्था पर दबाव बढ़ता चला जाएगा। खाद्य आपूर्ति बढ़ने तथा अधिकाधिक भिन्न प्रकार के खानों की उपलब्धता होने पर भी वर्ष 2050 तक सहस्त्राब्दी के इस परिदृश्य में खाद्य सुरक्षा का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकेगा। बाल कुपोषण में भी कमी आने की कोई सम्भावना नहीं है; कुछेक क्षेत्रों में इसमें बढ़ोतरी जरूर हो सकती है। अंधाधुंध उद्योगीकरण के चलते वायुमण्डल में कार्बन डायक्साइड के बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की गई है जिसके परिणामस्वरूप पूरे भूमण्डल का तापमान बढ़ता चला जा रहा है। वर्ष 1959 के बाद इस क्षेत्र ;औद्योगिकद्ध में केन्द्रित किया गया है; उसमें 60 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है; आने वाले समय में इसमें तेजी से और वश्द्धि होने की सम्भावना है जिसका लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा।

3. तेल के लड़खड़ाते मूल्य और विश्व अर्थव्यवस्था

3.1 तेल के मूल्यों में बढ़ोतरी के चलते विश्व अर्थव्यवस्था में अनेक अवरोध पैदा हो गए हैं। अमरीकी बाजार में तेल के दामों में 60 अमरीकी डालर प्रति बैरल की वृद्धि हुई है; तेल बाजार अनेक देशों की आर्थिक प्रगति पर विषम दुष्प्रभाव डाल रहे हैं। अमरीका की अर्थव्यवस्था पर तेल के मूल्य कैसा कहर बरपा करते हैं इसका उल्लेख विख्यात अर्थ शास्त्री जोसेफ ई स्टिग्लित्ज़ ने किया है; उन्होंने लिखा है: ''सबसे बड़ी भूमण्डलीय आर्थिक अनिश्चितता तेल के मूल्य हैं। जहां तक निजी बाजारों की बुद्धिमत्ता तथा दूरदर्शिता का सम्बन्ध है---तेल उत्पादक चीन में मांग की वशद्धि के अनुसार उत्पादन करने में असफल रहे हैं; यह बात स्पष्ट है। मध्य पूर्व (और नाइजीरिया, रूस तथा वेनजुएला) में आपूर्ति के मामले में उत्पन्न समस्याएं भी अपना असर डाल रही हैं जबकि इराक में जार्ज डब्ल्यू बुश की दु:साहस पूर्ण कार्रवाई ने भी अनिश्चितता को और बढ़ाया है।''

3.2 उन्होंने आगे चल कर कहा, ''अमरीका, युरोप, जापान तथा तेल का आयात करने वाले दूसरे देशों के लिये तेल के ऊंचे मूल्य निकास के नाले का काम कर रहे हैं। इसका दुष्प्रभाव भारी भरकम करों के रूप में सामने आ रहा है; तेल का आयात करने वाले देशों के लिये इन करों के फलस्वरूप भारी सम्पदा जमा होती है जिसे वे तेल खरीदने पर खर्च कर देते हैं। अकेले अमरीका के तेल आयात के बिल में पिछले वर्ष लगभग 75 अरब डालर की बढ़ोतरी हुई थी। यदि यह आश्वासन मिले कि तेल के मूल्य 40 डालर प्रति बैरल के स्तर पर भी बने रहें तो ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत (शाले आयल सहित) का पता लगाया जा सकता है। किन्तु दुनिया में हमारी हालत बद से बदतर हो चुकी है – तेल के मूल्य इतने अधिक हैं कि इससे भूमण्डलीय अर्थव्यवस्था को क्षति पहुंच रही है; किन्तु इससे उत्पन्न अनिश्चितता इससे भी कहीं अधिक भयावह है; तेल के मूल्यों में कमी लाने के लिये जरूरी निवेश नहीं किया जा रहा।''

3.3 तेल संकट का सबसे अधिक भयानक दुष्प्रभाव विकासशील देशों पर पड़ा है। उनके पास संसाधन सीमित हैं; उन्हें विकास के लिये सुनिश्चित किये गए संसाधनों का उपयोग तेल की खरीद करने के लिये करना पड़ता है; इसके दुष्परिणामस्वरूप उनकी विकास गतिविधियों पर गहरा असर पड़ता है। यही नहीं, तेल के मूल्यों में वृद्धि से लाभान्वित होने वालों में अमरीका के कुछ तेल इजारेदार भी शामिल हैं जिनका मध्य पूर्व में तेल पर नियंत्रण है।

3.4 पीसवाटरकोआपर्स के बरिष्ठ सलाहकार दीपक महुरकर ने हाल ही में प्रकाशित अपने एक लेख में उल्लेख किया है, ''पिछले कई महीनों के दौरान भावी मूल्यों में वशद्धि की अपेक्षा की जाए कि वर्तमान मूल्य बने रहेंगे तो भारत जैसे तेल का आयात करने वाले देशों के लिये उसके व्यापक आर्थिक दुष्परिणाम निकल सकते हैं; यह दुष्परिणाम दु:खद होंगे। वित्तीय असंतुलन की स्थिति बद से बदतर हो जाएगी; ब्याज दरों को बढ़ाने के लिये दबाव बढ़ जाएगा और कारोबार की स्थिति हाल ही में जो बेहतर हुई है तथा उपभोक्ताओं का विश्वास अल्पकालिक बन कर रह जाएगा। इसके चलते आर्थिक स्थिति में सुधार की दिशा में आया मोड़ खतरे में पड़ जाएगा।'' (द फायनांशल एक्सप्रेस 21 जुलाई, 2005)।

3.5 तेल के मूल्यों में बढ़ोतरी का सबसे अधिक दुष्प्रभाव दुनिया भर में जन साधारण पर पड़ेगा क्योंकि मूल्य वृद्धि का बोझ अंततः उनके कंधों पर ही डाले जाने की सम्भावना है। इसके फलस्वरूप अनिवार्य उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में और अधिक वृद्धि हो जाएगी, परिवहन महंगा हो जाएगा, इस मूल्य वृद्धि के चलते गरीब लोगों की हालत और खस्ता हो जाएगी। भारत में तेल के मूल्य अनेक एशियाई देशों की तुलना में अधिक हैं; जनता किस मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, उसका अंदाजा इसी तथ्य से लगाया जा सकता है। सरकारी आंकड़े जो भी हों, वे सभी एक ही कहानी कहते हैं–भारत तथा तेल का आयात करने वाले दूसरे देशों में तेल के मूल्यों में काफी बढ़ोतरी होगी।

4. भारत–पाकिस्तान सम्बन्धों में सुधार

4.1 पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने इस वर्ष अप्रैल में भारत का दौरा किया था; उन्होंने इस अवसर पर प्रधान मंत्री डाक्टर मनमोहन सिंह के साथ बातचीत की। इसके परिणामस्वरूप दोनों पड़ोसी देशों के बीच मैत्री समझौतों की प्रक्रिया और तेज हो गई है। इसके चलते विदशी हस्तक्षेप के बिना लम्बित पड़े सभी मामलों पर दोनों देशों के बीच वार्ताओं में निरंतरता आई है। भारत तथा पाकिस्तान के लोगों के पारस्परिक

सम्बन्धों को और विकसित करने के लिये सकारात्मक कदम उठाए गए हैं जो दोनों देशों के जन साधारण की बलवती इच्छाओं को प्रतिबिम्बित करते हैं। श्रीनगर तथा मुजफ्फराबाद के बीच बस सेवा का शुरू होना, राजस्थान तथा पाकिस्तान कि सिंध प्रांत के बीच ब्राड गेज रेल सम्पर्क स्थापित होना, दोनों देशों के बीच कुछ और रूटों पर बस सेवा शुरू करने का फैसला लोगों के बीच और अधिक सामाजिक सम्पर्कों का विकास होगा; लम्बे समय से लोग इसके लिये आस लगाए बैठे थे।

4.2 सियाचिन गलेशियर तथा सर क्रीक क्षेत्र में वर्तमान तनाव की स्थिति के लिये परस्पर स्वीकार्य समाधान निकालने के लिये यत्न करने के उद्देश्य को पूरा करने में भी इन वार्ताओं से सहायता मिलेगी। इन वार्ताओं के दौरान जम्मू एवं कश्मीर की समस्या का समाधान करने की दिशा में भी और अधिक पहलकदमी की गई है। यदि बातचीत के परिणाम को पूरी ईमानदारी के साथ दोनों पक्षों द्वारा और आगे बढ़ाया जाएगा तो इसके फलस्वरूप निश्चित रूप से दोनों देशों के बीच दोस्ताना सम्बन्धों का विकास होगा।

4.3 दोनों देशों के बीच व्यापार सम्बन्धों को मजबूत बनाए जाने के फलस्वरूप दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा और दक्षेस देशों के मध्य बेहतर सम्बन्धों का विकास होगा।

4.4 वाम पक्षी दलों के प्रतिनिधिमण्डल ने पाकिस्तान का दौरा किया; इस दौरे के फलस्वरूप दोनों देशों के दोस्ताना सम्बन्धों का विकास करने के लिये बेहतर वातावरण बनाने में उल्लेखनीय सहायता मिली है। प्रतिनिधिमण्डल के सदस्यों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया जो दोनों देशों के बीच लोगों के आपसी सम्पर्कों को और अधिक बढ़ाने की जरूरत का सूचक है।

4.5 दोनों देशों की प्रतिगामी शक्तियां शांति की प्रक्रिया में व्यावधान डालने और तनाव की स्थिति पैदा करने के लिये एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। आतंकवादियों के कुछेक गिरोह शांति की इस प्रक्रिया को समाप्त कर देने के मनोरथ को सामने रख कर अपनी गतिविधियों में तेजी लाने की कोशिशें कर रहे हैं और अमरीकी साम्राज्यवादी हथियारों की मदद देकर उनकी हौंसला अफजाई कर रहे हैं।

4.6 कश्मीर में लोग ईमानदारी से इस पूरे क्षेत्र में शांति चाहते हैं क्योंकि आतंकवादियों की गतिविधियों के चलते उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। हाल ही में कश्मीर के पर्यटन में एक नया जोश दिखाई देने लगा है; पर्यटकों की संख्या बढ़ी है; इसके फलस्वरूप उनकी अर्थव्यवस्था की गाड़ी एक बार फिर से पटरी पर आ जाएगी, इस मामले में आशा की किरण दिखाई देने लगी है। शांति की प्रक्रिया में अपनी विध्वंसक चालों के कारण आतंकवादी जनता से अलग–थलग होने लगे हैं; सरकार को इस अवसर का लाभ उठा कर राज्य में जन साधारण की सहानुभूति प्राप्त करनी होगी।

4.7 भारत तथा पाकिस्तान शांति की प्रक्रिया में रोड़े अटकाने वाले तत्वों के खिलाफ सख्त कदम उठाएं ताकि दोनों देशों की जनता के हित में शांतिपूर्ण सम्बन्धों को और अधिक विकसित किया जा सके।

5. इराकी जनता का प्रतिरोध बढ़ा

5.1 अमरीका की ओर से इराक में युद्ध छेड़ा गया है; बुश प्रशासन द्वारा अधिकाधिक युद्ध सामग्री भेजे जाने पर भी जन साधारण इसका प्रतिरोध कर रहा है; उसके प्रतिरोध की कार्रवाईयों में वृद्धि हुई है। अमरीकी हमले के प्रतिरोध में जारी इस युद्ध में कई हजार इराकी सैनिक मारे जा चुके हैं। जबकि इराक पर हमले के बाद एक लाख से अधिक इराकी अपने प्राण गंवा चुके हैं। तथापि, अमरीकी पक्ष में भी मरने वालों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। जून, 2005 के मध्य तक 1720 से अधिक अमरीकी मारे जा चुके थे जबकि घायल होने वाले अमरीकियों की संख्या लगभग 13000 हो चुकी है।

5.2 अमरीकी अधिकारियों द्वारा जेल में बंद इराकियों पर अत्याचार किये जाने की घटनाओं ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। घिनावने अपराध करने वाले कुछ अपराधियों को नाम मात्र की सजा दिये जाने के बावजूद इस बात का पता चल ही गया कि इराकी बंदियों को यातनाएं देने के आदेश ऊपर से जारी हुए थे। अमरीकी अधिकारियों द्वारा बंदियों से जो दुव्यवहार किया गया उसकी कहानी नग्न अवस्था में कुछ इराकी बंदियों की जारी हुई तस्वीरों से बयान हो जाती है; इतना अमानुषिक व्यवहार शायद ही पहले कभी किसी आक्रांता ने किया होगा। विश्व इतिहास में इसकी दूसरी उदाहरण ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। यद्यपि निर्दोष नागरिकों के अमरीकी उत्पीड़न की पूरे विश्व में तीखी निंदा की गई है; जनता का आक्रोश विशाल रैलियों के रूप में लगातार प्रतिबिम्बित हो रहा है। अमरीका इराक की बहुमूल्य तेल सम्पदा पर अपना नियंत्रण बनाए

रखने के उद्देश्य से युद्ध जारी रखने के लिये बजिद है।

5.3 अमरीका ने सीआइए के नामी गरामी एजेंट को इराक का राष्ट्रपति मनोनीत किया है; यह उसकी अत्यंत शर्मनाक कार्रवाई है; इसके चलते सभी महाद्वीपों में वह संदेह की दृष्टि से देखा जाने लगा है। शिया तथा कुर्द आधिपत्य वाली सरकार का गठन करने के लिये जाली चुनाव कराए गए; यह कठपुतली सरकार स्वयं कोई फैसला नहीं कर सकती; उसे इसका कोई अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह इराक से अमरीकी सेनाओं को चले जाने के लिये कह दे। 'निर्वाचित' संसद के 82 सदस्यों ने मांग की थी कि अमरीकी सेनाएं इराक से निकाली जाएं किन्तु अमरीका की सेनाएं पूरे दम खम के साथ वहां डटी हुई हैं और उनका इराक के सभी इलाकों तथा तेल संसाधनों पर पूरा नियंत्रण है।

5.4 बुश प्रशासन द्वारा स्वतंत्र कुर्दिश राज्य जिसकी राजधानी किरकुक है, का समर्थन किया गया; शिया दल इसका विरोध कर रहे हैं। तुर्की भी इस विचार से सहमत नहीं है क्योंकि इस नये राज्य में तुर्की का एक भाग भी शामिल किया गया है। इस नये घटनाक्रम के चलते सरकार में अस्थिरता पैदा होना अवश्यंभावी हो गया है क्योंकि यह सरकार अपनी सुरक्षा के लिये अमरीकी सेनाओं पर बुरी तरह निर्भर करती है। अमरीका सरकार इराकी तेल को किरकुक से हायफा (इस्राइल) तक ले जाने के लिये पहले ही सर्वेक्षण करा चुकी है। स्थानीय जनता इसे पसंद नहीं करती।

5.5 ज्यों–ज्यों दिन बीतते चले जा रहे हैं त्यों–त्यों इराक में तैनात अमरीकी सेनाओं तथा उनकी कठपुतली इराकी सेनाओं पर गुरीला हमले बढ़ते चले जा रहे हैं। इराकी नक्शे में दर्शाया जा रहा तथाकथित गड़बड़ वाले क्षेत्र का आकार लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। प्रतिरोधी कार्रवाईयां सघन हो रही हैं; इसके फलस्वरूप अमरीकी सेनिक इराक के बहुत बड़े इलाके में जाने से संकोच करते हैं। अमरीकी साम्राज्यवादियों के कब्जे के खिलाफ बढ़ रहे प्रतिरोध के कारण उसकी सेनाओं की पंक्तियों में निराशा फैल रही है और वे अर्थात् अमरीकी सेनिक इराक से जितना जल्द हो सके चले जाना चाहते हैं।

5.6 'डाउनिंग स्ट्रीट मैमो' के नाम से जानी जाती एक गुप्त रिपोर्ट अप्रैल 2005 में जारी हुई थी; उस रिपोर्ट से इराक के प्रति अमरीकी साम्राज्यवाद के कुत्सित इरादों की पोल पुरी दुनिया के सामने खुल गई है। इस रिपोर्ट में उच्च स्तरीय बैठक की कार्रवाई शामिल है; इससे स्पष्ट हो जाता है कि बुश प्रशासन ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला होने से पहले ही इराक पर हमला करने की योजना तैयार कर ली थी। इराक में जन विध्वंस के हथियार नहीं होने के बारे में पुख्ता सबूत मिलने पर भी अमरीकी तथा ब्रिटिश प्रशासन ने जानबूझ कर उनकी अनदेखी कर दी थी। अमरीका के पांच लाख नागरिकों के हस्ताक्षरों से युक्त डेमोक्रेटिक पार्टी से सम्बन्धित कांग्रेस के एक सदस्य जान कोरियर्स ने एक याचिका व्हाइट हाउस को भेजी थी; जान कोरियर्स ने उस याचिका में कहा था, "हम एक गुप्त युद्ध में फंस गए हैं; हमने इसकी योजना नहीं बनाई थी और अब हम इससे अपना पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं।" अमरीकी कांग्रेस में डेमोक्रेटिक तथा रिपब्लिकन पार्टी के अनेक सदस्यों ने इराक से अमरीकी सेनाओं को वापस बुला लेने की मांग की थी। इराक के युद्ध में अमरीका के किसी भी सैनिक के मारे जाने का समाचार मिलने पर इराक पर अमरीकी कब्जे के खिलाफ रोष की एक नयी लहर को जन्म दे देता है।

5.7 जून के मध्य में जनमत कराया गया था; उस जनमत के परिणामों से साफ पता चल जाता है कि बुश जिस ढंग से इराक की स्थिति के साथ निपट रहे हैं उससे 59 प्रतिशत अमरीकी नागरिक सहमत नहीं हैं। यही नहीं, 51 प्रतिशत नागरिकों का विचार है कि बुश प्रशासन को 2003 में इराक पर हमला नहीं करना चाहिये था।

5.8 इराक में जो घटनाएं घट रही हैं उनसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वहां के तेल संसाधनों पर कब्जा करने के उद्देश्य से ही अमरीकी साम्राज्यवादियों ने इराक पर धावा बोला था और क्योंकि इराक में युद्ध के खिलाफ प्रतिरोध की कार्रवाईयां बढ़ रही हैं इसलिये लम्बे समय तक चलने वाली इस लड़ाई में साम्राज्यवादियों को सफलता नहीं मिलेगी। यह बात स्पष्ट है कि अमरीकी साम्राज्यवादियों को आखिरकार इराक से निकलना पड़ेगा और शायद वे अपनी भद्द करा कर ही वहां से निकलेंगे।

5.9 इराक से विदेशी सेनाएं निकालने अथवा उनमें कमी लाने के प्रश्न पर साम्राज्यवादी शिविर में पहले ही विचार विमर्श चल रहा है। ब्रिटेन के एक दैनिक समाचार पत्र 'द मेल' ने 10 जुलाई, 2005 को एक रिपोर्ट का प्रकाशन किया था। उसमें बताया गया था कि तीन महीने के भीतर इराक से 8500 ब्रिटिश सैनिकों को देश

वापस कैसे लाया जाए; इसकी योजना की रूपरेखा ब्रिटेन के प्रतिरक्षा मंत्री जान रीड ने तैयार कर ली है जबकि शेष सैनिकों को इस वर्ष के अंत तक वापस बुला लिया जाएगा। दस्तावेज में यह भी कहा गया है कि अमरीका स्वयं अपने सैनिकों की संख्या को 1,35,000 से कम करके 66,000 कर देना चाहता है। ये घटनाएं तेल की दृष्टि से समृद्ध संसाधनों पर जबरदस्ती कब्जा करने और इराक को अपने अधीन करने के साम्राज्यवादी हथकण्डों की घोर विफलता को ही दर्शाती हैं।

6. ईरान पर अमरीकी खतरा बढ़ा

6.1 तेल के लिये अमरीकी साम्राज्यवादियों की प्यास इराक पर कब्जा कर लिये जाने के बाद ही शांत नहीं हो जाती। वे ईरान के समृद्ध तेल संसाधनों को भी अपने नियंत्रण में ले लेने के लिये बेताब हैं। ईरान में हाल ही के चुनाव परिणामों से ईरान के खिलाफ अमरीकी साम्राज्यवाद के हथकण्डों को बल मिला है। इसी मध्य अनुदारवादी मोहम्मद अहमेदीनेजा देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं।

6.2 ईरान के नाभिकीय कार्यक्रमों का होहल्ला करके अमरीकी साम्राज्यवादी ईरान में सैनिक हस्तक्षेप करने की पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। इराक में वर्ष 1991–1998 के बीच संयुक्त राष्ट्र के पूर्व हथियार निरीक्षक स्काट रिटर ने कहा था: "एक समप्रभुता सम्पन्न देश की वायु सीमा का उल्लंघन स्वयं में ही युद्ध की एक कार्रवाई है।"

6.3 ईरान में घटने वाली घटनाएं युद्ध के मैदान को भारत की भूमि के निकट ले आई हैं। अमरीका सरकार पहले ही भारत तथा पाकिस्तान पर ईरानी गैस पाइप लाइन सम्बन्धी सौदे को खत्म करने के लिये दबाव डाल रही है। अब तक दोनों देशों की सरकारें उसके दबाव में नहीं आई हैं। तथापि, अमरीका अनेक प्रकार से ब्लैकमेल करने की कोशिशें करता ही रहेगा। भारत की जनता को इन सभी हथकण्डों के खिलाफ सजग रहना होगा।

7. फलस्तीन की घटनाएं

7.1 यासर अराफात का निधन हो जाने के बाद फलस्तीन में चुनाव कराए गए। फलस्तीनी मुक्ति संगठन के प्रमुख मोहम्मद अब्बास ने 9 जनवरी, 2005 को इन चुनाव में विजय प्राप्त की। फलस्तीन की नयी सरकार ने स्वतंत्रत फलस्तीन राज्य की स्थापना के उद्देश्य से बातचीत के द्वारा समाधान निकालने के लिये अपनी तत्परता जाहिर की है। इस्राइल तथा फलस्तीन के बीच वार्ताओं के कई दौर चल चुके हैं; उनके बाद इस्राइल के प्रधानमंत्री शैरोन तथा फलस्तीन के राष्ट्रपति अब्बास के बीच 8 फरवरी, 2005 को काहिरा में शिखर सम्मेलन सम्पन्न हुआ; इस शिखर वार्ता के बाद दोनों नेताओं ने दोनों वर्षों के बीच चार वर्षों से चल रहे युद्ध को समाप्त करने की घोषणा की थी। तथापि, कुछ मतभेद होने के कारण युद्धविराम समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किये जा सके हैं किन्तु शत्रुतापूर्ण कार्रवाईयां समाप्त करने के बारे में मौखिक सहमति बन चुकी है।

7.2 फलस्तीन के सभी सैनिक दल इस मौखिक सहमति के अनुसार इस्राइल पर हमले की कार्रवाईयां बंद कर देंगे। समझौते में गाज़ा पर फलस्तीन के नियंत्रण तथा गैर कानूनी यहूदी बस्तियां समाप्त किये जाने एवं सेनाओं को वापस बुलाए जाने पर विशेष तौर पर बल दिया गया है। इस सहमति से यह संकेत मिलता है कि इस्राइल सेनाओं की वापसी गर्मियों में शुरू हो जाएगी। यह भी पता चला है कि अब्बास ने अमरीका की विदेश मंत्री कोंडालिसा राइस से कहा था कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्न के अलावा सभी मोर्चों से तत्काल इस्राइल की युद्धक कार्रवाईयों के समाप्त हो जाने की अपेक्षा करते हैं। उन्होंने यहूदी बस्तियों के विस्तार रोकने तथा येरुशलम की चार दीवारी के भीतर सम्पत्तियों का अधिग्रहण करने की जरूरत पर भी बल दिया था। उल्लेखनीय है कि इस्राइल तथा फलस्तीन दोनों ही यह दावा कर रहे हैं कि येरुशलम उनकी राजधानी है।

7.3 तथापि, फलस्तीन के कुछ चरमपंथी गुटों की ओर से मौखिक समझौते को तारपीडो करने के उद्देश्य से उसके तत्काल बाद यहूदी बस्तियों तथा इस्राइल की सैनिक चौकियों पर राकेटों और मोर्टार बम्बों से हमले किये गए। फलस्तीन के राष्ट्रपति अब्बास को मामला ठीक ठाक रखने के लिये कुछ कदम उठाने पड़े जबकि चरमपंथी गुट शांति की प्रक्रिया में विघ्न न डालने पर सहमत हो गए हैं। इसके फलस्वरूप इस्राइली मंत्रिमण्डल 500 फलस्तीनी बंदियों को रिहा किये जाने पर सहमत हो गया था। इस्राइल के मंत्रिमण्डल ने 20 फरवरी को गाज़ा पट्टी में निर्मित यहूदी बस्तियां खत्म कर देने पश्चिमी किनारे को अलग करने के लिये बनाए गए अवरोधों को कारगर बनाने पर अपनी सहमति की मोहर लगा दी। इस्राइल सरकार ने एक बार फिर यह

घोषणा की कि यहूदी विस्थापितों को निकाला जाएगा और सेना की वापसी 20 जुलाई, 2005 से शुरू हो जाएगी। उसने फलस्तीन चरमपंथियों के घरों को गिराने की कार्रवाई को रोकने का आदेश भी दिया है।

7.4 गाज़ा पट्टी तथा पश्चिमी किनारे के कुछ भागों में से सुनियोजित ढंग से वापसी के खिलाफ एक लाख यहूदी विस्थापितों तथा उनके समर्थकों की ओर से येरुश्लम में संसद भवन के सामने प्रदर्शन किया गया। ये कदम दर्शाते हैं कि शांति की यह प्रक्रिया आराम से नहीं चल सकेगी।

7.5 पूर्वी येरुश्लम को फलस्तीन की राजधानी मान लेने की न्यायोचित मांग पर अमरीका की सरकार ने अब तक अपनी सहमति नहीं दी है। अमरीकी साम्राज्यवाद फलस्तीन की समस्या को हल करने के लिये अपना समाधान थोपने की कोशिश कर रहा है। वह इस प्रक्रिया में इस्राइल की पूरी सहायता कर रहा है। फलस्तीन के लिये पश्चिमी देशों द्वारा वित्तीय सहायता दिये जाने के लिये की गई पेशकश के बावजूद यथाशीघ्र फलस्तीन की समस्या का समाधान निकलने के मामले में अनिश्चितता अब भी बनी हुई है।

8. नेपाल में लोकतंत्र का दमन

8.1 नेपाल नरेश ज्ञानेन्द्र ने 1 फरवरी, 2005 को माओवादी विद्रोह की गतिविधियों को कुचल डालने में देउबा सरकार के नाकाम रहने का तर्क देकर सारी शक्तियां अपने हाथ में ले लीं। हिमालय की गोद में बसे इस देश में यह लोकतंत्र की हत्या थी। प्रधानमंत्री तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया और लोगों के जनवादी अधिकारों को पावों तले रौंद डाला गया। समाचार पत्रों एंव मीडिया पर पैशाचिक सेंसरशिप लागू कर दी गई और इस प्रकार सरकार विरोधी समाचारों का प्रकाशन एवं प्रसारण रोक दिया गया। अधिनायकवादी सत्ता के सभी विरोधियों को कैदखानों में डाल देने के लिये सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम का अंधाधुंध प्रयोग किया गया। सभी जुलूसों–जलसों, प्रदर्शनों एवं रैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया तथा ट्रेड यूनियन गतिविधियों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया।

8.2 नरेश द्वारा अपने कृपा पात्रों को मनोनीत करके एक कठपुतली सरकार बनाई गई। जन साधारण में दहशत फैलाने के लिये 85,000 सैन्य कर्मियों पर आधारित शाही सेना का खुला उपयोग किया गया। माओवादी गुरीला गतिविधियों का दमन करने के नाम पर निरंकुश शासन का विरोध करने वाले लोगों के खिलाफ निश्चित अंतराल में हैलीकाप्टरों के माध्यम से हमले किये गए। कुछ पर्यवेक्षकों के अनुसार नरेश द्वारा आपातस्थिति की घोषणा किये जाने के बाद प्रति दिन 8.41 के अनुपात से लोगों को मारा गया। तीन हजार से अधिक लोगों को बिना मुकद्दमा चलाए जेलों में डाल दिया गया। नजरबंद लोगों में भारी संख्या पत्रकारों की है। नरेश द्वारा दमन की जबरदस्त कार्रवाईयां किये जाने पर भी नेपाल के 70 प्रतिशत क्षेत्र में उसका ;नरेश काद्ध का आदेश नहीं चलता। 18 पहाड़ी जिलों में देश का कानून लागू ही नहीं होता।

8.3 नरेश द्वारा 27 फरवरी, 2005 को आपात्स्थिति समाप्त कर दी गई और कुछ राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया गया। मूल रूप से इसके कारण नेपाल की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। विश्व भर से नरेश के निरंकुश शासन के खिलाफ प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं व्यक्त किये जाने के बाद ये कदम उठाए गए और ज्ञानेन्द्र यह प्रभाव देना चाहते थे कि वह यथाशीघ्र देश में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना करना चाहते हैं।

8.4 प्रारम्भ में यूपीए सरकार ने सही रुख अपनाया था। उसने नरेश ज्ञानेन्द्र की ओर से मनमानी शक्तियां अपने हाथों में केन्द्रित किये जाने का विरोध किया और नेपाल के लिये सारी सैनिक सहायता को रोक दिया था। यहां तक कि प्रधानमंत्री डाक्टर मनमोहन सिंह ने ढाका में होने जा रही दक्षेस के सम्मेलन को रद्द कर दिया था क्योंकि भारत ने नरेश ज्ञानेन्द्र के साथ इस बैठक में भाग लेने से इन्कार कर दिया था। भारत सरकार ने इस हिमालियाई देश में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना करने की मांग की। सरकार के ये कदम भारत के लोगों की इन भावनाओं को प्रतिबिम्बित करते थे कि वे निरंकुश शासन के खिलाफ संघर्ष करने वाले नेपाल के अपने भाईयों के साथ हैं।

8.5 बांडुंग में ऐतिहासिक बांडुंग सम्मेलन जिसमें गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हुई थी, की पचासवीं वर्षगांठ मनाने के लिये आयोजित बैठक में भारत के प्रधान मंत्री ने नेपाल नरेश के साथ बातचीत की और उन्होंने जल्द ही देश में लोकतंत्र की स्थापना करने का वचन दिया। भारत सरकार द्वारा इसके आधार पर नेपाल को सेनिक सहायता बहाल कर देना और वह भी उस समय जब वहां लगातार दमन की कार्रवाईयां हो रही हों, किसी भी तरह से न्यायोचित नहीं था। यह तर्क देना कि सहायता तो पहले से जारी थी और भारत इसके

लिये प्रतिबद्ध था, उचित नहीं है। बांडुंग सम्मेलन के दौरान दिल्ली में एक बैठक का आयोजन किया गया था; उस बैठक में वक्ताओं ने नेपाल में राजाशाही द्वारा सत्ता के अधिग्रहण की तीखी आलोचना की थी और स्वयं राजाशाही को ही समाप्त कर देने की मांग कर डाली थी। वाम पक्षी दलों के नेताओं ने भी भारत सरकार के नर्म रुख की निंदा की थी; उन्होंने मांग की थी कि नेपाल नरेश को सैनिक सहायता बंद की जाए। भारत के श्रमिक संगठनों की ओर से भी नेपाल में लोकतंत्र के दमन का विरोध किया गया और परीक्षा की घड़ी में नेपाल के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त की गई थी।

9. बंगला देश के साथ तनावपूर्ण सम्बन्ध

9.1 बंगला देश की प्रतिगामी सत्ता लगातार बंगला देश की धरती से भारत–विरोधी गतिविधियां चला रही है। विद्रोही कामतापुरी तथा बोडोलैंड आंदोलनकारियों और त्रिपुरा में सक्रिय चरमपंथी गुटों को खुले रूप में बंगला देश में शरण मिल रही है। भारत की ओर से बंगला देश में आंतकवादियों के प्रशिक्षण शिविरों के बारे में सूचनाएं दिये जाने पर भी बंगला देश की सरकार ने इन गतिविधियों की रोकथाम के लिये कोई कदम नहीं उठाया है। बंगला देश से पलायन करके लोगों के भारत में चले आने का प्रश्न भी बार–बार उठाया जाता रहा है।

9.2 'आउटलुक' (16 मई, 2005) द्वारा दिये गए समाचार के अनुसार "विदेश मंत्रालय पर 10 सदस्यीय स्थायी संसदीय समिति ने भारत–बंगला देश के बीच नर्म होते चले जा रहे सम्बन्धों के लिये विदेश मंत्री मोरशेद खान को जिम्मेदार करार दिया है; उसके अनुसार वर्ष 1971 में बंगला देश के जन्म के बाद दोनों देशों के सम्बन्ध इतने खराब कभी नहीं रहे; यह एक आश्चर्यजनक घटना है।" समिति के सदस्यों ने विदेश मंत्री को सलाह दी है कि वह 'परस्पर विश्वास की बहाली के लिये कदम उठाएं और उसके साथ–साथ भारत के साथ वार्तालाप शुरू करने के लिये पहलकदमी करें।' इस सलाह को कहां तक अमल में लाया जाएगा, यह देखना अभी बाकी है। भारत और म्यानमार के बीच बंगला देश के माध्यम से भारत में गैस पाइप लाइन लाने के बारे में चल रही वार्ता के दृष्टिगत भारत तथा बंगला देश के बीच सम्बन्धों में सुधार लाने बेहद महत्वपूर्ण काम बन गया है। भारत तथा बंगला देश के बीच सामान्य सम्बन्धों की बहाली हुए बिना यह परियोजना शुरू नहीं हो सकती।

10. युरोपीय संघ के हलचल

10.1 फ्रांस की जनता ने युरोप के संविधान के प्रश्न पर कराए गए जनमत सर्वेक्षण में जो निर्णय दिया था उसके चलते वहां के घटनाक्रम में तेजी आ गई है; इसके फलस्वरूप युरोपीय संघ में संकट की स्थिति पैदा हो गई है। फ्रांस के 55 प्रतिशत लोगों ने युरोपीय संविधान के लिये स्पष्ट शब्दों में न कहा है भले ही राष्ट्रपति शिराक इसकी वकालत कर रहे थे। फ्रांस के जनमत के बाद नीदरलैंड ने भी युरोपीय संघ को झटका दिया है; नीदरलैंड के 62 प्रतिशत लोगों ने प्रस्तावित संविधान का विरोध किया है। टोनी ब्लेयर की सरकार ने ग्रेट ब्रिटेन में जनमत को स्थगित कर दिया था; इसके चलते युरोप के भविष्य के बारे में अनिश्चितता एवं संदेहास्पद स्थिति उत्पन्न हो गई है।

10.2 युरोपीय संघ के देशों के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक विफल रही; बैठक में ग्रेट ब्रिटेन तथा फ्रांस के बीच कृषि क्षेत्र में दी जाने वाली सब्सिडी को लेकर काफी कहा सुनी हुई थी; इसका परिणाम युरोप के इन दो प्रमुख देशों के बीच तनावपूर्ण सम्बन्धों के रूप में निकला है।

10.3 यद्यपि युरोपीय संघ के झण्डे तले एकत्रित होने वाले देशों की संख्या पूर्वी युरोप के देशों के उसमें शामिल हो जाने के फलस्वरूप बढ़ गई है फिर भी अधिक विकसित और अपेक्षाकृत कम विकसित देशों के बीच विरोधाभास और तीखे हो गए हैं। इस समय युरोपीय संघ में 25 देश शामिल हैं; ये देश असमान विकास तथा बढ़ रही बेरोजगारी की समस्या का सामना कर रहे हैं। आर्थिक प्रगति की गति मंद होते–होते लगभग 2 प्रतिशत अथवा उससे भी कम हो चुकी है; यह इन देशों के बीच चल रहे झगड़े को और बढ़ाने में अपना योगदान दे रही है। कुछ देशों में सम्पन्न चुनावों में अनेक सत्तारूढ़ दलों को हार का मुंह देखना पड़ा है; यह तथ्य इन सरकारों द्वारा अपनाई गई नीतियों के खिलाफ लोगों में बढ़ रहे असंतोष को प्रतिबिम्बित करता है। जर्मनी में कराए गए सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि वहां वर्तमान में शासन चला रही सरकार के आगामी

चुनावों में पराजित हो जाने की सम्भावना है।

10.4 अधिकांश युरोपीय देशों द्वारा सामाजिक सुरक्षा के लाभों में कटौतियां की जा रही है जिसके खिलाफ श्रमिकों का संघर्ष बढ़ रहा है। युरोप में विभिन्न सरकारों द्वारा श्रम कानूनों के माध्यम से ट्रेड यूनियन अधिकारों में कटौती की जा रही है; श्रमिक वर्ग तथा श्रमिक संघों द्वारा इसका भी घोर विरोध किया जा रहा है। अतीत में बड़े जोर शोर के साथ प्रचार किया जाता रहा है कि युरोपीय संघ का गठन हो जाने के फलस्वरूप पूरे युरोप के लोगों को लाभ होगा; यह जुनून तेजी से कम हो रहा है; युरोपीय संघ के संविधान का विरोध इस महाद्वीप के लोगों में बढ़ रहे असंतोष को प्रतिबिम्बित करता है।

10.5 अमरीकी साम्राज्यवाद निश्चित रूप से युरोप की इस हलचल से लाभ उठाएगा क्योंकि अमरीका समझता था कि यदि युरोपीय संघ बन जाता है तो वह विश्व अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के मामले में उसका प्रतिस्पर्धी बन जाएगा।

11. भारत–चीन सम्बन्धों में मजबूती

11.1 चीन के प्रधान मंत्री वेन जियाबाओ ने मार्च 2005 में भारत का दौरा किया था; उनका यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण था। इस दौरे के फलस्वरूप एशिया के इन दो महान देशों के पारस्परिक सम्बन्धों में सुधार आया है और उनकी दोस्ती ने अब सामरिक एवं सहयोगी सहभागी देश का दर्जा हासिल कर लिया है। इस दौरे के फलस्वरूप सीमा विवाद जैसी जटिल समस्या के समाधान के लिये व्यापक मानदण्डों का निर्धारण करने में भी सहायता मिली है। दोनों देशों के बीच ग्यारह महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं; इन सभी समझौतों के परिणामस्वरूप दोनों देशों के बीच मैत्री सम्बन्धों का स्तर और ऊंचा हो जाएगा। विश्व की कुल जनसंख्या का 35 प्रतिशत भाग इन दोनों देशों में रहता है; इस प्रकार विशाल जनसंख्या वाले इन दोनों देशों के बीच इस तरह की समझदारी बन जाने के फलस्वरूप एशिया तथा विश्व स्तर के मामलों पर गहरा असर पड़ेगा।

11.2 भारत तथा चीन के बीच संयुक्त कारोबारी परिषद का गठन किया गया है; यह भी एक शानदार उपलब्धि है। भारत और चीन के बीच पहले ही 12 अरब अमरीकी डालर का वार्षिक कारोबार हो रहा है; इसके चलते चीन अमरीका के बाद भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी देश बन जाएगा। दोनों देश वर्ष 2008 के अंत तक व्यापार को बढ़ा कर 20 अरब अमरीकी डालर तक ले जाने पर सहमत हो गए हैं। दोनों पड़ोसी देशों के बीच बढ़ रहे व्यापार का लाभ दोनों देशों को होगा और उनके मध्य आर्थिक सहयोग और अधिक मजबूत होगा। नाथुला सीमा चौकी से व्यापार की गतिविधियों में सुधार लाने के लिये पहले ही आवश्यक कदम उठाए जा चुके हैं; इसके फलस्वरूप पूर्वी भारत तथा चीन के तिब्बत क्षेत्र में आर्थिक सहयोग एवं समझौतों को मजबूती मिलेगी।

11.3 पश्चिम के पूंजीवादी देशों के उकसाने पर भारत में चीन–विरोधी लाबी यह प्रचार करके भारत के लोगों को भयभीत कर रही है कि चीन अपने उत्पादों को भारत में डमप कर देगा और इससे भारत का औद्योगिक आधार कमजोर हो जाएगा। वे इस तथ्य की अनदेखी कर देते हैं कि चीन वर्तमान में भारत में अपने उत्पादों का निर्यात करने की अपेक्षा उसके अर्थात् भारत के उत्पादों का आयात अधिक कर रहा है। दोनों देशों के बीच समझौता हो जाने के फलस्वरूप भारत में अपने आकाओं के हितों की रक्षा करने के लिये काम करने वाली चीन विरोधी लाबी को करारा झटका मिला है।

11.4 भारत, चीन तथा रूस के विदेश मंत्रियों की 2 जून, 2005 को व्लादीवोस्तक ;रूसद्ध में बैठक हुई थी; इस बैठक में तीनों देशों के बीच सामरिक क्षेत्र सहित सभी क्षेत्रों में सहंयोग बढ़ाने के लिये उठाए जाने वाले कदमों पर विचार किया गया था। अमरीकी साम्राज्यवाद द्वारा प्रचारित एक ध्रुवीय विश्व की अवधारणा के अवधारणा के खिलाफ ये अत्यंत महत्वपूर्ण कदम हैं। इस तरह की बैठकें निश्चित रूप से बहु ध्रुवीय विश्व की स्थापना के मार्ग को प्रशस्त करेंगी जो विश्व को अमरीकी साम्राज्यवादियों की दादागिरी से बचाएगा।

11.5 मास्को में 9 मई, 2005 को फाशीवाद के खिलाफ विजय की 60 वीं वर्षगांठ पर समारोह का आयोजन किया गया; विश्व के अनेक देशों के नेताओं ने इस समारोह में भाग लिया; इस समारोह मे पूर्व सोवियत संघ तथा उसकी लाल सेना द्वारा निभाई गई वीरोचित भूमिका का यशगान किया गया। हाल ही में रूस में एक जनमत कराया गया जिसमें 60 प्रतिशत से अधिक लोगों ने द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ की विजय का श्रेय कामरेड जोसेफ स्तालिन के रण कौशल एवं मेधा को दिया था। राष्ट्रपति पुतिन को भी यह स्वीकार करना

पड़ा था, ''स्तालिन तथा उनका युग'' रूस के इतिहास का अभिन्न अंग है। इससे पूर्व पुतिन ने सोवियत संघ के विखण्डन को बीसवीं शताब्दी की सबसे बड़ी त्रास्दी कहा था और उन्होंने इस पर दुःख व्यक्त किया था।

11.6 अफरीका और एशियाई देशों के लगभग 40 शीर्षस्थ नेताओं की एक बैठक 22 तथा 23 अप्रैल, 2005 को इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हुई थी। ये नेता वहां 24 अप्रैल, 1955 को आयोजित ऐतिहासिक बांडुंग सम्मेलन की पचासवीं वर्षगांठ मनाने के लिये एकत्रित हुए थे और उन्होंने इस अवसर पर विश्व में बांडुंग सम्मेलन की भावना फिर से पैदा करने का प्रण किया। बैठक में ''शांति, समृद्धि तथा प्रगति के लिये जारी प्रयासों को तेज करने'' का आह्वान किया और इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये इस क्षेत्र के देशों में 'गतिशील सहभागिता' लाने का अनुरोध किया गया।

11.7 अमरीकी साम्राज्यवाद के खिलाफ वियतनाम की जनता के वीरोचित संघर्ष तथा ऐतिहासिक विजय की चालीसवीं वर्षगांठ भी एक महत्वपूर्ण घटना थी; इस घटना ने विश्व की जनता के सामने यह सिद्ध कर दिया था कि स्वतंत्रता प्रेमी जनता का एक छोटा–सा देश भी लोगों के असंख्य बलिदानों के बल पर विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली साम्राज्यवादी शक्ति को परास्त कर सकता है। इस ऐतिहासिक संघर्ष में डाक्टर हो ची मिन्ह द्वारा दिया गया शानदार नेतृत्व कभी भुलाया नहीं जा सकेगा।

12. भारत–अमरीका रक्षा समझौता – भारत की समप्रभुसत्ता के लिये खतरा

12.1 भारत के प्रतिरक्षा मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी ने अपनी अमरीका यात्रा के समय भारत–अमरीका रक्षा सम्बन्ध पर समझौते पर हस्ताक्षर किये थे; यह समझौता बाद की कार्रवाईयों के लिये मूल ढांचे का काम करेगा। इस समझौते के फलस्वरूप एशिया में भारत की स्थिति अमरीका के सामरिक लक्ष्यों की पूर्ति करने में सहायता देने वाले एक देश की बन कर रह जाएगी और इससे स्वयं भारत की समप्रभुसत्ता ही खतरे में पड़ जाएगी। प्रणव मुखर्जी अमरीका के नेतश्त्व में चलने वाली सैनिक कार्रवाईयों में भाग लेने पर सहमत हो गए हैं। भारत को अमरीका के मिसाइल प्रतिरक्षा कवच के अन्तर्गत लाया जाएगा और उसे पेट्रिअट मिसाइल प्रणाली उपलब्ध कराई जाएगी।

12.2 अमरीका द्वारा भारत को रक्षा उपकरणों के सह–उत्पादन के लिये सहयोग करने का आश्वासन दिया गया है। इसके चलते अमरीकी साम्राज्यवादी भारत में अपने रक्षा उपकरण बेच सकेंगे किन्तु अमरीका भारत को उच्च प्रौद्योगिकी की आपूर्ति करने के लिये पाबंद नहीं होगा। भारत के कुछ विशेष प्रकार की अत्यंत आधुनिक प्रौद्योगिकी की आपूर्ति करने पर अमरीकी प्रतिबंध अब भी जारी है।

12.3 अमरीकी साम्राज्यवादी चीन पर धौंस जमाने के लिये एक हथियार के रूप में भारत का उपयोग करना चाहते हैं और यह रक्षा समझौता इसी दिशा में एक प्रयास मात्र है। भारत को यह फैसला करना होगा कि क्या वह चीन के खिलाफ भारत की धरती का उपयोग करने की अनुमति अमरीकी साम्राज्यवादियों को देगा? भारत को एक स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना चाहिये और उसे अमरीका के साथ किसी तरह का रक्षा समझौता नहीं करना चाहिये। अतीत में एनडीए सरकार ने अमरीका के साथ निपटने के लिये दासोचित भाव से काम किया था। प्रणव मुखर्जी द्वारा हस्ताक्षरित रक्षा समझौता एशिया में भारत के रुतबे को कम करके उसे अमरीका का सहयोगी मात्र बना देगा। भारत में जनवादी आंदोलन को इस समझौते का विरोध करना चाहिये। कैनेडा सरकार ने इस आधार पर इस समझोते का विरोध किया है कि वह अपने आकाश पर किसी विदेशी शक्ति को अपना नियंत्रण स्थापित करने की अनुमति नहीं देगा।

13. यूपीए सरकार की अमीर समर्थक नीतियां

13.1 केन्द्रीय सरकार निजी क्षेत्र से करों की वसूली नहीं कर पाई जिसका अनुमान बजट में लगाया गया था। वित्त मंत्री पी चिदाम्बरम ने वर्ष 2004–05 के लिये निजी आय कर की वसूली का लक्ष्य 50,920 करोड़ रुपये निर्धारित किया था किन्तु संशोधित अनुमानों में यह इस निर्धारित लक्ष्य में 2608 करोड़ रुपये की राशि कम पड़ रही है। आशा की जाती है कि केवल 48,221 करोड़ रुपये की वसूली हो सकेगी। इसी प्रकार, इसी वर्ष में नैगम करों के माध्यम से 83,581 करोड़ रुपये की वसूली हुई जबकि बजट में 88,486 करोड़ रुपये की वसूली करने का लक्ष्य रखा गया था। इसमें 5,436 करोड़ रुपये की कमी होने का अनुमान है। कुल कमी 8000 करोड़ रुपये की होने की सम्भावना है।

13.2 सीआइटीयू ने बजट पूर्व विचार विमर्श के समय कहा था कि नैगम क्षेत्र की ओर करों की बकाया राशि दसवीं पंच वर्षीय योजना के मध्यावधि समीक्षा के अनुसार 98,0000 करोड़ रुपये है। सरकार को इसकी तनिक भी चिंता नहीं है और न ही वह सख्ती के साथ इन करों की वसूली कर रही है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की बट्टखाते पड़ी परिसम्पत्तियां 80,000 करोड़ रुपये से अधिक हो चुकी हैं। यदि इसमें ब्याज जोड़ा जाए तो यह 1,20,000 करोड़ रुपये की हो जाती हैं। यह राशि नैगम क्षेत्र की ओर बकाया है। इस भारी भरकम राशि की वसूली करने के मामले में चिदाम्बरम में दृढ़ता का अभाव पाया जाता है; उन्हें तो बस निजी क्षेत्र के दैवों को लाभ पर चलने वाली सार्वजनिक इकाईयों के शेयर बेच कर अथवा उनका विनिवेश करके संसाधन जुटाने में दिलचस्पी है; निजी क्षेत्र के ये वही दैव हैं जो न प्रत्यक्ष करों का भुगतान करते हैं और न ही लिये गए बैंक ऋणों को वापस लौटाते हैं। उनका सार्वजनिक क्षेत्र विरोधी रुख उनकी नीतियों के मूल ढांचे में प्रतिबिम्बित होता है। श्रमिक आंदोलन को इसका विरोध करना चाहिये और सार्वजनिक क्षेत्र की परिसम्पत्तियों की रक्षा के लिये आगे आना चाहिये।

13.2 अम्बानी परिवार में परिसम्पत्तियों का विभाजन से सम्बन्धित विवादों का निपटारा हो जाने के बाद चिदाम्बरम ने घोषणा की थी कि वह लेन–देन के अनेक मामलों में पारदर्शिता के अभाव के बारे में अनिल अम्बानी द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच नहीं कराएंगे; लेन–देन के इन मामलों में मुकेश अम्बानी का नाम आया था। कम्पनी सम्बन्धी कानून के मामलों में ईमानदारी से काम नहीं लिये जाने और खुला पन न होने के आरोप लगाए गए थे जिनके चलते शेयरधारकों के हितों को नुकसान पहुंचा था। अनिल ने रिलायंस उद्योगों में मुकेश तथा उसके सहयोगियों द्वारा किये गए लेन–देन के अनेक मामलों पर आपत्ति की थी; उन्होंने कहा था कि ये लेन देन उन्हें विश्वास में लिये बिना ही किये गए जबकि वह कम्पनी के प्रबंध निदेशक थे। उन्होंने रिलायंस तथा प्रमोद महाजन के गुप्त सम्बन्धों की पोल भी खोली थी जिनके सम्बन्धियों को रिलायंस की ओर से उपहार दिये गए और बदले में महाजन ने उन दिनों इस उद्योग समूह को कुछ रियायतें दी थीं जब वह भारत सरकार के संचार मंत्री थे। यद्यपि ये आरोप गम्भीर प्रकृति के थे नैगम घराने के संचालन से जुड़े मुद्दे शामिल थे; दोनों पक्षों के बीच समझौता हो जाने का अर्थ यह हरगिज नहीं हो सकता कि ये सारे मामले दफन हो गए हैं। चिदाम्बरम ने इन आरोपों की जांच को रोकने का फैसला करके इन संदिग्ध सौदों में केवल अम्बानी परिवार की रक्षा ही की है।

13.4 मुम्बई हवाई अड्डे तथा जुहू में सेतूर होटल के संदिग्ध सौदे की जांच कराने के मामले में भी चिदाम्बरम ने टालते चले जाने के दांवपेच का सहारा लिया है। उन्होंने इन सौदों में एनडीए सरकार के विनिवेश मंत्री अरुण शौरी की भूमिका की जांच कराने की जरूरत भी महसूस नहीं की है। वित्त मंत्री इस तरह के लेनदेन को जारी रखने की अनुमति दे रहे हैं और वह इन्हें रोकने के लिये कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। उन्होंने स्वीकार किया कि लेनदेन के इन मामलों मं "कुछ छेद हैं।" इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करने पर कैग की रिपोर्ट में सरकार की जबरदस्त आलोचना की गई है क्योंकि इसके चलते गलत ढंग से सार्वजनिक क्षेत्र की परिसम्पत्तियों पर हाथ साफ करने वाले अपराधियों को बच निकलने का अवसर मिल गया था। संसद सदस्यों की ओर से सार्वजनिक क्षेत्र के दूसरे उपक्रमों के निजीकरण में हुए संदिग्ध सौदों की जांच कराने की मांग की थी किन्तु वित्त मंत्री महोदय ने इसकी भी अनदेखी कर डाली। यदि इन मामलों की उचित ढंग से और पूरी जांच कराई जाए तो पता चल जाएगा कि सार्वजनिक क्षेत्र की बहुमूल्य परिसम्पत्तियों को लूटने के लिये निजीकरण की कार्रवाई कैसे की गई थी और किस प्रकार मंत्रियों तथा नौकरशाहों ने लेन देन की इन कार्रवाईयों में सहायता देकर बहती गंगा में अपने हाथ धोए थे अर्थात् पैसे बनाए थे।

13.5 बालको, माडर्न फूड तथा सार्वजनिक क्षेत्र के दूसरे उपक्रमों के श्रमिकों का अनुभव स्पष्ट तौर पर यह दर्शाता है कि किस प्रकार सभी पिछले समझौतों को दरकिनार कर दिया गया और श्रमिकों के अधिकारों को पावों तले रौंदा जा रहा है। कोल इंडिया की ओर से जिन माफिया वालों को ये खदाने दे दी गई थीं वे बड़ी बेरहमी के साथ श्रमिकों का शोषण कर रहे हैं और आपराधिक प्रकृति की भ्रष्ट कार्रवाईयां कर रहे हैं। श्रमिक आंदोलन को इन सभी मुद्दों को और अधिक प्रभावशाली ढंग से उठाना चाहिये ताकि जनता के सामने निजीकरण, विनिवेशों, आउटसोर्सिंग इत्यादि की असल प्रकृति की पोल खोली जा सके। यदि भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को पहुंचाई जा रही इस भयंकर क्षति को रोकना होगा।

13.6 भूमण्डलीयकरण के युग में अनेक सरकारों द्वारा अपनाई गई वित्तीय नीतियों के परिणामस्वरूप हम एक अद्भुत संवश्ति (अथवा फिनामना) देखते हैं; गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है और बेरोजगार लोगों की संख्या भी बढ़ी है। दूसरी ओर, समश्द्धजनों की एक नयी श्रेणी तेजी के साथ उभर रही है। वर्ल्ड वैल्थ रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में 70,000 लोग विशुद्ध रूप से सम्पत्तिवान हैं और वर्ष 2003 के बाद इन लोगों की संख्या में 14.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इन सम्पत्तिवानों के पास उनके निजी आवासों को छोड़ कर 10 लाख अमरीकी डालर अथवा 4.5 करोड़ रुपये से अधिक की सम्पत्ति है। एक वित्तीय सलाहकार कम्पनी डीएसपी के उपाध्यक्ष शितिन देसाई के अनुसार ''ये अनुमान कच्चे हैं।'' उन्होंने कहा कि उन लोगों की बड़ी संख्या है जो 'नीचे' बने रहते हैं और ''बड़ी संख्या में वे लोग हैं जिन्हें अभी तक मान्यता नहीं दी गई।'' इन आंकड़ों में उस काले धन को शामिल नहीं किया गया जिसका भारत में बोलबाला है (बिजनस इंडिया; 20 जून–3 जुलाई, 2005)। एक अनुमान के अनुसार उनके पास 30.8 ट्रिलियन अमरीकी डालर की सम्पदा है (1386 हजार करोड़ रुपये)। इससे यही संकेत मिलता है कि सम्पत्ति का केन्द्रीयकरण मुट्ठी भर लोगों के हाथों में हो रहा है और देश में असमानता बढ़ती चली जा रही है। वित्त मंत्री महोदय उद्योगों की बीमारी को दूर करने, विकास की नयी परियोजनाओं को शुरू करके और अधिक रोजगारों का सश्जन करने तथा अर्थव्यवस्था के सामाजिक क्षेत्रों में निवेश को बढ़ाने के उद्देश्य से भी गलत हथकण्डे अपना कर इकट्ठा किये गए इस धन में से हिस्सा लेना नहीं चाहते। वह देश में संसाधनों की कमी का रोना जरूर रो देते हैं और विदेशी निवेश बढ़ाने की जरूरत दर्शा देते हैं; यह उनकी कल्पना मात्र है और इस प्रकार वह लोगों की आंखों में धूल झौंक रहे हैं।

14. राज्यों की खस्ताहाल वित्तीय स्थिति

14.1 भारत में राज्यों की खस्ताहाल वित्तीय स्थिति गम्भीर स्थितियां पैदा कर रही है। केन्द्रीय सरकार द्वारा और अधिक संसाधन जुटाए जाने के फलस्वरूप करों को जुटाने के मामले में राज्यों की क्षमता सिकुड़ती चली जा रही है। वर्ष 1990–91 से लेकर 2004–05 के बीच की अवधि में राज्यों पर चढ़े कर्ज के बोझ में 800 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। भारत सरकार द्वारा कराए गए हाल ही के वित्तीय सर्वेक्षण के अनुसार राज्य सरकारों का संचित ऋण वर्ष 2004–05 में 1,10,289 करोड़ रुपये से बढ़ कर 9,13,103 करोड़ रुपये हो गया है। यह मामला इतना जटिल हो चुका है कि यह ऋण राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद का एक बड़ा भाग बन गया है। योजना आयोग के आंकड़ों के अनुसार राज्य सरकारों के ऋण का अनुपात उनके सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में इस प्रकार है:

14.2 जम्मू और कश्मीर (53.08 प्रतिशत), पंजाब (48.51 प्रतिशत), उत्तरांचल (32.37 प्रतिशत), हरियाणा (27.85 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (39.08 प्रतिशत), राजस्थान (45.38 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (32.28 प्रतिशत), बिहार (53.33 प्रतिशत), असम (33.91 प्रतिशत), पश्चिम बंगाल (41.15 प्रतिशत), गुजरात (33.93 प्रतिशत), महाराष्ट्र (21.56 प्रतिशत), उड़ीसा (62.93 प्रतिशत), आंध्र प्रदेश (28.85 प्रतिशत), कर्नाटक (25.12 प्रतिशत), तमिलनाडु (26.08 प्रतिशत) तथा केरल (36.34 प्रतिशत)।

14.3 इस तरह की स्थिति में केन्द्रीय सरकार ने आठ राज्य सरकारों के कंधों पर एनडीए सरकार द्वारा बनाई गई तथा यूपीए सरकार द्वारा स्वीकार की गई, नयी पेन्शन योजना को लागू करने का बोझ भी डाल दिया है। अनेक राज्य सरकारों ने अपने यहां कर्मचारियों की संख्या कम कर दी है और उन्होंने कर्मचारियों के सेवा लाभों में कटौती किये जाने के रास्ता अपना लिया है। इस गलत नीति का खामियाजा आखिरकार राज्य सरकारों के कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है। उनके कर्मचारी अब भूमण्डलीयकरण के हमले से अपने जीवन स्तरों की रक्षा करने में लगे हुए हैं। इस स्थिति का एक और परिणाम यह निकल रहा है कि राज्य सरकारें सामान्य तौर पर श्रमिक वर्ग के मामले में भी इसी तरह के कदम उठा रही हैं।

15. एनडीए की नकारात्मक भूमिका

15.1 लोक सभा के पिछले चुनावों में कमरतोड़ पराजय का स्वाद चख लेने के बाद भाजपा के नेतश्त्व वाला प्रतिपक्ष संसद में नकारात्मक भूमिका निभा रहा है। इसके फलस्वरूप वह लोगों मे अलोकप्रिय ही हुआ है। संसद की कार्रवाई को चलने न देने और लोक सभा अध्यक्ष पर अनुचित हमला करने जैसी घटनाओं से उन लोगों में

संसदीय लोकतंत्र में विश्वास की कमी झलकती है।

15.2 जनता में अपने खोए आधार को फिर से हासिल करने के लिये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ फिर से हिन्दुत्व का खेल खेलने लगा है। इसके परिणामस्वरूप वह अपने पूर्व सहयोगियों से अलग–थलग पड़ गया है। तेलगू देशम पार्टी ने संसद की कार्रवाई का बहिष्कार करने के प्रश्न पर एनडीए का साथ नहीं दिया था और जनता दल; यूद्ध के एक भाग ने भी हिन्दुत्व की विचारधारा के प्रति अपना विरोध व्यक्त किया था।

15.3 जार्ज फर्नाडिस द्वारा प्रतिरक्षा मंत्री रहते समय किये गए भ्रष्टाचार का विशेष तौर पर कैग की रिपोर्ट में किया गया है। फर्नाडिस तथा फूकन आयोग द्वारा पर्दे के पीछे किये गए लेन देन की पोल खुल चुकी है; यह लेन देन उस समय किया गया जब रक्षा सौदों की जांच चल रही थी; यह पता चला कि जार्ज फर्नाडिस ने प्रतिरक्षा मंत्री रहते समय जस्टिस फूकन को उनकी निजी यात्रा के लिये हैलीकाप्टर उपलब्ध कराया था। यदि फूकन आयोग ने रक्षा सौदों में से फर्नाडिस को बरी करार दिया है तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिये।

15.4 लाभ चलने वाली सार्वजनिक इकाईयों के विनिवेश के संदिग्ध सौदों का उल्लेख कैग की रिपोर्ट में संक्षेप में किया गया है। भारत उदय का अभियान चलाने के लिये सार्वजनिक कोष को लुटा दिया गया और कारगिल युद्ध के समय खरीदे गए सैन्य सामग्री में भी किये गए भ्रष्टाचार की पोल कैग रिपोर्ट में खोली गई है। पूर्व राष्ट्रपति के आर नारायणन ने गुजरात में साम्प्रदायिक नर संहारों के समय तत्कालीन वाजपेयी सरकार द्वारा निभाई गई भूमिका से पर्दा उठाया था। एक बरिष्ठ भाजपा नेता तथा गुजरात के पूर्व राज्यपाल सुन्दर सिंह भण्डारी ने भी कुछ रहस्योद्‌घाटन किये थे जिनके कारण गुजरात सरकार की छवि दागदार हुई है।

15.5 भाजपा के आंतरिक मामलों में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का हस्तक्षेप बढ़ रहा है; इसकी चरम परिणति अडवानी की खुली आलोचना के रूप में हुई है। वाजपेयी ने इस मामले में एनडीए की पंक्तियों में भ्रांतियां पैदा की हैं। अडवानी की पाकिस्तान यात्रा और वहां उनका यह बयान देना कि जिन्नाह एक धर्म निर्पेक्ष नेता थे, के कारण भी संघ में गुस्सा बढ़ा है और उसकी ओर से खुले तौर पर अडवानी के इस्तीफे की मांग की जाने लगी है। विश्व हिन्दु परिषद के नेताओं ने भाजपा नेतश्त्व पर धावा बोल दिया है; इसके चलते भाजपा नेताओं के लिये यह मामला और अधिक जटिल हो गया है। जार्ज फर्नाडिस ने आर एस एस तथा भारतीय जनता पार्टी में सुलह सफाई कराने के लिये अवसरवादी खेल खेला; इससे मामले को सुलझाने में अधिक सहायता नहीं मिली है। जिस समय ये पंक्तियां लिखी जा रही थीं उस समय भाजपा–संघ के सम्बन्धों का यह संकट बुलंदियों पर पहुंच चुका था। इसने इस तथ्य को उभार दिया कि एनडीए प्रतिपक्ष इस समय धाराशायी हो चुका है।

15.6 संजय निरूपम का शिव सेना से त्याग पत्र देना और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे के विद्रोह ने बाला साहेब ठाकरे के नेतृत्व को जोरदार झटका दिया है जो अपने बेटे तथा भतीजे को आगे बढ़ा कर शिव सेना को अपने परिवार की सम्पत्ति के रूप में बदल देने की कोशिश कर रहे थे। शिव सेना नेताओं की एक श्रेणी की ओर से भ्रष्टाचार तथा समाज विरोधी तत्वों को बढ़ावा देने के आरोप भी लगाए हैं। इसके फलस्वरूप एनडीए की छवि और अधिक खराब हो जाएगी।

15.7 पश्चिम बंगाल में पालिका एवं पंचायत चुनावों में तृणमूल कांग्रेस को चहुंमुखी पराजय का मुंह देखना पड़ा है। पार्टी में फूट पड़ गई है। इसके फलस्वरूप एनडीए गठबंधन की शक्ति का और अधिक क्षरण हुआ है।

15.8 पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने झारखण्ड सरकार की सार्वजनिक तौर पर आलोचना की थी; इस पर उन्हें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पद से हटा दिया गया और सुधीर कुलकर्णी के कांड में उन्हें (कुलकर्णी) अडवानी के सचिव पद से इस्तीफा देने पर मजबूर हो जाना पड़ा। उन्होंने भाजपा की हालत बद से बदतर बना दिया है।

15.9 यूपीए सरकार क्योंकि अपने प्रतिगामी विधेयकों जिनका वामपक्षी दलों की ओर से विरोध किया जा रहा है, को पारित कराने के लिये एनडीए के सहयोगी दलों का समर्थन चाहती है इसलिये वह इन सभी घटनाओं का लाभ नहीं उठा सकी है। तथापि, वाम पक्षी आंदोलन प्रभावशाली ढंग से एनडीए की प्रतिगामी नीतियों के विरोध में अभियान चला रहा है जिसके चलते एनडीए और अधिक अलग–थलग पड़ गया है और वामपक्ष पहले से अधिक मजबूत हुआ है।

16. 29 सितम्बर की राष्ट्रव्यापी हड़ताल की ओर आगे बढ़ो

16.1 कार्य समिति की पिछली बैठक में हमने देखा था कि यूपीए सरकार किस प्रकार अमीर–समर्थक तथा

गरीब–विरोधी नीतियां अपना रही है। मनमोहन सिंह सरकार भूमण्डलीयकरण की विश्व बैंक–अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नीतियों को लागू कर रही है। वर्ष 2005–06 के लिये चिदाम्बरम का बजट यूपीए सरकार की इसी नीति को प्रतिबिम्बित करता है।

16.2 टेलीकाम सैक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ा कर 74 प्रतिशत कर देने, मुम्बई एवं दिल्ली के हवाई अड्डों को निजी क्षेत्र की विदेशी कम्पनियों के हवाले कर देने, प्रमुख समुद्री बंदरगाहों के निजीकरण की ओर कदम बढ़ाने, निजी एयर लाइन्स में विदेशी एक्विटी को चालीस प्रतिशत से बढ़ाने के लिये कार्रवाई किये जाने जैसी कार्रवाईयों का भारत में श्रमिक आंदोलन की ओर से पूरी दृढ़ता के साथ विरोध किया गया है। निजी क्षेत्र के बैंकों में प्रति वर्ष दस प्रतिशत की दर से विदेशी एक्विटी बढ़ाने और उसे 74 प्रतिशत तक ले जाने; सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 49 प्रतिशत तक विदेशी भागीदारी की अनुमति देने; सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को वित्तीय बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने के नाम पर उन्हें बड़े बैंकों में विलीन कर दिये जाने के फैसलों के खिलाफ श्रमिक आंदोलन की ओर से संघर्ष किया जा रहा है।

16.3 यूपीए सरकार की ओर से अपनाई गई निजीकरण तथा विनिवेश की नीति के परिणामस्वरूप देश में सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व को आघात पहुचा है। बीएचईएल के दस प्रतिशत शेयरों का विनिवेश किये जाने का वामपक्षी दलों की ओर से घोर विरोध किया गया था और उन्होंने यूपीए की समन्वय समिति की बैठकों का बहिष्कार करने का कदम उठाया है। इन घटनाओं ने नवरत्न कम्पनियों के विनिवेश की खतरनाक प्रकृति को बेनकाब कर दिया है।

16.4 सरकार रोजगार गारंटी विधेयक का प्रारूप तैयार नहीं कर सकी जो राष्ट्रीय न्यूनतम सांझा कार्यक्रम में दिये गए आश्वासन के विपरीत है और सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिये जो प्रारूप जारी किया है वह पिछली एनडीए सरकार द्वारा तैयार किये गए प्रारूप से मेल खाता है; श्रमिक संघों ने इस प्रारूप को ठुकरा दिया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने के लिये किये गए वादे पर अमल नहीं किया गया; श्रमिक संघों के साथ विचार विमर्श किये बिना श्रम कानूनों में बदलाव लाया गया; यूपीए सरकार के 14 मास के कार्यकाल में भारती श्रम सम्मेलन का सत्र नहीं बुलाया गया; सार्वजनिक क्षेत्र के बीमार उपक्रमों के पुनरुद्धार के लिये पर्याप्त सहायता नहीं दी गई; मंत्रिमण्डल द्वारा फैसला किये जाने पर भी भविष्य निधि के सदस्यों को उनकी जमा राशियों पर 9.5 प्रतिशत की दर से ब्याज देने के लिये वित्तीय सहायता नहीं दी गई इत्यादि। ये कुछ इस तरह की कार्रवाईयां हैं जिनके चलते श्रमिकों में असंतोष बढ़ता चला जा रहा है।

16.5 पेन्शन नियामक प्राधिकरण विधेयक केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों पर सीधा हमला था। कर्मचारियों के लिये पेन्शन को अंशदायी बना दिया गया है और उसका निजीकरण कर दिया गया है; केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये पांचवें वेतन आयोग को नियुक्त करने से इन्कार कर दिया गया है; इन कार्रवाईयों से सरकारी कर्मचारियों के बीच असंतोष पैदा हुआ है।

16.6 प्रायोजन समिति के सम्मेलन का आयोजन 9 जुलाई, 2005 को किया गया था। उस सम्मेलन में यूपीए सरकार की श्रमिक वर्ग विरोधी नीतियों के खिलाफ 29 सितम्बर, 2005 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल करने का फैसला किया गया। इस हड़ताल को सफल बनाने के लिये सीआइटीयू यूनियनों को देश भर में एक शक्तिशाली जन अभियान चलाना होगा और इसके लिये पहलकदमी करनी होगी। हड़ताल की कार्रवाई को सफल बनाने के लिये जनरल कौंसिल को देशव्यापी गतिविधियों का कार्यक्रम तैयार करना चाहिये। दुनिया को यह जान लेना होगा कि भारत का श्रमिक आंदोलन तथा इसकी जनता अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक के निदेशों को सहन नहीं करेगी।

भारतीय ट्रेड यूनियन केन्द्र

जनरल कौंसिल बैठक

23 – 26 जुलाई, 2005

अलेपी, केरल

महासचिव की रिपोर्ट

प्रिय साथियो,

अगरतला में दिसम्बर, 2004 में आयोजित कार्य समिति की बैठक के बाद हम जनरल कौंसिल की इस बैठक में मिल रहे हैं। इसी बीच राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र की घटनाओं की चर्चा अध्यक्षीय भाषण में की गई है। इसलिये मैं स्वयं को देश के राजनीतिक परिदृश्य में घटित कुछेक महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख करने तक ही सीमित रखूंगा।

2. इंडोनेशिया के तटीय इलाकों की ओर भारतीय महासागर के नीचे भूकम्प आने के कारण दक्षिण एशियाई तटीय क्षेत्र में सुनामी नाम का समुद्री तूफान आया; यह अब तक की सबसे भयानक प्राकृतिक आपदाओं में से एक थी। इसके दुष्परिणामस्वरूप मानव जीवन तथा सम्पत्तियों की अत्यंत भयानक क्षति हुई है। भारत में, इसकी विनाशलीला की भयावहता की दृष्टि से जो राज्य प्रभावित हुए हैं उनमें अण्डेमान एवं निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पांडिचेरि, केरल तथा आंध्र प्रदेश इत्यादि शामिल हैं। सीआइटीयू ने देश भर के मेहनतकश अवाम को सुनामी पीड़ितों के प्रति एकजुटता व्यक्त करने और उनके बचाव एवं राहत के कामों में सहायता देने का आह्वान किया था। सीआइटीयू की राज्य समितियों ने आगे बढ़ कर राहत कार्यों में भाग लिया और सुनामी पीड़ितों के लिये धन एवं आवश्यक सामग्री के संग्रह के लिये देश भर में हमें उत्साहवर्धक प्रत्युत्तर मिला है; हमारे लिये यह संतोष का विषय है। हम अन्तर्राष्ट्रीय भाईचारे का धन्यवाद भी करते हैं जिसने हमारे प्रयासों में उदारतापूर्वक अपना योगदान दिया।

3. इसे विडम्बना ही कहा जाएगा कि जब हमारा देश सुनामी की भयावहता तथा उसके कारण पैदा स्थितियों से दो–चार हो रहा था ठीक उसी समय केन्द्र की सत्ता में आसीन सरकार ने पेटेंट अधिनियम में तीसरा संशोधन लाने के लिये अध्यादेश जारी कर दिया। जिस रात सुनामी ने अपनी विनाश लीला की थी उसी रात यह अध्यादेश भी लाया गया। इसके बाद कुछ दिनों के भीतर ही पेन्शन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण पर एक और अध्यादेश लाया गया। हमें अपनी इस रिपोर्ट में इन सभी पहलुओं पर चर्चा करनी है।

4. अब, दक्षिण पश्चिम मानसून के और तीव्र हो जाने के कारण गुजरात तथा मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में बाढ़ के चलते जबरदस्त तबाही हुई है। हमारे लिये जरूरी हो जाता है कि हम कुदरत के प्रकोप का शिकार हुए इन प्रदेशों के लोगों को राहत पहुंचाने के लिये काम करें और मुसीबत की इस घड़ी में जन साधारण के साथ खड़े हों।

5. वर्ष 2004 के आम चुनावों और उसके पश्चात् महाराष्ट्र विधान सभा के चुनावों में साम्प्रदायिक शक्तियों को कमरतोड़ पराजय का सामना करना पड़ा था; तथापि बिहार, झारखण्ड तथा हरियाणा विधान सभाओं के चुनाव परिणाम अलग तरह के रहे हैं। धर्म निरपेक्ष राजनीतिक दल इन चुनावों में क्योंकि साम्प्रदायिक शक्तियों का मिल कर मुकाबला करने में विफल रहे इसलिये बिहार तथा झारखण्ड में किसी एक गठबंधन के पक्ष में जनादेश नहीं मिल सका। कांग्रेस पार्टी ने बिहार तथा झारखण्ड में मनमाने ढंग से काम किया जिसके चलते झारखण्ड में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार एक बार फिर से सत्ता में आ गई (शिबू सोरेन को मुख्यमंत्री पद

की शपथ दिलाने की तिगड़मबाजी के चलते) जबकि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया।

6. इसी अवधि में, पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा में सम्पन्न स्वायत्तशासी जिला परिषद, स्थानीय निकायों इत्यादि के चुनावों में वाम मोर्चे ने अत्यंत महत्वपूर्ण जीत दर्ज कराई है। एक बार फिर सिद्ध हो गया है कि इन सरकारों द्वारा जन पक्षीय नीतियां अपनाए जाने के कारण दोनों राज्यों के अवाम का ठोस समर्थन दोनों राज्यों में वाम मोर्चा सरकारों को हासिल है।

7. गुजरात में गोधरा कांड के बाद हुए नर संहारों में मोदी सरकार की अनिष्टकारी भूमिका रेलवे मंत्रालय द्वारा गठित जांच आयोग की रिपोर्ट और पोटा समीक्षा समिति के निष्कर्षों के चलते राष्ट्रव्यापी बहस का विषय बनी रही है। मोदी सरकार ने घशणित अपराध करने वाले अपराधियों का जानबूझ कर बचाव किया और पीड़ितों के प्रति घोर लापरवाही वाला रुख अपनाया था।

8. यूपीए सरकार ने इस वर्ष मई में अपने शासन का एक वर्ष पूरा कर लिया है। जहां सत्ताधारी गठबंधन के लिये यह जश्न मनाने का समय था वहीं भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन ने संसद की कार्रवाई में लगातार बाधा डाल कर, अप्रासंगिक मुद्दों को उठाने, संसद का बहिष्कार करने जैसी कार्रवाईयां करके एक तरह से संसदीय जनतंत्र पर ही धावा बोल रखा है; यूपीए सरकार की वर्षगांठ के समय वह उसके कामों की नकारात्मक रिपोर्ट लेकर सामने आई है। दूसरी ओर, वामपक्षी दल बाहर से सरकार का समर्थन कर रहे हैं; उन्होंने वर्षगांठ समारोहों के धूम धड़ाके में शामिल न होने का फैसला करके एक कठोर संदेश दिया है: ''यूपीए सरकार को लोगों की आकांक्षाओं पर पूरा उतरने के लिये बहुत कुछ करना होगा।'' मेहनतकश अवाम के लिये तथापि यूपीए सरकार का पहला वर्ष ऐसा नहीं रहा कि वे खुशियां मना सकें बल्कि इसके विपरीत यूपीए सरकार द्वारा सत्ता से बेदखल की गई एनडीए सरकार की जन विरोधी नीतियों का अनुसरण किये जाने के चलते देश के श्रमिक वर्ग को संघर्ष के पथ पर चलना पड़ रहा है; एक नये संकल्प के साथ। हम इन सभी पहलुओं की चर्चा इसी रिपोर्ट में अलग से करेंगे।

9. अयोध्या में हाल ही में अर्ध सैनिक बलों ने बहादुरी के साथ आंतकवादियों के हमले को नाकाम बना दिया है। किन्तु साम्प्रदायिक शक्तियां एक क्षण भी गंवाए बिना इसकी फसल काटने के लिये मैदान में कूद पड़ीं और उन्होंने बहुसंख्या की साम्प्रदायिक भावनाओं को भड़काने में कोई कोर कसर शेष नहीं छोड़ी तथा वे इस हमले का 'करारा जवाब' देने की बात कर रही हैं। भाजपा का नेतृत्व इन दिनों *'संघ परिवार'* के साथ आपसी मतभेदों को दूर करने के लिये 'मान मनौवल' कर रहा है। इन दिनों जब लोग अत्यंत ज्वलंत आर्थिक समस्याओं से दो चार हो रहे हैं, ये लोग जानबूझ कर लोगों का ध्यान हटाने के लिये इस तरह की कोशिशों में लगे हुए हैं और राजनीतिक चर्चा के केन्द्र में 'सारहीन मुद्दों' को उठा रहे हैं। हमें जनता की एकता को बनाए रखने के लिये घोर परिश्रम करना होगा और साम्प्रदायिक सद्भावना को भंग किये जाने के कुप्रयासों का पूरी शक्ति से प्रतिकार करना होगा।

आर्थिक स्थिति

10. आर्थिक मोर्चे पर मीडिया और सत्ता की कुर्सियों में विराजमान महानुभावों की ओर से भले ही अर्थव्यवस्था के मंदे से उबरने के दावे कितने भी बढ़ा चढ़ा कर क्यों न किये जाएं और इसका जोरशोर से प्रचार किया जाए; इसके लिये अपनी पीठ थपथपाई जाए किन्तु वास्तविकता तो यह है कि आर्थिक स्थिति में कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा और न ही यह सुधार जन साधारण के जीवन एवं उनकी आजीविका में प्रतिबिम्बित हो रहा है।

11. योजना आयोग ने अपनी मध्यावधि समीक्षा रिपोर्ट में विकास दर के लिये कुछ लक्ष्य निर्धारित किये हैं। कृषि अर्थव्यवस्था का संकट कृषि की विकास दर की गति के मंद होने के रूप में प्रकट हो रहा है; इसका दुष्प्रभाव सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर पर पड़ रहा है। औद्योगिक अर्थव्यवस्था में उभार को लेकर बांछें खिलाई जा रही है, जहां तक नैगम घरानों के लाभ का सम्बन्ध है; उस मामले में तो तरक्की हुई है किन्तु उसके चलते नये रोजगार पैदा हुए हों अथवा देश का औद्योगिक परिदृश्य बदला हो अथवा औद्योगिक अर्थव्यवस्था पर निर्भर करने वाले असंख्य लोगों के जीवन स्तर में कोई सुधार हुआ हो, यह कहीं देखने

को नहीं मिलता। यद्यपि, देखने के लिये यह सेवा क्षेत्र की हालत बेहतर प्रतीत होती है किन्तु जिन लोगों के जीवन में सुधार आया है वे पूरे सेवा क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का मात्र एक छोटा-सा भाग हैं; वह भी प्रमुख तौर पर आइटीई के क्षेत्र में जो कुल रोजगार के एक अंश का भी प्रतिनिधित्व नहीं करता।

12. केन्द्रीय सांख्यकीय संगठन (सीएसओ) द्वारा 30 जून, 2005 को जारी किये गए राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के संशोधित अनुमानों और उससे सम्बन्धित संकेतकों की बारीकी से जांच पड़ताल करें तो वास्तविकता का पता चल जाएगा। उसमें उल्लेख किया गया है कि 2004-05 में प्रति व्यक्ति आय में 10.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी; किन्तु कृषि क्षेत्र जिस पर 60 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या की आजीविका निर्भर करती है, में अमली तौर पर उनकी आय में कोई वृद्धि नहीं देखी गई; इसके विपरीत उन्हें गिरावट का सामना करना पड़ रहा है; ग्रामीण समाज में भारी असमानता का बोलबाला है। इसका अर्थ यह भी है कि सकल घरेलू उत्पाद में जितनी भी वृद्धि हुई है, उसका फल चखने वाले लोग अधिकतर मुट्ठी भर अमीर और खाते-पीते लोग, नैगम घराने तथा बड़े भूमिपति ही हैं। इसलिये जीडीपी में जितनी वृद्धि होती है उतनी ही वृद्धि बेरोजगारी तथा दरिद्रता में भी होती है।

13. पिछले एनडीए शासन की तुलना में वर्तमान यूपीए शासन के अन्तर्गत भी आर्थिक नीतियों में दिशागत परिवर्तन नहीं हुआ; यह उसी का परिणाम है और ऐसा परिणाम निकलना अवश्यंभावी था। यद्यपि यूपीए सरकार ने वाम दलों के दबाव में आकर दरिद्रता उन्मूलन के लिये कुछ और धन देने का वादा किया है किन्तु उसका परिणाम देखना अभी बाकी है। वर्ष 2004-05 के बजट में इसी प्रतिबद्धता की घोषणा की गई थी और वह थोड़ा-बहुत उसमें प्रतिबिम्बित भी होती है किन्तु धन के आबंटन के मामले में कथनी और करनी के बीच भारी अंतर दिखाई दे रहा है।

वर्ष 2004-05 का बजट

14. यूपीए सरकार के वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 2004-05 का बजट संसद में पेश किया गया; उसमें गरीबी तथा बेरोजगारी पर धावा बोलने की बातें जोर देकर की गई; यहां तक कहा गया कि इन क्षेत्रों की भीषण चुनौती का सामना किये जाने की जरूरत है, किन्तु वास्तव में, इन्हें समाप्त करने के नाम पर बहुत कम धन का आबटन किया गया।

15. यह बजट भारत के नव निर्माण पैकेज के एक भाग के रूप में इन आश्वासनों के साथ प्रस्तुत किया गया था कि एक करोड़ हैक्टेयर भूमि को सिंचाई के अन्तर्गत लाया जाएगा; सभी गांवों को सड़कों के साथ जोड़ा जाएगा; गरीबों के लिये अतिरिक्त 60 लाख मकानों का निर्माण कराया जाएगा; 74000 आवासीय बस्तियों में पेय जल उपलब्ध कराया जाएगा; 1,25,000 नये गांवों का विद्युतिकरण किया जाएगा; 2.3 करोड़ लोगों को बिजली के कनैक्शन दिये जाएंगे; 66000 गांवों में टैलीफोन सेवा का विस्तार किया जाएगा और चार वर्षों की अवधि में एक करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।

16. बजट में आबंटित धन राशियों एवं खर्चों सम्बन्धी वक्तव्य जो वास्तव में अर्थ रखता है; वह किसी भी तरह इन महत्वाकांक्षी घोषणाओं के अनुरूप नहीं है। 'भारत निर्माण' के पहले वर्ष में कुल व्यय में केवल लगभग 1.7 प्रतिशत की वृद्धि की गई है अर्थात् उन्हें 505791 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 514344 करोड़ रुपये (8533 करोड़ रुपये) कर दिया गया है। यदि मुद्रा स्फीति की दर में पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी को ध्यान में रखा जाए तो वास्तविक अर्थों में उसमें लगभग 3 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिलेगी।

17. केन्द्रीय बजट में घोषित 'भारत निर्माण' परियोजनाओं पर होने वाले खर्चे के लिये केन्द्र सरकार को पूरा धन देना चाहिये। किन्तु 'ग्रामीण क्षेत्रों में आंतरिक विकास कार्यक्रम' अर्थात् 'भारत निर्माण' के लिये धन के एक बहुत भाग की व्यवस्था करने का दायित्व राज्य सरकार के कंधों पर डाल दिया गया है; यह एक रुचिकर बात है। सड़कों, सिंचाई इत्यादि के मामले में आबंटित धन का एक बहुत बड़ा भाग 'ग्रामीण क्षेत्रों में आंतरिक विकास कार्यक्रम' (आरआइडीएफ-8000 करोड़ रुपये) और (एआइबीपी-4800 करोड़ रुपये) के माध्यम से ऋणों के रूप में दिया जाता है। दोनों परियोजनाओं पर होने वाले खर्च राज्यों के लिये ऋण बन जाएंगे। यह अलग बात है कि राज्य सरकारें इन दिनों बेहद वित्तीय तंगी झेल रही हैं; इस हालत में अधिकांश क्षेत्रों

में वित्तीय तंगी की गाज़ इन परियोजनाओं पर गिर सकती है।

18. देश के चुनिंदा 250 जिलों में 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम चलाने की योजना बनाई गई है किन्तु इसके लिये आबंटित धन ग्रामीण जनता की भयावह समस्याओं की दृष्टि से अत्यंत अपर्याप्त है। *दूसरी ओर 'सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना'* (*एसजीआरवाई*) तथा *'स्वर्ण जयंति ग्राम स्वः रोजगार योजना'* (*एसजेजीएसवाई*) के लिये आबंटित धन राशि को 5100 करोड़ रुपये तथा 1000 करोड़ रुपये से कम करके 3600 करोड़ रुपये तथा 862 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

19. इसके फलस्वरूप वर्तमान में जारी ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों का बंटाधार हो गया है। शहरी बेरोजगारी पर भी बजट में इस तरह की कोई चिंता व्यक्त नहीं की गई जिसे सार्थक कहा जा सके। इसके विपरीत बजट में जो कदम उठाए गए हैं, वे व्यापक स्तर पर अर्थव्यवस्था के रोजगार का सृजन करने वाले क्षेत्र पर दुष्प्रभाव डालेंगे। छोटे उद्योगों के क्षेत्र में उत्पादन के लिये आरक्षित 105 उत्पादों को आरक्षित सूची में से हटा दिया गया है। इसके चलते इस क्षेत्र में कामबंदी की घटनाएं और अधिक होने लग जाएंगी और इसके दुष्परिणामस्वरूप शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी में और अधिक बढ़ोतरी हो जाएगी। स्वः रोजगार प्राप्त समूहों को बैंकों के माध्यम से ऋण सुलभ कराने के लिये आबंटित राशि मात्र 2.5 लाख रुपये है; इसे एक भद्दा मजाक न कहें तो और कहें! लाखों की संख्या में बीमार एवं कामबंदी का शिकार पड़ीं औद्योगिक इकाईयों निजी तथा सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्रों में, के श्रमिकों की शोचनीय स्थिति के बारे में बजट में किसी प्रकार की कोई चिंता प्रतिबिम्बित नहीं होती जबकि इन इकाईयों में सीधे तौर पर 25 लाख श्रमिक रोजगार पर लगे थे और उससे कई गुणा अधिक श्रमिक अप्रत्यक्ष रूप में इन इकाईयों के बल पर अपनी आजीविका का अर्जन करते थे। इसे नव–उदार चरित्र ही कहा जाएगा कि यह बजट जूट, चाय, हैंडलूम इत्यादि परम्परागत उद्योगों जो गहरे संकट में फंसे हुए हैं, के बारे में पूर्णतया उदासीन है। केवल कपड़ा उद्योग के केन्द्रों के बारे में चिंता व्यक्त की गई है जो प्रमुख रूप में आधुनिक हाई–टैक मिलें हैं जबकि हैंडलूम सेक्टर की अनदेखी कर दी गई है जहां उससे कहीं अधिक रोजगार पाया जाता है।

20. मौजूदा स्थिति को और अधिक भयावह बना देने की बात अनेक उत्पादों पर सीमा शुल्क में तीखी कमी लाना है जिनमें से अधिक उत्पाद केपिटल गुड्स सेक्टर के हैं; उसी कोटि के देश में उत्पादित उत्पादों पर आबकारी शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया। यह कराधान की विशिष्ट उपनिवेशवादी प्रणाली है! इसके चलते सम्बन्धित क्षेत्रों में स्वदेशी उद्योगों की हालत और अधिक खस्ता हो जाएगी तथा रोजगार की और अधिक क्षति होगी। उदाहरणार्थ इस्पात के मामले को ही लीजिये, स्वदेशी उत्पादन पर आबकारी शुल्क में 4 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की गई है जबकि आयात शुल्क मे पांच प्रतिशत तक कमी कर दी गई है; इस प्रकार स्वदेशी तथा आयातित इस्पात के बीच बजट पूर्व मूल्यों के अन्तर की दृष्टि से भारतीय इस्पात कम से कम 19 प्रतिशत महंगा हो जाएगा।

21. जब कभी सरकार से जन पक्षीय कदम उठाने अथवा मांग को पूरा करने के लिये कहा जाता है तो वह सदा 'संसाधनों की कमी' का रोना रोने लग जाती है। किन्तु यही सरकार बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का पक्षपोषण करने के चक्कर में सीमा शुल्क कम कर देती है और कम से कम 3000 करोड़ रुपये की अपनी आय से हाथ धो बैठती है। नैगम घरानों के पास विपुल धन राशि बकाया पड़ी है; यह वही राशि है जिसे करों के रूप में उन्होंने सरकार के खजाने में जमा नहीं कराया और बैंकों ऋण लेकर वे बड़ी आसानी से डकार मार गए थे। उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात तो दूर रही सरकार ने नैगम कर में 5 प्रतिशत की छूट देकर उलटे उन्हीं को पुरस्कृत कर दिया है। यहीं पर बस नहीं, सरकार ने विशेष आर्थिक अंचलों में स्थापित औद्योगिक इकाईयों को 15 वर्षो के लिये कर अवकाश दे डाला है; यह कार्रवाई जल्दबाजी में की गई और यहां तक कि स्थायी संसदीय समिति में उसकी जांच पड़ताल की रस्म अदायगी तक करने की भी जरूरत महसूस नहीं की गई।

22. देश में कर–जीडीपी कका अनुपात बहुत कम है ओर हमारे संसाधनों की स्थिति में सुधार लाकर इसमें वृद्धि किये जाने की सम्भावनाएं हैं; यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी। कर–जीडीपी अनुपात ऊपर जाने की अपेक्षा वर्ष 1989–90 के दौरान 11.6 प्रतिशत से नीचे लुढ़क कर 9.6 प्रतिशत हो गया था। वित्त से सम्बन्धित स्थायी संसदीय समिति ने अपनी 14 वीं रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि "सरकार कर आधार को व्यापक बनाने के

लिये प्रयास करते समय शीर्षस्थ कर दाताओं की ओर विशेष ध्यान दे ताकि कर राजस्व में पर्याप्त वृद्धि की जा सके।'' किन्तु बजट में सर्वसम्मति से की गई इस सिफारिश का अनुसरण नहीं किया गया। बैंकों की बट्टेखाते पड़ी परिसम्पत्तियों (एनपीए) जिसे खाते पीते लोगों ने ऋणों के रूप में लिया था, एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की हो चुकी हैं। इसमें से नैगम घरानों की लाबी ने 45000 करोड़ रुपये की राशि बैंकों से ऋणों के रूप में हासिल की थी जिसे पिछले पांच वर्षो में वसूली योग्य न मान कर माफ किया जा चुका है। इस भारी भरकम राशि को वसूल कैसे किया जाएगा, बजट में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया। आय कर, नैगम कर, आबकारी शुल्क तथा सीमा शुल्क की बकाया राशियां जिनका भुगतान नहीं किया गया लगातार बढ़ती चली जा रही हैं; वर्ष 1997–98 में ये राशियां 47000 करोड़ रुपये की थीं जो वर्ष 2003–04 में बढ़ कर लगभग एक लाख करोड़ रुपये हो गई थीं; यह राशि अधिक तर शीर्षस्थ कर दाताओं की ओर बकाया थीं। इन बकाया राशियों को वसूल करने के लिये सरकार ने कोई कार्रवाई करने का मन नहीं बनाया है। वर्ष 2004–05 में नैगम कर का बजट अनुमान 88436 करोड़ रुपये का था किन्तु संशोधित अनुमान 83000 करोड़ रुपये का रह गया। दूसरे शब्दों में कर दाताओं की शीर्षस्थ श्रेणियों को और 5436 करोड़ रुपये का लाभ पहुंचाया गया!

23. यद्यपि, बजट 'विनिवेश' के प्रश्न पर मौन है तथापि आर्थिक सर्वेक्षण में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि *एक* निवेश कोष का गठन किया गया है, जो 1–4–2005 से शुरू होगा। वित्त मंत्री पी चिदाम्बरम ने मीडिया को यह जानकारी देते समय बताया था कि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों के विनिवेश से जो पैसा मिलेगा उसे इस कोष में रखा जाएगा ! इसी प्रकार जब बजट में उत्खनन, खुदरा तथा पेन्शन सेक्टरों के किवाड़ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिये खोल देने का प्रस्ताव आगे बढ़ाया गया तो वह बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने के प्रश्न पर मौन रहा। किन्तु वित्त मंत्री ने 2 मार्च, 2005 को *'बिजनस लाइन'* के साथ एक भेंट वार्ता में कहा था कि ''बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ाने के विचार को त्यागा नहीं गया है। हमें इसके लिये एक विधेयक लाना होगा। बीमा अधिनियम 1938 तथा आइआरडीए अधिनियम 1999 दोनों मे आवश्यक संशोधन लाने होंगे। ये सभी संशोधन एक साथ लाए जाएंगे। इसे कार्यसूची से बाहर नहीं रखा गया है।'' उन्होंने यह बात घुमा फिरा कर नहीं की थी बल्कि साफ शब्दों में कही थी।

24. असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिये सर्वसमावेशी कानून बनाने; उन्हें सामाजिक सुरक्षा के लाभ प्रदान करने और इसके लिये आवश्यक धन का आबंटन किये जाने की दीर्घावधि से लम्बित मांग का कोई उल्लेख बजट में नहीं किया गया है। यद्यपि आय कर में छूट की सीमा बढ़ा दी गई है; 'स्टैंडर्ड डिडक्शन' लाभ को वापस ले लिये जाने के कारण यह एक प्रकार से निष्प्रभावी हो कर रह गई है और अनुलाभों, फ्रिंज तथा कल्याणकारी लाभों पर करों को जारी रखा गया है। '30 प्रतिशत फ्रिंज लाभ कर लगाए जाने से श्रमिकों पर कितना बोझ पड़ेगा यह देखा जाना अभी बाकी है। ब्याज की प्रशासित दर लगातार 8 प्रतिशत रखी गई है, लघु बचतों में अंशदान देने वाली जनता, सरकारी कर्मचारियों तथा दूसरे श्रमिकों को भविष्य निधियों में अंशदान देने के मामले में कोई राहत नहीं दी गई।

25. समग्र रूप में, यूपीए सरकार का पहला बजट किसी भी तरह जन साधारण तथा श्रमिकों की आशाओं पर खरा नहीं उतरता। जन–पक्षीय नीतियों की ओर दिशागत परिवर्तन अब भी दूर की बात बनी हुई है।

श्रमिक वर्ग तथा यूपीए सरकार

26. सीआइटीयू की अगरतला बैठक में उल्लेख किया गया थाः ''यूपीए सरकार भी ब्रेटन वुड संस्थानों के निदेशों का पालन करने के लिये बेताब दिखाई देती है; उनका एकमात्र उद्देश्य केवल साम्राज्यवादी शक्तियों के हितों की सेवा करना है; यह वहीं नीति है जिसका पालन पिछली एनडीए सरकार कर रही थी... जैसा कि आशंका व्यक्त की जा रही थी यूपीए सरकार देश के भीतर तथा बाहर वित्तीय पूंजी के पीछे पड़ी हुई है; वह एनडीए सरकार द्वारा अधूरी छोड़ी गई आर्थिक कार्यसूची को पूरा करने के लिये लालायित है; कई बार तो वह इस मामले में एनडीए सरकार से बाजी मार लेने के लिये बेताब दिखाई देती है।''

27. यूपीए शासन के 14 महीने नव–उदार नीति के मूल ढांचे के भीतर रह कर काम किये जाने की ललक को

दर्शाते हैं; एनडीए सरकार की आर्थिक नीतियों को जारी रखा जा रहा है और यह सरकार सांझे राष्ट्रीय न्यूनतम कार्यक्रम (एनसीएमपी) में दर्ज जन–पक्षीय कदम उठाने के लिये पहलकदमी करने में विफल रही है। तथ्य तो यह है कि कुछेक मामलों में वह सीधे तौर पर एनसीएमपी का उल्लंघन करती दिखाई देती है।

28. राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के मामले को ही लीजिये। एनसीएमपी में कहा गया है: ''प्रत्येक ग्रामीण तथा शहरी गरीब परिवार और निम्न मध्यम श्रेणी के प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य को न्यूनतम वेतन पर वर्ष में कम से कम सौ दिनों के लिये रोजगार उपलब्ध कराने के लिये राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम बनाया जाएगा।'' पहलकदमी तथा राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव होने के कारण दिसम्बर 2004 तक इस विधेयक को संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सका था। संसद में प्रस्तुत विधेयक के प्रारूप को इतना नर्म बना दिया गया था कि यह एनसीएमपी में व्यक्त की गई प्रतिबद्धताओं का मजाक ही बन कर रह गया। विधेयक में से शहरों में रहने वाले गरीब लोगों को पूरी तरह निकाल दिया गया और इसे केवल ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब तक सीमित कर दिया गया; वह भी गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को जो देश के चुनिंदा 150 ग्रामीण जिलों में रहते हैं। सम्पूर्ण ग्रामीण भारत को ही इन विधेयक की परिधि में लाने के लिये कोई समय सीमा निश्चित नहीं की गई; कानूनी तौर पर देय न्यूनतम वेतनों के मामले में भी यह विधेयक अस्पष्ट है। जो होना था वही हुआ, यह विधेयक लाने की कार्रवाई निरर्थक बन कर रह गई।

29. एनसीएमपी में 'श्रम' शीर्षक के अन्तर्गत निम्नलिखित विचार व्यक्त किये गए हैं, ''हमारी प्रतिबद्धता सभी श्रमिकों विशेष तौर पर वे जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, के कल्याण तथा बेहतरी के लिये है; बुनकरों, हैंडलूम श्रमिकों, मछुआरों और महिलाओं, बगीचा श्रमिकों, बीड़ी श्रमिकों इत्यादि के लिये भी सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा तथा दूसरी योजनाओं का विस्तार किया जाएगा; अपनी मर्जी से श्रमिकों को जब चाहे काम पर रखने तथा जब चाहे काम से निकाल देने की कार्रवाईयां नहीं होंगी; श्रम कानूनों में सुधार लाने के लिये उद्योग तथा श्रमिक संघों के साथ बातचीत की जाएगी और ऐसा करते समय श्रमिकों के अधिकारों की पूरी तरह रक्षा की जाएगी; श्रम एवं प्रबंधन के सम्बन्धों में टकराव नहीं होगा बल्कि पारस्परिक विचार विमर्श, सहयोग एवं सर्वानुमति लाई जाएगी; कानून के अनुसार हड़ताल के अधिकार सहित श्रमिकों ने जो अधिकार एवं लाभ हासिल किये हैं, उन्हें छीना नहीं जाएगा और न ही उनमें कोई कटौती की जाएगी; श्रमिक संघों तथा उद्योग के बीच त्रिपक्षीय विचार विमर्श को पूरी सक्रियता के साथ आगे बढ़ाया जाएगा।''

30. असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिये कानून जिसमें उनके लिये सामाजिक सुरक्षा की सार्थक योजना भी शामिल है, बनाने का वादा किया गया था किन्तु श्रमिक संघों की ओर से बार–बार मांग किये जाने पर भी सरकार ने उसके लिये कुछ नहीं किया है। सरकार ने श्रमिक संघों द्वारा दिये गए अर्थ पूर्ण सुझावों पर विचार किये बिना ही उस प्रारूप को जारी कर दिया जिसे पिछली एनडीए सरकार ने बनाया था; यह वही प्रारूप है जिसे श्रमिक संघों ने रद्द कर दिया था।

31. 'कृषि' शीर्षक के अन्तर्गत एनसीएमपी में खेतिहर श्रमिकों के लिये ''गतिशील कानून'' बनाने की बात कही गई थी; इसे भी अब तक दिन का उजाला देखने का मौका नहीं मिला।

32. क्योंकि सेवायोजक कानून लागू करने वाले अधिकारियों की मिलीभुगत से वर्तमान श्रम कानूनों की धज्जियां उड़ा रहे हैं इसलिये देश के अनेक क्षेत्रों में श्रमिकों तथा प्रबंधन के बीच गम्भीर टकराव चल रहा है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान जैसे राज्यों में वर्षो. से श्रमिक संघों का पंजीकरण नहीं किया ज़ा रहा; उन श्रमिक संघों का पंजीकरण विशेष तौर पर नहीं किया जाता जो सीआइटीयू के साथ सम्बद्ध हैं। यूपीए सरकार इस मामले में हरकत में आने की बजाए हाथ पर हाथ धर कर बैठी हुई है। भविष्य निधि तथा ईएसआइ कानूनों की अधिकतर असंगठित क्षेत्र में अवहेलना की जाती है; सरकार इसकी मानिटरिंग करने की अपेक्षा *'इंस्पेक्टर राज'* खत्म करने की बातें कर रही है; इसका अर्थ है, *''नैगम समूहों तथा ठेकेदारों का एकछत्र राज''*। समझा जाता है कि श्रम मंत्रालय इसी पृष्ठभूमि में उन उपक्रमों में रोजगार पर लगे श्रमिकों की शुरूआती संख्या की सीमा को 100 से बढ़ा कर 300 कर देने के विचार को लेकर आगे की कार्रवाई करने जा रहा है; इन उपक्रमों के सेवायोजकों को 'हायर एण्ड फायर' की अनुमति दे दी जाएगी। बैंकों के विलीनीकरण, बैंकों, टेलीकाम, नागरिक उड्डयन, खुदरा सेक्टर इत्यादि में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में सरकार श्रमिक संघों के साथ विचार विमर्श किये बिना और उनके विरोध के बावजूद इस मामले में कोई

सर्वानुमति लाए बिना ही नीतिगत निर्णय लेती चली जा रही है।

33. हड़ताल के अधिकार को कानून सम्मत नहीं बनाया जा रहा। इस प्रकार न्यायपालिका को देश के विभिन्न भागों में श्रमिकों द्वारा हड़ताल करने के अधिकार को कम करने अथवा उस पर प्रतिबंध तक लगा देने की खुली छूट दे दी गई है। श्रमिक संघों द्वारा बार–बार आग्रह किये जाने पर भी सेक्टरवार त्रिपक्षीय औद्योगिक समितियों का गठन अब तक नहीं किया गया है।

34. जहां तक श्रमिकों का सम्बन्ध है, उनके लिये एनसीएमपी में जो प्रतिबद्धताएं व्यक्त की गई थीं वे अभी तक कागजों की शोभा बढ़ा रही हैं। यह सब यूपीए सरकार के उदासीन रुख के चलते हो रहा है।

35. यूपीए सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के मामले में प्रतिज्ञा की थी, "एक मजबूत तथा प्रभावी सार्वजनिक क्षेत्र के लिये हम प्रतिबद्ध हैं; उनकी कार्य प्रणाली का व्यावसायीकरण करके सामाजिक लक्ष्यों को पूरा किया जाएगा।" "लाभ पर चलने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की सफल कम्पनियों जो प्रतिस्पर्धी वातावरण में काम कर रही हैं, को प्रबंधन एवं कारोबार के मामले में पूरी स्वायत्ता प्रदान की जाएगी।" "सामान्यतया, लाभ पर चलने वाली कम्पनियों का निजीकरण नहीं किया जाएगा।" "नवरत्न कम्पनियों को सार्वजनिक क्षेत्र में बनाए रखा जाएगा जबकि वे पूंजी बाजार से अपने लिये संसाधन जुटा सकेंगी।" "जहां सार्वजनिक क्षेत्र की बीमार कम्पनियों का पुनरुद्धार करने के लिये हर सम्भव प्रयास किया जाएगा वहीं पुरानी बीमारी से पीड़ित तथा घाटे पर चलने वाली कम्पनियों को बेच दिया जाएगा अथवा सभी श्रमिकों को कानूनी रूप में देय उनकी बकाया राशियों एवं क्षतिपूर्ति का भुगतान करके बंद कर दिया जाएगा।" "सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों को अपने लिये संसाधन जुटाने के उद्देश्य से पूंजी बाजार में जाने के लिये प्रोत्साहित किया जाएगा और उन्हें निवेश के नये अवसर सुलभ कराए जाएंगे।"

36. यूपीए सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के मामले में अपना कार्यकाल गलत कदम उठा कर शुरू किया था। उसका पहला फैसला भारतीय वायुपत्तण प्राधिकरण (एएआइ) के अन्तर्गत दिल्ली तथा मुम्बई के हवाई अड्डों का निजीकरण कर देने का था; इसके लिये संयुक्त उपक्रम बनाने का रास्ता अपनाया गया; यह एनसीएमपी में व्यक्त की गई मूल भावना का सरासर उल्लंघन है; उसमें कहा गया था कि "लाभ पर चलने वाली कम्पनियों का निजीकरण नहीं किया जाएगा।" एएआइ के कर्मचारियों ने सरकार की इस कार्रवाई का विरोध करने के लिये संयुक्त मंच का गठन किया है और उनकी ओर से अगस्त 2004 में सार्वजनिक क्षेत्र के मूल ढांचे में रहते हुए दिल्ली तथा मुम्बई के हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण करने के लिये वैकल्पिक सुझाव दिये गए थे। अभी तक उन सुझावों पर चर्चा नहीं की गई है और इन दोनों हवाई अड्डों के निजीकरण की कार्रवाई चल रही है।

37. एक बड़ी विसंगति सार्वजनिक क्षेत्र की लाभ पर चलने वाली इकाईयों के विनिवेश के मामले में देखने को मिली है; सरकार के राजकोष को भरने के लिये एनसीएमपी में 'विनिवेश' शब्द का उल्लेख कहीं नहीं किया गया है। वित्त मंत्रालय ने इस अनुच्छेद "(सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों) को पूंजी बाजार में जाने और संसाधन जुटाने के लिये प्रोत्साहित किया जाएगा," का अनुचित लाभ उठाते हुए एनटीपीसी को बाजार में जाकर अपने 5 प्रतिशत शेयर बेच कर संसाधन जुटाने के लिये उकसाया गया और इस प्रकार उसके पांच प्रतिशत शेयरों का विनिवेश कर दिया गया। सरकार ने विनिवेशों को बजट से अलग रखा है किन्तु कार्य पालक अधिकारियों के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र की लाभ पर चलने वाली सभी इकाईयों में सरकार के 49 प्रतिशत शेयरों का विनिवेश करने के प्रश्न पर नीतिगत निर्णय ले लिया है। इसकी शुरूआत *नवरत्न कम्पनियों* से की गई है। एनटीपीसी के बाद सरकार ने आइपीओ के धुंधलके को दूर कर दिया और उसने पहले ही बीएचईएल के 10 प्रतिशत, नालको, पावर ग्रिड कार्पोरेशन, जहाजरानी निगम में10 से लेकर 20 प्रतिशत शेयरों का विनिवेश करने का फैसला कर लिया था। सार्वजनिक क्षेत्र की सम्बन्धित कम्पनियों तथा उनके नोडल मंत्रालयों द्वारा इस पर आपत्ति व्यक्त किये जाने पर भी ये फैसले किये गए। नालको के मामले में इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखने को मिल ही चुका है। इस प्रकार रेंग–रेंग कर निजीकरण करके सरकार ने *नवरत्न कम्पनियों* के प्रतिस्पर्धियों को सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों में अपने पांव पसार लेने के अवसर सुलभ करा दिये हैं; यह एनसीएमपी का घोर उल्लंघन ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय हितों के साथ गद्दारी करने की कार्रवाई भी है; श्रमिक वर्ग को पूरी शक्ति के साथ इसका जोरदार प्रतिवाद करना होगा।

38. कुल मिला कर विनिवेशों के नाम पर ये विनाशकारी कार्रवाईयां जारी हैं। यूपीए सरकार क्योंकि वाम पक्षी दलों के समर्थन पर निर्भर करती है इसलिये उसे मजबूर होकर सार्वजनिक क्षेत्र की लाभ पर चलने वाली इकाईयों को थोक के भाव बेच देने की अपनी सामरिक कार्रवाईयों से परहेज करना पड़ रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि शासन का एक वर्ष बीत जाने के बाद यूपीए में विद्यमान निजीकरण के समर्थक लोग तथा सुधारक अपना धैर्य खो चुके हैं। सरकार पूरी निर्लज्जता के साथ सार्वजनिक क्षेत्र की लाभ पर चलने वाली इकाईयों के शेयर बेच देने की दिशा में आगे बढ़ रही है और यह काम करके वह उन लोगों के साथ क्रूर मजाक कर रही है जिन्होंने केन्द्रीय बजट पर संतोष व्यक्त किया था; उस समय तो सरकार ने विनिवेश के प्रश्न पर चुप्पी साध रखी थी। उसके मनसूबे अब गोपनीय नहीं रहे; यूपीए की यह सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की लाभ पर चलने वाली सभी इकाईयों के 49 प्रतिशत शेयरों का विनिवेश कर देगी और इसके लिये वह उचित अवसर की ताक में है; शीघ्र ही वह अरुण शौरी के रास्ते पर चलने लगेगी अर्थात् सार्वजनिक क्षेत्र का पूर्ण निजीकरण! यह काम तब होगा जब वह वाम पक्षी दलों पर अपनी निर्भरता के खतरे से मुक्त हो जाएगी। इसलिये श्रमिक वर्ग को पूरी गम्भीरता के साथ और अपनी पूरी शक्ति के साथ निर्लज्जता भरी विनिवेश की इन सभी कार्रवाईयों का जोरदार विरोध करना होगा; उसके खिलाफ संघर्ष चलाना होगा; यह निर्णायक महत्व की बात है। उसे पूरी गम्भीरता के साथ सरकार के इस तर्क को पराजय देनी होगी कि विनिवेश के प्राप्त धन से राष्ट्रीय नवीकरण कोष का गठन किया जाएगा जिसका उपयोग सार्वजनिक क्षेत्र के बीमार कम्पनियों के पुनरुद्धार के लिये किया जाएगा। आर्थिक नीति के मुद्दे विशेष तौर पर विनिवेशों के मामले में यूपीए सरकार की प्रतिगामी कार्रवाई के खिलाफ वाम पक्षी दलों की ओर से समन्वय समिति की बैठक का बहिष्कार किये जाने का फैसला इस पृष्ठभूमि में लिया गया है; यह एक स्वागत योग्य कदम है।

39. प्रतीत होता है कि सरकार अपना पूरा ध्यान सार्वजनिक क्षेत्र की मजबूत कम्पनियों के शेयरों के विनिवेशों के माध्यम से पूंजी बाजार में जाकर संसाधन जुटाने पर दे रही है। वह सार्वजनिक क्षेत्र की बीमार कम्पनियों का पुनरुद्धार करने के काम की पूरी तरह अनदेखी कर रही है जबकि इसके लिये वह प्रतिबद्ध थी। जहां एनसीएमपी में यह कहा गया था कि सार्वजनिक क्षेत्र की बीमार कम्पनियों का पुनरुद्धार करने के लिये हर तरह की कोशिश की जाएगी; सार्वजनिक क्षेत्र की बीमार पड़ी किसी भी प्रमुख कम्पनी के पुनरुद्धार के काम को गम्भीरता से नहीं लिया गया। इस समय पुनरुद्धार का सार क्या है – इस काम में देरी करो और इसके चलते सम्भावित रूप से जीवनक्षम सार्वजनिक कम्पनियां भी गैर जीवनक्षम बनती चली जा रही हैं। पुनरुद्धार के उद्देश्य को सामने रख कर सार्वजनिक उपक्रमों के लिये पुनर्गठन बोर्ड का गठन किया गया था; इस बोर्ड ने अब तक केवल सार्वजनिक क्षेत्र की दो कम्पनियों के लिये पुनरुद्धार की योजना पर काम करना शुरू किया है।

40. वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत काम करने वाला विनिवेश विभाग की ओर से सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों के कार्यों में निरंतर दखल दिया जा रहा है। इसके फलस्वरूप सार्वजनिक इकाईयों की प्रबंधकीय एवं कारोबारी स्वायत्ता का क्षरण हो रहा है। इस प्रकार विनिवेश विभाग एनडीए सरकार के जमाने के विनिवेश मंत्रालय की नीति के अनुसार काम कर रहा है। *नवरत्न* कम्पनियों की प्राथमिक आवश्यकताओं अर्थात् प्रौद्यागिकी के स्तर को उन्नत करना तथा सरकार के कार्यादेशों की सुलभता इत्यादि को पूरा करने की बजाए सरकार उन्हें बिक्री की वस्तुओं के रूप में ले रही है जिन्हें वित्त मंत्रालय के आदेशानुसार चरणबद्ध ढंग से बेचा जाना है। रोजगार सृजन को फिर से परिभाषित किया जा रहा है और उसे नये नाम दिये जा रहे हैं जैसे 'कंट्रैक्टिंग', 'सब–कंटैक्टिंग' तथा 'आउटसोर्सिंग' इत्यादि। यह काम सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों में बड़े धूमधाम के साथ किया जा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र की बीमार इकाईयों के पुनरुद्धार के काम की अनदेखी की जा रही है; यह काम केवल इसलिये किया जा रहा है ताकि उन्हें थोक के भाव बेचा जा सके। इस मामले में सरकार का रिकार्ड बेहद खराब है और जब तक सरकार को झटका नहीं दिया जाता वह सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में अपनी नीति पर फिर से विचार करने से इन्कार करती रहेगी।

41. आंतरिक ढांचे के मामले में एनसीएमपी ने सरकार से विद्युत अधिनियम, 2003 की समीक्षा करने के लिये कहा था। कर्मचारियों द्वारा 31 मई, 2005 से हड़ताल करने की धमकी दी गई; उसके बाद ही सरकार ने संरचनात्मक तंत्र के माध्यम से समीक्षा करने का यह शुरू कराया और वह भी एक साल बीत जाने के बाद।

यद्यपि, सरकार ने वादा किया था कि बिजली बोर्डो का बिस्तर गोल नहीं किया जाएगा, क्रास सब्सिडी जारी रखी जाएगी, इस वादे के आधार पर हड़ताल वापस ले ली गई किन्तु सरकार अपने वादे से मुकर गई जैसा कि प्रधानमंत्री ने राज्य विद्युत सचिवमण्डलों के सम्मेलन में इस मुद्दे पर जो विचार व्यक्त किये थे वे इस वादे के विपरीत थे। कभी हां, कभी न वाला सरकार का यह रुख बिजली कर्मचारियों को एक बार फिर से हड़ताल के रास्ते पर चलने के लिये मजबूर कर देगा ताकि सरकार राष्ट्रीय हित में विद्युत अधिनियम, 2003 में संशोधन करने के लिये उसकी समीक्षा करने के लिये एनसीएमपी में दिये गए आश्वासन को पूरा करे।

42. यूपीए सरकार बजट सत्र में विनाशकारी पेटैंट संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिये सिरतोड़ यत्न करती देखी गई; यह उसी विधेयक की प्रतिलिपि है जिसे पूर्ववर्ती एनडीए सरकार जस का तस पारित कराना चाहती थी। संसद में वाम पक्षी सांसदों ने पूरी दृढ़ता के साथ इसका विरोध किया इसके चलते यूपीए सरकार को आखिरकार मजबूर होकर वाम पक्ष की ओर से सुझाए गए अनेक संशोधनों को उसमें जोड़ देने पड़े; अब यह विधेयक कुछ सीमा तक नर्म बन चुका है; कम से कम इसमें वे विनाशकारी प्रभाव देखने को नहीं मिलेंगे जो मूल विधेयक में थे। तथापि, देश ने उत्पाद आधारित पेटैंट की सत्ता को अपना लिया है; यह राष्ट्रीय हितों के लिये घातक है; इसलिये उत्पाद आधारित पेटैंट सत्ता से लाभ उठाने वाली साम्राज्यवादी शक्तियों के हथकण्डों के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी रहना चाहिये।

43. इसी प्रकार, विशेष आर्थिक अंचलों सम्बन्धी विधेयक के मामले में भी वाम पक्षी सांसदों की ओर से पूरी ताकत के साथ हस्तक्षेप किया गया था जिसके कारण सरकार को उसमें से उन प्रतिगामी प्रावधानों को निकाल देना पड़ा जो राज्य एवं केन्द्रीय दोनों सरकारों को एसईज़ैड उपक्रमों के मामले में श्रम कानूनों का पालन नहीं करने की छूट देने का अधिकार प्रदान करते थे।

44. सरकार ने एक अध्यादेश जारी करके नयी पेन्शन प्रणाली के अन्तर्गत पेन्शन निधियों को स्थापित करने और उनका नियमन एवं विकास करने के उद्देश्य से पेन्शन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण के गठन को कानून सम्मत बना दिया है; यह पेन्शन निधियों का सीधे तौर पर निजीकरण है और इसके द्वारा पेन्शन निधियों में जमा अंशदानों को सट्टा बाजार की गतिविधियों में लगाया जाएगा। यही नहीं, यूपीए सरकार के वित्त मंत्री ने वर्ष 2005–06 के बजट में 'पेन्शन सेक्टर' को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और उसके साथ–साथ खुदरा व्यापार एवं उत्खनन के क्षेत्रों के लिये खोल दिये जाने की घोषणा की थी!

45. सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि की ब्याज दरों को कम करने की दिशा में कार्रवाई की थी, इसके लिये न्यासियों के केन्द्रीय बोर्ड में बहुमत से फैसला कराने का रास्ता अपनाया गया। यद्यपि, प्रधानमंत्री ने उसके बाद भी 9.5 प्रतिशत ब्याज दरों को बहाल रखने के लिये हस्तक्षेप किया था; उन्होंने बंद पड़े उपक्रमों के चूककर्ता सेवायोजकों की ओर भविष्य निधि की बकाया राशियों का निपटारा करने का आश्वासन दिया था किन्तु इस पर भी यह पैसा चूककर्ता सेवायोजकों से वसूल करने के स्थान पर इसके लिये बनाए गए विशेष आरक्षित कोष में से निकाला गया। वित्त मंत्री ने हठपूर्वक ब्याज की प्रशासित दरों को बढ़ाने से इन्कार कर दिया जो अप्रैल 2002 के कम 8 प्रतिशत चली आ रही हैं। पिछली एनडीए सरकार ने जीपीएफ, पीपीएफ, सीएमपीएफ, लघु बचतों इत्यादि पर ब्याज दरों को क्रम करके 8 प्रतिशत कर दिये जाने की प्रक्रिया शुरू की थी; वर्तमान सरकार ने भी इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। यही नहीं, वर्तमान ब्याज दरों (9.5 प्रतिशत) पर खतरा बढ़ता चला रहा है; उन्हें वर्ष 2005–06 में ही और कम किये जाने की आशंका है।

46. कर्मचारी पेन्शन योजना, 1995 गैर सरकारी कर्मचारियों तथा श्रमिकों के लिये एकमात्र परिभाषित पेन्शन लाभ की योजना है। उस योजना के अन्तर्गत पेन्शन निधि के वार्षिक बीमांकक मूल्यांकन का प्रावधान रखा गया है; आशा की जाती थी कि पेन्शनभोगियों एवं श्रमिकों के लिये पेन्शन लाभों में और सुधार किया जाएगा। जहां पहले चार वार्षिक बीमांकक मूल्यांकनों का परिणाम पेन्शनभोगियों को 4 प्रतिशत तदर्थ राहत दिये जाने के रूप में निकला था वहीं उसके बाद के वार्षिक बीमांकक मूल्यांकनों में मामूली–सी राहत देने से भी इन्कार कर दिया गया। श्रम मंत्रालय द्वारा योजना के अन्तर्गत लाभ के पैकेज पर विषम दुष्प्रभावों को दूर करने के नाम पर कोशिशें कीं; योजना के अन्तर्गत श्रमिकों को अपना धन वापस लेने का अधिकार है, श्रम मंत्रालय ने धन की वापसी पर अंकुश लगा दिया और वह भी उन श्रमिकों के मामले में जो पात्रता की अवधि पूरी होने से पहले अपनी इच्छाओं के विपरीत योजना को छोड़ देने के लिये मजबूर होते हैं।

47. शिमला का लेबर ब्यूरो जिसे औद्योगिक श्रमिकों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार करने एवं उसका प्रकाशन करने का दायित्व सौंपा गया है, अब 2001=100 को आधार वर्ष मान कर मूल्य सूचकांक की नयी श्रृंखला शुरू करने जा रहा है। वर्तमान में 1982=100 को आधार वर्ष मान कर सूचकांक का प्रकाशन किया जाता है। अतीत में कई ऐसे अवसर आए हैं जब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार किये जाने की प्रक्रिया में अनेक कमियों की ओर अनेक हलकों विशेष तौर पर श्रमिक संघों द्वारा ध्यान आकृष्ट किया गया था। केन्द्रीय श्रमिक संगठनों ने यूपीए के केन्द्र में सत्तासीन हो जाने के तत्काल पश्चात् संयुक्त रूप से केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री से मिल कर आग्रह किया था कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के सम्पादन के प्रश्न पर समीक्षा करने के लिये एक समिति का गठन किया जाए। यह बताया गया कि नयी श्रृंखलाएं जारी किये जाने की तैयारी की जा चुकी है, सूचकांक उपभोक्ताओं की एक त्रिपक्षीय बैठक इस वर्ष मई में लेबर ब्यूरो, शिमला में हुई। उस समय नया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी होने के चरम बिंदु पर पहुंच चुका था; इस त्रिपक्षीय बैठक को बुलाने मात्र से ही काम पूरा हो गया मान लिया गया; श्रमिक संघों ने उस समय औद्योगिक श्रमिकों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2001=100) की नयी श्रृंखला जारी किये जाने का विरोध किया था। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की वर्ष 2001 की नयी श्रृंखला शुरू करने के लिये भारत सरकार एक पक्षीय निर्णय ले सकती है; इस खतरे की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। वह श्रमिक संघों द्वारा सर्वसम्मति से इसका विरोध किये जाने पर भी यह फैसला कर सकती है। इसका विरोध किया ही जाना चाहिये।

48. सीआइटीयू को श्रमिक वर्ग की तात्कालिक चिंता के इन मुद्दों पर सघन प्रचार अभियान चलाना होगा। इसे ध्यान में रख कर हमने सूचना दस्तावेज (अनुलग्निका–1) में इन मुद्दों पर विस्तार में चर्चा की है; इससे श्रमिकों की सभी श्रेणियों में अभियान चलाने के काम में सहायता मिलेगी।

49. यूपीए सरकार वित्तीय क्षेत्र में सुधार लाने के नाम पर एक और विनाशकारी कार्यसूची पर अमल करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। वित्त मंत्री द्वारा की गई बजट घोषणाओं का अनुसरण करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों के लिये रोडमैप का अनावरण किया है। सरकार इसके लिये दो अनुवर्ती विधेयक लाई है; इन्हें बैंकिंग नियमन (संशोधन) विधेयक तथा भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) विधेयक के रूप में लाया गया है। इस पूरी कार्रवाई का उद्देश्य वित्तीय क्षेत्र का पूरी तरह विनियमन करना है जो हमारे राष्ट्रीय हितों के लिये घातक हैं। इससे पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने बताया था कि विदेशी संस्थागत निवेशकों के माध्यम से सट्टा बाजार में वित्तीय धन के प्रवाह पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। वित्त मंत्री इससे सहमत नहीं हुए और उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को अपने शब्द वापस लेने के लिये मजबूर कर दिया ताकि विदेशी निवेशकों का भरोसा कायम रखने के भ्रम में विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को प्रसन्न किया जा सके। सरकार ने भारत में निजी क्षेत्र के बैंकों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ा कर 74 प्रतिशत कर दिया। बैंकिंग नियमन अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव है; इसका उद्देश्य मौजूदा 10 प्रतिशत कैप को समाप्त करना और भारत के निजी बैंकों में अपने शेयरों के अनुपात में विदेशी शेयर धारकों को मत देने के पूरे अधिकार प्रदान करना है। इसके फलस्वरूप भारत के निजी बैंकों पर विदेशी बैंकों द्वारा कब्जा कर लिया जाएगा; हमारे देश में जनता द्वारा की गई बचतों का एक बहुत बड़ा भाग अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी अपने नियंत्रण में ले लेगी। इसके साथ ही साथ विनिवेश के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को भी कमजोर किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। इसके फलस्वरूप विकास की उद्देश्य धरे रह जाएंगे तथा सार्वजनिक क्षेत्र को ऋण सुलभ कराने की प्राथमिकता खत्म कर दी जाएगी अथवा छीन ली जाएगी; यह स्थिति देश की आर्थिक प्राथमिकताओं की सेवा करने वाली मजबूत वित्तीय प्रणाली के लिये प्राण घातक सिद्ध होगी।

मुद्दे तथा आंदोलन

50. सीआइटीयू कार्य समिति की अगरतला बैठक में उन मुद्दों पर जिनका सामना श्रमिक वर्ग को करना पड़ रहा है, स्वतंत्र रूप से देशव्यापी अभियान चलाने का कार्य हमारे लिये निश्चित किया गया था; इस अभियान के दौरान मांग की जाएगी कि सीएमपी में दिये गए जन–पक्षीय आश्वासनों को पूरा किया जाए और सेवा योजकों तथा सरकार के विभिन्न हमलों का प्रतिकार किया जाएगा। बैठक में प्राथमिकता वाले विषय तथा क्षेत्र निश्चित

किये गए थे; सीआइटीयू को सभी स्तरों पर इस ओर ध्यान देना चाहिये।

51. हमने इसका पूरा विवरण दिया है; हम कहां तक इन कार्यो को पूरा कर सके हैं इसकी चर्चा हमने गतिविधियों से सम्बन्धित अपनी रिपोर्ट में विस्तार से की है; यह रिपोर्ट अलग से दी जा रही है।

52. यहां उनमें से कुछेक मुद्दों की चर्चा करना जरूरी हो जाता है जिनसे हमें इस अवधि में दो–चार होना पड़ा है और यह बताना भी जरूरी है कि हमने इनका प्रत्युत्तर कैसे दिया।

असंगठित क्षेत्र

53. कार्य समिति ने हमें असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की ओर अधिक ध्यान देने तथा राज्य एवं जिला स्तरों पर उप–समितियों तथा समन्वय समितियों का गठन करने का निदेश दिया था।

54. हम बार–बार इस बात पर जोर देते रहे हैं कि हमारी राज्य समितियों को अनौपचारिक अर्थव्यवस्था और उसके साथ–साथ सार्वजनिक क्षेत्र सहित संगठित क्षेत्र के भीतर अनौपचारिक कार्य सम्बन्धों से बंधे श्रमिकों को संगठित करने के काम की ओर अधिक ध्यान दिये जाने की जरूरत है। असंगठित क्षेत्र समन्वय समिति की बैठक नवम्बर में सम्पन्न हुई थी; उस बैठक में अधोलिखित कार्यो को फिर से दोहराया गया थाः

- असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के बीच काम पर नजर रखने के लिये सीआइटीयू की राज्य समितियों के भीतर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिये उप समितियों का गठन किया जाए। ये उप समितियां राज्य में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने के काम में सहायता करें; मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तथा उन उद्योगों को विशेष प्राथमिकता दी जाए जिनका राज्यव्यापी प्रभाव हो; कार्यकर्ताओं के आबंटन तथा उन्हें प्रशिक्षण देने इत्यादि के साथ इस पूरे काम की मानिटरिंग की जाए और सम्बन्धित राज्य समिति द्वारा समय समय पर काम की समीक्षा की जाए।
- असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की सामान्य मांगों को लेकर राज्यव्यापी अभियान का विकास करने और आंदोलन में समन्वय स्थापित करने के लिये असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की यूनियनों की राज्य स्तरीय समन्वय समितियों का गठन किया जाए।
- असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की बहुप्रयोजन यूनियनों का गठन करने की बजाए पृथक कारोबार/व्यवसाय/उद्योगवार यूनियनों का गठन करने के लिये प्रयास किये जाएं।
- सम्बन्धित श्रमिकों की विशेष मांगों के लिये सेक्टरवार संघर्ष विकसित किये जाएं; और
- संविदा श्रमिकों जिनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है, को संगठित करने की ओर से अधिक ध्यान दिया जाए; सार्वजनिक क्षेत्र में भी इन श्रमिकों की संख्या बढ़ रही है। यह फैसला भी किया गया था कि संगठित क्षेत्र में सक्रिय हमारी यूनियनें भी उनकी अपनी इकाईयों में काम करने वाले संविदा श्रमिकों को संगठित करने की जिम्मेदारी का निर्वहन करें।

55. अखिल भारतीय असंगठित क्षेत्र समन्वय समिति की बैठक 7–8 जून 2005 को नयी दिल्ली में हुई थी; बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार इन कार्यो को पूरा करने की दिशा में कुछ प्रगति हुई है। किन्तु असंगठित क्षेत्र की व्यापकता और इसमें काम करने वाले श्रमिकों की बहुत बड़ी संख्या को देखते हुए अब भी बहुत कुछ किया जाना शेष है।

56. हमारी रिपोर्टे यह दर्शार्ती हैं कि अधिकांश राज्यों में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बीच हमारा काम बढ़ रहा है फिर भी हमें सुनियोजित ढंग से काम करना होगा। अनेक राज्य समितियों ने रिपोर्ट दी है कि उन्होंने अपने–अपने राज्यों में प्राथमिकता वाले कामों की पहचान कर ली है। इनमें बीड़ी, निर्माण, ईंट के भट्ठे, आंगनवाड़ी इत्यादि शामिल हैं। यदि राज्य समितियां एक समुचित योजना बनाएं, इन क्षेत्रों के श्रमिकों की ठोस मांगों की पहचान करें, कार्यकर्ताओं का आबंटन करें और इन मांगों पर राज्यव्यापी आंदोलन चलाने के लिये गम्भीरता से प्रयास करें तो हम निश्चित रूप से अपने आंदोलन को मजबूत बना लेंगे और सीआइटीयू की सदस्य संख्या में भी वृद्धि कर लेंगे।

57. इस सम्बन्ध में हमें यह बात ध्यान में रखनी होगी कि अनेक राज्यों, यहां तक कि उन उद्योगों में भी जहां

हम नेतृत्व कर रहे होते हैं अथवा हम किसी विशेष उद्योग में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बीच एकमात्र शक्ति होते हैं; हमारी सदस्य संख्या राज्य में श्रमिकों की कुल संख्या की तुलना में बहुत कम है। कुछ प्रगति कर लेने तथा थोड़ी बहुत मान्यता प्राप्त कर लेने के बाद हमारे रुख में नर्मी आ जाती है; हम ढीले पड़ जाते हैं; हमारे कुछेक साथियों में इस प्रकार का रुझान पाया जाता है। हमें अपनी इस कमजोरी को दूर करना होगा, काम की व्यापकता जो हमारे हाथ में है और जिसे करने की हम योजना बना रहे हैं, को देखते हुए हमें अपनी शक्ति की वस्तुपरक समीक्षा करनी होगी।

58. सामान्य तौर पर श्रमिक वर्ग तथा विशेष तौर पर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों पर हमले दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं। अनेक राज्यों में, यूनियनों का पंजीकरण नहीं किया जा रहा और वर्तमान यूनियनों का पंजीकरण समाप्त करने के लिये भी प्रयास किये जा रहे हैं। वर्तमान में, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को लम्बे संघर्ष करने पड़ रहे हैं; ये संघर्ष किसी नयी मांग को पूरा कराने के लिये नहीं बल्कि मौजूदा कामकाजी एवं जीवन स्थितियों को बनाए रखने के लिये और तो और न्यूनतम वेतनों के कानूनी प्रावधानों को लागू कराने, नियुक्ति पत्र एवं पहचान पत्र दिये जाने, आठ घण्टे के काम के लिये चलाने पड़ रहे हैं।

59. आने वाले दिनों में इन हमलों में और बढ़ोतरी अवश्यंभावी दिखाई दे रही है। सरकार संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के खिलाफ असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को खड़ा करने का प्रयास कर रही हैं। संगठित क्षेत्र के श्रमिकों ने कठोर संघर्षों के फलस्वरूप जो अधिकार एवं सेवा सुविधाएं हासिल की थी और जिन सुविधाओं का वे वर्तमान में उपयोग कर रहे हैं; उन्हें असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और दूसरे लाभ देने के नाम पर कम किया जा रहा है अथवा उनमें कटौती करने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिये विधेयक लाने के लिये गम्भीरता पूर्वक प्रयास नहीं कर रही है; केन्द्रीय श्रमिक संगठनों ने इसके लिये कुछ सुझाव दिये थे; हम चाहते थे कि सरकार इन सुझावों को जोड़ कर यह विधेयक प्रस्तुत करे। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक तथा उनके सेवायोजक जिनकी अधिकांश मामलों में पहचान ही नहीं होती, से अधिकांश अंशदान देने की अपेक्षा की जाती है जबकि भारत सरकार का अंशदान बहुत मामूली है। विधेयक अपने वर्तमान स्वरूप में श्रमिकों को अधिक राहत प्रदान करने में सक्षम नहीं होगा और न ही वह इसका पालन न करने वाले सेवायोजकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकेगा।

60. असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के कामकाजी दिनों की संख्या तेजी से कम होती चली जा रही है। बीड़ी, निर्माण इत्यादि उद्योगों में श्रमिकों को सप्ताह में 2–3 दिन के लिये भी काम नहीं मिलता। ईट बनाने वाले भट्टा मजदूरों को काम की सुलभता अनियमित हो गई है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों के साथ एकजुटता होने के साथ काम की सुलभता अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में आने वाले उतार–चढ़ावों के अनुसार निश्चित होती है। यूपीए सरकार ने अपने राष्ट्रीय सांझा न्यूनतम कार्यक्रम में वादा किया था कि वह वर्ष में कम से कम 100 दिनों के लिये लाभदायक रोजगार सुलभ कराने के उद्देश्य से रोजगार गारंटी अधिनियम बनाएगी। किन्तु संसद में जो विधेयक लाया गया उसमें इस प्रतिबद्धता का पूरी तरह कबाड़ा कर दिया गया था, इसके लाभ को देश के चुनिंदा जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों के बीच परिवार के केवल एक सदस्य तक सीमित कर दिया गया था। इसका देश भर में प्रसार कितने समय में किया जाएगा, इसके लिये कोई निश्चित समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया। भारत सरकार की कोशिश है कि इसकी वित्तीय जिम्मेदारी का बहुत बड़ा बोझ राज्यों के कंधों पर डाल दिया जाए; राज्य सरकारें पहले ही भीषण आर्थिक संकट झेल रही हैं, उनके लिये इसे इसके मौजूदा स्वरूप में स्वीकार कर पाना बेहद कठिन है।

61. केन्द्रीय श्रमिक संगठनों ने मांग की थी कि खेतिहर श्रमिकों को असंगठित क्षेत्र विधेयक की परिधि से अलग रखा जाए क्योंकि उनकी कामकाजी स्थितियां औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की कामकाजी स्थितियों से पूर्णतया अलग हैं। इसकी अपेक्षा उन्होंने सरकार से खेतिहर श्रमिकों के लिये अलग सर्वसमावेशी कानून बनाने की मांग की थी। किन्तु सरकार ने इस तरह की कोई तबदीली नहीं की और असंगठित क्षेत्र श्रमिक विधेयक में खेतिहर श्रमिकों को भी लगातार बनाए रखा गया है।

62. सरकार तत्काल असंगठित क्षेत्र के श्रमिक के लिये एक लाभप्रद अधिनियम, खेतिहर श्रमिकों के लिये

सर्वसमावेशी कानून और एनसीएमपी में किये गए वादे के अनुसार रोजगार गारंटी अधिनियम बनाए इसके लिये सीआइटीयू को दूसरे जन संगठनों तथा श्रमिक संघों के साथ मिल कर सरकार पर दबाव डालना होगा; इन प्रश्नों पर एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन का निर्माण करने के लिये पहलकदमी करनी होगी। हमें उन जन संगठनों तथा श्रमिक संघों जो हमारे निकट हैं, के साथ मिल कर इन मुद्दों पर एक राष्ट्रव्यापी संयुक्त आंदोलन का निर्माण करने के लिये पूरी गम्भीरता के साथ प्रयास करने होंगे।

63. असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की अखिल भारतीय समन्वय समिति की बैठक 7–8 जून, 2005 को दिल्ली में हुई थी। इस बैठक में 11 राज्यों के सदस्यों सहित 19 साथियों तथा सीआइटीयू केन्द्र के साथियों ने भाग लिया था। बिहार, झारखण्ड तथा महाराष्ट्र ने बार–बार याद दिलाए जाने पर भी अखिल भारतीय समन्वय समिति के लिये किसी साथी का नाम नहीं भेजा है।

64. बैठक में फैसला किया गया कि एक मांग पत्र तैयार किया जाएगा और जुलाई से सितम्बर 2005 के दौरान इन मांगों को लेकर अखिल भारतीय अभियान चलाया जाएगा। सितम्बर, 2005 में अखिल भारतीय मांग दिवस मनाने का फैसला भी किया गया। सीआइटीयू जनरल कौंसिल की इस बैठक में हमें अखिल भारतीय मांग दिवस की तिथि निर्धारित करनी होगी। इसके अतिरिक्त सीआइटीयू की राज्य समितियों तथा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की राज्य समन्वय समितियों को इन मांगों को लेकर राज्यव्यापी अभियान चलाने की योजना बना लेनी चाहिये।

65. हमने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की अखिल भारतीय कन्वेंशन का आयोजन 23–24 अक्टूबर, 2005 को फिरोजाबाद (उत्तर प्रदेश) में करने का फैसला किया है। प्रतिनिधियों की कुल संख्या पांच सौ के लगभग होगी। क्योंकि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों में महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या है, इसलिये फैसला किया गया था कि इस कन्वेंशन में कम से कम 20 प्रतिशत प्रतिनिधि महिलाओं के बीच में से होने चाहियें। सीआइटीयू की सभी राज्य समितियों को निश्चित कोटे के अनुसार अपने प्रतिनिधि भेजने चाहियें। अखिल भारतीय कन्वेंशन से पहले राज्य स्तरीय कन्वेंशनों का आयोजन किया जाएगा और जहां कहीं जरूरत होगी वहां समन्वय समितियों का पुनर्गठन किया जाएगा।

66. सीआइटीयू को संविदा श्रमिकों की मांगों एवं समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिये संविदा श्रमिकों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करना चाहिये; यह सम्मेलन राज्य एवं स्थानीय स्तरों पर सम्मेलनों के आयोजन के बाद आयोजित किया जा सकता है। राष्ट्रीय सम्मेलन से पहले राज्यों तथा विभिन्न उद्योगों में संविदा श्रमिकों की समस्याओं तथा स्थितियों का अध्ययन किया जाना चाहिये। इस अध्ययन के फलस्वरूप संविदा श्रमिकों के मुद्दों पर अखिल भारतीय आंदोलन का विकास करने के लिये ठोस मांगों के निर्धारण तथा सम्मेलन में उन्हें पारित किये जाने में सहायता मिलेगी।

सामाजिक मुद्दे

67. स्वतंत्रता प्राप्ति के लगभग साठ वर्ष बाद भी हमारे देश में अस्पृश्यता अर्थात् छुआछात, दलितों विशेष तौर पर दलित महिलाओं के उत्पीड़न, दहेज, सती तथा बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराईयां व्यापक स्तर पर व्याप्त हैं। भूमण्डलीयकरण के दौर में अनेक बुराईयों में बढ़ोतरी हुई है। गरीब महिलाओं विशेष तौर पर दलित विधवाओं को डायन कह कर लताड़ा, सताया एवं पीड़ित किया जाता है; उन पर हमले किये जाते हैं। श्रमिकों की भारी संख्या विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को इन अंध विश्वासी तथा पैशाचिक हरकतों का शिकार बनाया जाता है। इसके साथ ही असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की बड़ी संख्या क्योंकि समाज की उत्पीड़ित श्रेणियों से सम्बन्ध रखती है और कामकाजी महिलाएं जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों का एक बहुत बड़ा भाग हैं, को दोहरे उत्पीड़न एवं शोषण का शिकार बनाया जाता है। यह एक अत्यंत संवेदनशील मुद्दा है किन्तु हम इन रुझानों को देख कर भी हाथ पर हाथ धर कर बैठ नहीं सकते; हमें अपनी उदासीनता से बाहर निकलना होगा क्योंकि इस तरह की प्रतिगामी सामाजिक बुराईयां श्रमिक वर्ग की जागरूकता के स्तर को ऊंचा करने के मार्ग में रुकावट पैदा करती हैं। हमें अपने सदस्यों के मध्य वैज्ञानिक सोच को विकसित करने और उन्हें प्रतिगामी सामाजिक

बुराईयों तथा अंध विश्वासों से बाहर निकालने के लिये धैर्य से काम करना होगा।

68. उत्तर प्रदेश में हाल ही में एक महिला इमराना का मामला प्रकाश में आया; यह विशेष तौर पर दुःखद है। मुसलिम धर्म गुरूओं ने इमराना का समर्थन करने की बजाए एक फतवा जारी करना उचित समझा जिसमें कहा गया था कि इमराना अब एक पत्नी के रूप में अपने पति के साथ नहीं रह सकती। क्योंकि उसके ससुर ने उसके साथ बलात्कार किया था इसलिये उन दोनों का सम्बन्ध बदल गया है। हरियाणा तथा देश के दूसरे राज्यों में भी जातिवादी पंचायतों की ओर से महिलाओं के निजी जीवन तथा सम्बन्धों में दखल देने और मनमाने निदेश दिये जाने के अनेक मामले हुए हैं। आंध्र प्रदेश में उन लड़कियों का मामला भी प्रकाश में आया है जिनका बाल विवाह कर दिया गया किन्तु बालग होने पर उन्होंने पतियों से तलाक के लिये अर्जी दे दी थी। उनमें से अनेक महिलाएं श्रमिक वर्ग के साथ सम्बन्ध रखती हैं और इस तरह की सामाजिक बुराईयों का असर न केवल सम्बन्धित परिवारों पर पड़ता है बल्कि सामान्य तौर पर सामाजिक जीवन भी प्रभावित होता है। यद्यपि महिला संगठनों ने इन मुद्दों को कुछ सीमा तक उठाया है फिर भी सीआइटीयू को इन सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिये स्थिति में हस्तक्षेप करना होगा।

69. जहां लोग इस तरह की विभाजक विचारधारा का शिकार हो रहे हैं वहीं इन सामाजिक रीति–रिवाजों एवं कार्य कलापों पर उंगली उठाने वाले कार्यकर्ताओं पर हमले किये जाते हैं। श्रमिकों तथा कर्मचारियों को जहां अपने दैनंदिन कार्यों के एक भाग के रूप में इन मुद्दों पर काम करना होता है वहीं उन्हें इन हमलों का निशाना बनाया जाता है। मध्य प्रदेश में सरकार के निदेशानुसार अपने–अपने क्षेत्रों में बाल विवाहों को रोकने वाली एक आइसीडीएस सुपरवाइजर शकुंतला वर्मा तथा उसके जैसी अनेक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर हमले किये गए; इन घटनाओं से यही संकेत मिलता है कि इन थोथे रीति–रिवाजों की जड़े हमारे समाज में कितनी गहरी हैं। विशेष तौर पर हिन्दी भाषी राज्यों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को उस समय इन हमलों का निशाना बनाया जाता है जब वे इस योजना से लाभ उठाने वाले लोगों के पास जाकर नवजात शिशुओं का वजन करतें हैं; पल्स पोलियों कार्यक्रम चलाते हैं और एचआइवी/एडज़ इत्यादि के खिलाफ लोगों में जागरूकता लाने का काम करते हैं।

70. एक क्रांतिकारी श्रमिक संगठन के रूप में सीआइटीयू को न केवल आर्थिक तथा कामकाजी स्थलों की समस्याओं से दो–चार होना पड़ता है बल्कि उसे कामकाजी एवं रिहायशी दोनों क्षेत्रों में जाकर सामाजिक मुद्दे भी उठाने होते हैं। इस मामले में धैर्य से काम करने की जरूरत है; इसका निश्चित रूप से श्रमिक वर्ग के भीतर सामाजिक तौर पर दबी–कुचली श्रेणियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ हम सरकार को इस बात की अनुमति कतई नहीं दे सकते कि वह बाल विवाह जैसी गहराई तक फैली सामाजिक बुराईयों को दूर करने के काम का बोझ अथवा जिम्मेदारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सुपरवाइजर्स जैसे छोटे कर्मचारियों के कंधों पर डाल दे जैसा कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। हमारी यूनियनों तथा राज्य समितियों को सम्बन्धित श्रमिकों एवं कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिये इस प्रकार के मुद्दों पर तत्काल हस्तक्षेप करना होगा।

काम का अधिकार

71. अगरतला बैठक में लिये गए निर्णय के अनुसार हमने 12–13 मार्च, 2005 को कोलकाता में 'काम के अधिकार' पर एक विशाल सम्मेलन का आयोजन किया था।

72. बेरोजगारी की समस्या पर ध्यान केन्द्रित किये जाने के उद्देश्य से सीआइटीयू द्वारा आयोजित यह दूसरा सम्मेलन था; इस सम्मेलन में बेरोजगारी की समस्या की भयावहता तथा इसके बढ़ते ही चले जाने की संवृत्ति पर गहरा विचार विमर्श किया गया था। पहले सम्मेलन का आयोजन वर्ष 1990 में दुर्गापुर में किया गया था।

73. हमने राष्ट्रीय सम्मेलन के दस्तावेजों का अंग्रेजी तथा हिन्दी भाषाओं में प्रकाशन किया है जो आगामी अभियान चलाने व कार्रवाई करने में हमारे लिये मार्गदर्शक की भूमिका निभाएगा।

74. यह दस्तावेज हमारी सम्बद्ध यूनियनों तथा भ्रातृ यूनियनों के कार्यकर्ताओं के पास पहुंचे और इसके अतिरिक्त इन में निर्दिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये कार्यवाई किये जाने की योजनाएं बनाई जाएं इसके लिये हम

सीआइटीयू की राज्य समितियों से इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध करते हैं।

संयुक्त संघर्ष

75. सीआइटीयू की कार्य समिति ने फैसला किया था कि हम देश भर में मेहनतकश अवाम की विशाल लामबंदियों के लिये श्रमिक संघों की प्रायोजन समिति तथा राष्ट्रीय जन संगठन मंच को गतिशील बनाने के लिये गम्भीरता पूर्वक प्रयास करेंगे।

76. केन्द्रीय श्रमिक संगठनों की एक बैठक का आयोजन 3 फरवरी, 2005 को नयी दिल्ली में किया गया था; उस बैठक में 26 फरवरी, 2005 को राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन करने तथा 9 जुलाई, 2005 को श्रमिक संघों के एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करने का फैसला किया गया था। बैठक में 16 सूत्रीय मांग पत्र को भी अंतिम रूप दिया गया था।

77. राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 10 जुलाई, 2005 को मावलंकर सभागार, नयी दिल्ली में किया गया। सम्मेलन में सर्वसम्मति से एक घोषणा पत्र पारित किया गया और देशव्यापी कार्रवाई के लिये अधोलिखित कार्यक्रम तैयार किया गया:

78. मावलंकर सभागार में 10 जुलाई, 2005 को आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में सर्वसम्मति से एक घोषणा पत्र पारित किया गया और अधोलिखित देशव्यापी कार्यक्रम के अनुसार संघर्ष चलाने का आह्वान किया गया:

- 20 जुलाई से लेकर 20 अगस्त 2005 तक: राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय तथा सेक्टरवार सम्मेलनों का आयोजन करना।
- 27 अगस्त से 7 सितम्बर 2005 तक: सभी कामकाजी सीलों, औद्योगिक केन्द्रों में प्रदर्शनों, रैलियों तथा धरनों का अयोजन। इन कार्यक्रमों की चरम परिणति राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय रैलियों के रूप में होगी।
- 15 सितम्बर 2005: राष्ट्रीय लामबंदी दिवस मनाना और हड़ताल के नोटिस देना।
- 29 सितम्बर 2.005: देशव्यापी हड़ताल।

79. हमने सूचना दस्तावेज के रूप में इस घोषणा पत्र का प्रकाशन किया है (अनुलग्निका–2); श्रमिक वर्ग की सभी श्रेणियों में जहां तक सम्भव हो सके व्यापक स्तर पर अभियान चलाने के लिये इसका उपयोग किया जा सकता है।

80. हमें सभी राज्यों तथा विभिन्न क्षेत्रों में संघर्ष के कार्यक्रम चलाने होंगे; उन कार्यक्रमों में अधिकाधिक श्रमिक संघों की भागीदारी के लिये प्रयास करना होगा।

81. कुछ केन्द्रीय श्रमिक संगठनों के संकोच के चलते हमारे लिये राष्ट्रीय जन संगठन मंच को फिर से सक्रिय करना सम्भव नहीं है; यह बात हम खुले रूप में स्वीकार करते हैं। यदि इस बारे में किसी तरह की कोई गलतफहमी है तो हम उसे दूर करने के लिये लगातार प्रयास करते रहेंगे और एनपीएमओ के झण्डे तले श्रमजीवी जनता को लामबंद करने के लिये सिरतोड़ यत्न करते रहेंगे।

82. हमने इस अवधि में स्वतंत्र रूप से अनेक अभियान चलाए हैं और आंदोलन तथा संघर्ष किये हैं। हमारी राज्य समितियां तथा औद्योगिक महासंघ भी लगातार श्रमिकों के साथ सम्बन्ध रखने वाले तात्कालिक मुद्दों पर संघर्ष के पथ पर आगे बढ़ते चले गए हैं। अलग से दी गई गतिविधियों की रिपोर्ट में इन सभी मुद्दों पर विस्तार में विचार किया गया है। अनेक गतिविधियां ऐसी भी हो सकती हैं जिनकी चर्चा हमने सम्बन्धित क्षेत्रों से रिपोर्ट नहीं मिलने के कारण इसमें नहीं की है। हमारा विश्वास है कि राज्य समितियां तथा औद्योगिक महासंघ इस मामले में भविष्य में अधिक सजग रहेंगे और वे सीआइटीयू केन्द्र को संघर्षों के समाचार समय पर भेजेंगे।

सदस्यता के बारे में

83. सीआइटीयू की राज्यवार सदस्य संख्या की स्थिति का उल्लेख अनुलग्निका ᒼ में किया गया है; उसे देखने से पता चल जाता है कि वर्ष 2003 के लिये लगभग 50 प्रतिशत रिटर्नें भेजी नहीं गईं जबकि 17 लाख से अधिक श्रमिक इनके अन्तर्गत आते हैं। सीआइटीयू संविधान के अनुसार वर्ष 2004 के लिये रिटर्नें तथा उनकी

राशि 30 जून, 2005 तक जमा करा दी जानी चाहिये थी। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा त्रिपुरा को छोड़ कर और किसी दूसरी राज्य समिति ने इस सम्बन्ध में जरूरी कार्रवाई नहीं की है। यह एक अशांत कर देने वाला पहलू है। सीआइटीयू केन्द्र को धनाभाव जैसी स्थिति से दो–चार होना पड़ रहा है – क्योंकि उसके लिये धन प्राप्ति का एकमात्र यही स्रोत है। इसके अतिरिक्त, सीआइटीयू केन्द्र वार्षिक रिटर्नों के आधार पर सदस्यता की स्थिति का समुचित विश्लेषण नहीं कर पा रहा अथवा वह सदस्य संख्या के धोषित लक्ष्य को पाने की दिशा में प्रगति करने में विफल रहने की समस्याओं से निपटने और इसके कारणों की समीक्षा करने के मामले में असमर्थ है। वर्तमान में जो स्थितियां हैं वे सांगठिन प्रसार के लिये हमें अनेकानेक अवसर सुलभ कराने वाली हैं और हम इसके लिये पूरी गम्भीरता के साथ प्रयास करें, यही इस स्थिति की मांग है; यह बात हमने पिछली रिपोर्ट में भी कही थी। हमारी राज्य समितियों ने नये–नये क्षेत्रों में जाकर श्रमिकों के साथ सम्पर्क स्थापित करने और नये सदस्यों की भर्ती करने के मामले में कोशिशें की हैं या नहीं, हम इस बारे में कुछ भी कह सकने की हालत में नहीं हैं।

84. खेद का विषय है कि उपरोक्त पृष्ठभूमि में न्यूनाधिक किसी भी राज्य समिति ने अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं किया है; त्रिपुरा और अण्डेमान, गोआ, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, छत्तीसगढ़ तथा उत्तरांचल जैसे दूसरे सभी छोटे राज्य इसका अपवाद हो सकते हैं। बिहार तथा झारखण्ड की कार्य प्रणाली तो और भी दुःखद है। प्रतीत तो यही हो रहा है कि उन्हें किसी बात की कतई चिंता नहीं। आगामी महत्वपूर्ण संघर्षो को ध्यान में रखते हुए यही समय है कि हमारी राज्य समितियां इस सम्बन्ध में गम्भीरता से काम करें और वर्ष 2003 तथा 2004 के लिये अपनी रिटर्नें तथा उनका धन तत्काल जमा कराएं।

सत्यापन अथवा वेरिफिकेशन के मामले में

85. विशेष अदालती मामलों के चलते सत्यापन की वर्तमान में चल रही प्रक्रिया थम गई है; कम से कम इस समय यही प्रतीत होता है। सेवा इंटरनेशनल ने एक केन्द्रीय श्रमिक संगठन के रूप में मान्यता के लिये दावा किया था; स्थायी समिति ने इस आधार पर उसका दावा अमान्य कर दिया था कि वह निर्धारित मानदण्डों को पूरा नहीं करती। उसने मान्यता के लिये अदालत का दरवाजा खटखटाया और इसके लिये अदालत का आदेश हासिल कर लिया। समिति की ओर से सत्यापन की प्रक्रिया को निलम्बित कर दिया गया। एक बार फिर इंडियन कनफैडरेशन आफ लेबर ने कोलकाता में रिट याचिका दायर की है और उसने 'यथा स्थिति' बनाए रखने के लिये अदालत के आदेश हासिल कर लिये हैं। सीएलसी ने भी दिल्ली उच्च न्यायालय से सत्यापन का काम पूरा करने की अवधि को बढ़ा कर पांच वर्ष कर देने का आग्रह किया था। जो भी हो, रिकार्ड के सत्यापन का तीसरा चरण पूरा नहीं हुआ और मौके पर जाकर सत्यापन का काम भी नहीं किया गया। हमारे श्रमिक संघों को अपने–अपने रिकार्ड के साथ इस काम के लिये तैयार रहना होगा।

कोषों पर

86. बीटीआर कोषः बी टी रणदिवे स्मारक न्यास को दूसरे खर्चों के अलावा जमीन के किराए, सम्पत्ति कर जैसे वार्षिक खर्च अपने कोष में से करने पड़ते हैं। इस कोष के लिये धन संग्रह का काम लम्बे समय से रुका हुआ है किन्तु रख रखाव के खर्चों को पूरा करने के अलावा उपरोक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिये धन का अन्तर्वाह बहुत जरूरी है। कुछ और धन इकट्ठा करने के लिये एक और अभियान चलाया जाना चाहिये ताकि न्यास के नियमित खर्चों को पूरा किया जा सके।

87. पी राममूर्ति कोषः इसी मध्य सीआइटीयू के ग्यारहवें महाधिवेशन ने सीआइटीयू के संस्थापक महासचिव कामरेड पी राममूर्ति के नाम पर ट्रेड यूनियन शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने के लिये प्रति सदस्य एक रुपये का अंशदान देने का आह्वान किया था। अब तक इसके लिये केवल 20 लाख रुपये एकत्रित हो सके हैं जिसमें तेल एवं गैस क्षेत्र की ट्रेड यूनियन की ओर से दिया गया सात लाख रुपये का योगदान भी शामिल है। क्योंकि वर्ष 2003 के लिये सम्बद्धता शुल्क की बड़ी राशि अब भी बकाया है इसलिये हम आशा करते थे कि हम इस कोष के लिये 30 लाख रुपये से भी अधिक राशि इकट्ठी कर लेंगे। हमारी आशा है कि

इस परियोजना पर हमारा काम इसी वर्ष शुरू हो जाएगा।

88. सुनामी राहत कोषः हमने अब तक सुनामी पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिये 47.75 लाख रुपये से कुछ अधिक राशि एकत्रित की है। इस धन का उपयोग एक स्कूल तथा एक सामुदायिक भवन का निर्माण करने के लिये किया जाएगा; स्थान के बारे में भी शीघ्र फैसला कर लिया जाएगा। हम, आल चायना फैडरेशन आफ ट्रेड यूनियन्स का हार्दिक धन्यवाद करते हैं; इस कोष के लिये अकेले उसकी ओर से 32.7 लाख रुपये का योगदान दिया गया है। स्मरण रहे, हमारी पश्चिम बंगाल तथा केरल राज्य समितियों ने सीधे अपने तौर पर पीड़ित क्षेत्रों के लिये राहत सामग्री तथा अंशदान भेजा था।

विचारधारात्मक हमलों के खिलाफ संघर्ष

89. श्रमिक वर्ग राष्ट्रीय सम्पदा (उद्योग, कृषि इत्यादि), स्वदेशी उद्योगों – सार्वजनिक तथा निजी दोनों ही क्षेत्रों में, श्रमिक वर्ग, किसानों तथा समग्र रूप में श्रमजीवी जनता के हितों की रक्षा करने के लिये आर्थिक पुनर्गठन की नीतियों के खिलाफ संघर्ष कर रहा है। संगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक इस संघर्ष में प्रमुख तथा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं क्योंकि उनमें घात–प्रतिघात करने की शक्ति अधिक होती है।

90. श्रमिक वर्ग तथा श्रमजीवी जनता के बढ़ते संघर्षो को कमजोर करने के लिये शोषक वर्ग सामान्य तौर पर श्रमजीवी जनता तथा विशेष तौर पर संगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक वर्ग के खिलाफ विचारधारात्मक अभियान को तेज कर रहा है। शोषक वर्ग का उद्देश्य श्रमिक वर्ग के संघर्षो तथा अभियानों के बारे में श्रमिक वर्ग को गुमराह करना है ताकि वे इन अभियानों एवं संघर्षो का विरोध करें। वे संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों के बीच फूट डालना चाहते हैं।

91. उनका प्रमुख तर्क यही होता है कि समाज की कमजोर श्रेणियों जिनमें असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक भी शामिल हैं, के कल्याणकारी कामों के लिये संसाधनों की आवश्यकता है। जब तक वेतनभोगी श्रेणियां बलिदान नहीं देंगी तब तक ये संसाधन जिनकी जबरदस्त जरूरत है, जुटाए नहीं जा सकते। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों के शेयरों का विनिवेश करने, अर्थव्यवस्था के अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रों जो हमारी आर्थिक आत्म निर्भरता तथा राष्ट्रीय प्रभुसत्ता की रक्षा करने के लिये बहुत महत्व रखते हैं, में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को निमंत्रण देने के लिये भी वे लोग यही तर्क देते हैं। सरकार को इन श्रेणियों के कल्याण के लिये संसाधन जुटाने के समय ही इन तर्को की याद आती है। वह करों की बकाया राशियों को वसूल करने तथा बट्टेखाते पड़े धन को निकलवाने के लिये गम्भीर नहीं हैं क्योंकि ये धन खाते पीते लोगों की श्रेणियों की जेब में हैं। श्रमिक वर्ग के प्रति इन श्रेणियों का रुख शत्रुतापूर्ण है।

92. श्रमिक वर्ग आज जबकि संघर्ष के मैदान में कूद चुका है उसे श्रमजीवी श्रेणियों के सभी लोगों को अपने साथ लामबंद करने की जरूरत है; इस लामबंदी से ही उसका संघर्ष और मजबूत होगा और संघर्ष में उसकी जीत सुनिश्चित होगी। जब तक हम पूरी गम्भीरता के साथ उन लोगों के खिलाफ अभियान नहीं चलाएंगे जो परकीय अथवा प्रतिकूल विचारधारा के हमले करते हैं और हम उनके चेहरों को बेनकाब नहीं करेंगे तब तक उनके खिलाफ सफल संघर्ष चलाना हमारे लिये कठिन हो सकता है।

हमारे कार्य

93. देश में सामाजिक–राजनीतिक वातावरण अभी भी साम्प्रदायिक शक्तियों के आक्रमक हमलों के कारण विषाक्त है; इन शक्तियों को अब भी इस तथ्य की अनुभूति नहीं हुई कि वर्ष 2004 के चुनावों में जनता ने उन्हें केन्द्र की सत्ता से बेदखल कर दिया था। यद्यपि ऊपर से देखने पर संघ परिवार इस समय फूट का शिकार दिखाई देता है किन्तु ये शक्तियां समाज में साम्प्रदायिकता का जहर फैलाने के लिये हर मौके का फायदा उठा रही हैं; वे लोगों में परस्पर नफरत तथा हिंसा का वातावरण पैदा करके जनता की एकता को छिन्न–भिन्न कर देने पर आमादा हैं। साम्प्रदायिक शक्तियां अपनी कार्यसूची में नयी जान फूंक सकती हैं; वे भारतीय समाज के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को तार–तार कर सकती हैं इसलिये हमें उनकी शक्तियों को कम करके देखने और उनका कमतर आंकलन करने की भूल नहीं करनी चाहिये। हमें साम्प्रदायिक शक्तियों के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष

हमलों के खिलाफ लगातार चौकस रहना होगा; हमें इन शक्तियों को अलग–थलग करने तथा लोगों की एकता को बनाए रखने के लिये लगातार संघर्ष करना होगा; साम्प्रदायिक शक्तियां शीघ्र ही सत्ता में लौट आना चाहती हैं; वे इसके लिये हाथ पांव मार रही हैं; हमें आगे बढ़ कर उन्हें सत्ता में आने से रोकना होगा।

94. हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं कि यूपीए सरकार एनसीएमपी में दर्ज जन पक्षीय कार्य करने के मामले में नर्म रुख अपना रही है और वह आर्थिक सुधारों की विनाशकारी नीतियां का अनुसरण करना चाहती है जिनके चलते पिछली एनडीए सरकार के समय सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था की गाड़ी पटड़ी से नीचे उतर गई थी। स्थिति की मांग है कि हम जन विरोधी आर्थिक नीतियों में बदलाव लाने के लिये शक्तिशाली प्रतिरोधी जन आंदोलन चलाएं और सरकार को नीतियों की दिशा बदलने के लिये मजबूर कर दें।

95. हमें इस दोहरे काम को पूरा करने के लिये अपनी स्वतंत्र पहलकदमियों में कई गुणा वृद्धि करनी होगी और इसके साथ–साथ श्रमिक संघों की संयुक्त प्रायोजन समिति द्वारा बनाए गए संयुक्त संघर्ष के कार्यक्रम को पूरा करने के लिये आवश्यक कदम उठाने होंगे। इस सम्बन्ध में हमें दूसरे सभी श्रमिक संघों के साथ मिल कर संयुक्त आंदोलनों को विकसित करने के लिये सभी प्रकार के कदम उठाने होंगे। हमें स्वतंत्र रूप से अथवा संयुक्त रूप से 16–सूत्रीय मांग पत्र के आधार पर सघन अभियान चलाना होगा; इसे सितम्बर 2005 तक निरंतर आगे बढ़ाना होगा और 29 सितम्बर की देशव्यापी हड़ताल की सफलता को सुनिश्चित बनाने के लिये काम करना होगा!

96. इसके अतिरिक्त, हमें नाभिकीय शस्त्रों के खिलाफ अपने आंदोलन के एक भाग के रूप में 6 तथा 9 अगस्त को हिरोशिमा तथा नगासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने की 60 वीं वर्षगांठ मनानी होगी ताकि जनता में नाभिकीय युद्ध के खतरों के खिलाफ जागरूकता लाई जा सके।

97. इसके साथ ही साथ हमें समान रूप से सीआइटीयू संगठन को मजबूत बनाने की ओर भी ध्यान देना होगा। इसके लिये हमें अधोलिखित काम करने होंगे:

- उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां हम कमजोर हैं किन्तु हमारे आगे बढ़ने की सम्भावनाएं हैं; स्वतंत्र अभियानों तथा संघर्षों को तशणमूल स्तर तक ले जाना और उन्हें श्रमजीवी जनता की दूसरी श्रेणियों के साथ एकजुट करना।
- सदस्य संख्या बढ़ाने के लिये अभियान चलाना और वर्ष 2005 में 40 लाख का लक्ष्य हासिल करना।
- राज्य समितियों द्वारा यूनियनों से सम्बद्धता शुल्क वसूल करने के लिये नियमित रूप से अभियान चलाना और उसे बिना देरी के सीआइटीयू केन्द्र के पास भेजना।

98. हमें शोषित वर्गों की ओर से चलाए जाने वाले निंदा अभियानों तथा हमलों के खिलाफ सुनियोजित ढंग से विचारधारात्मक संघर्ष चलाना होगा!

आप सब साथियों के अभिवादन के साथ!

चित्तब्रत मजुमदार
महासचिव

भारतीय ट्रेड यूनियन केन्द्र

जनरल कौंसिल बैठक

23–26 जुलाई, 2005

अलेपी, केरल

कार्य रिपोर्ट

सीआइटीयू सचिवमण्डल की ओर से अगरतला (त्रिपुरा) में 3–5 दिसम्बर, 2004 को आयोजित कार्य समिति की बैठक में अलग से कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी।

अलग रिपोर्ट प्रस्तुत करने का उद्देश्य आयोजित कार्यक्रमों, उठाए गए मुद्दों तथा केन्द्र से लेकर राज्यों तथा फैडरेशनों तक सभी स्तरों पर की गई लामबंदियों के बारे में थोड़ा विस्तार में चर्चा करना है; नासिक में (17–20 जुलाई, 2004) आयोजित जनरल कौंसिल की पिछली बैठक में हमने अपने लिये कुछ विशेष कार्यो का निर्धारण किया था; यह काम उसके बाद किया गया था।

नासिक की जनरल कौंसिल की बैठक में महासचिव की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट में हमने अपने लिये सात–सूत्रीय कार्यो का निर्धारण किया था। इनमें सामान्य तौर पर उन्हीं मुद्दों तथा उन जन–पक्षीय कदमों जिन्हें उठाने का वादा एनसीएमपी में किया गया है, को लेकर स्वतंत्र रूप से आंदोलन चलाने एवं जन–लामबंदियां करने पर बल दिया गया था। इसके साथ ही साथ हमने अपने लिये एक और काम का निर्धारण भी किया था। यह काम था–भारत सरकार की जन–विरोधी आर्थिक नीतियों के खिलाफ अभियान का नेतश्त्व करने के लिये एनपीएमओ तथा प्रायोजन समिति को सक्रिय करना।

'काम का अधिकार' विषय पर एक विशाल अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन करना हमारा प्रमुख तात्कालिक अधिकार था। राज्यों में ट्रेड यूनियन स्कूल लगाने जिनमें कम से कम हमारे सम्बद्ध श्रमिक संघों की कार्य समितियों के सदस्यों को शामिल किया जाए, के काम को नासिक जनरल कौंसिल बैठक में विशेष तौर पर रेखांकित किया गया था। साम्प्रदायिकता विरोधी संघर्ष हमारे लिये महत्वपूर्ण काम है; आशंका व्यक्त की गई थी कि एनडीए की पराजय के फलस्वरूप हमारी गतिविधियों के इस पहलू से ध्यान हट सकता है।

नासिक जनरल कौंसिल बैठक के केवल छःह महीने बाद अगरतला में कार्य समिति की बैठक हुई; उस बैठक में उन्हीं कार्यो तथा कार्यक्रमों को फिर से दोहराया गया था, किन्तु इस बार उनमें जोर देकर कामकाजी महिलाओं, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों तथा खेतिहर श्रमिकों के हित में काम करने के लिये कहा गया था। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना एक ऐसा क्षेत्र है, जिसके लिये लगातार अभियान चलाने का निश्चय किया गया था।

नयी राजनीतिक स्थिति बनने के बाद हमारे सामने व्यापक रूप से यही कार्य थे और हमारी गतिविधियों में कुछ गुणात्मक एवं गणात्मक परिवर्तन होना अनिवार्य हो गया था। हमारे कार्यो के इन पहलुओं को रेखांकित करते हुए यह माना गया कि हमारे कार्य जहां आंदोलन को गतिशील बनाने के लिये हों वहीं उसमें नयी सफूर्ति पैदा करने वाले हों; उनकी प्रकृति में ये दोनों बातें शामिल हों। विशेष तौर पर उस समय जब वर्तमान राजनीतिक परिदृष्य में हमारे सामने जन–पक्षीय प्रतिबद्धताओं को वास्तविकता में बदलने के लिये आंदोलन एवं संघर्ष चलाने और जन–विरोधी कार्रवाईयों का विरोध किये जाने के साथ–साथ साम्प्रदायिक एवं विभाजक शक्तियों को

अलग–थलग करने का सर्वोपरि कार्य मुंह बांए खड़ा था। स्थिति की मांग है कि हम गतिशील होकर श्रमिक वर्ग, खेतिहर श्रमिकों, कामकाजी महिलाओं तथा कर्मचारियों, शिक्षकों के मुद्दों को हाथ में लें; उनके लिये संघर्ष करें; बेरोजगार लोगों के लिये भी हमें लड़ना होगा, इसमें संदेह नहीं; हमें इन सभी प्रश्नों को लेकर एक शक्तिशाली आंदोलन का निर्माण करना होगा ताकि इससे वर्तमान में व्याप्त राजनीतिक स्थिति में जन–पक्षीय ताकतों को और अधिक मजबूती मिले।

इसके साथ ही साथ, हमें सरकार के सभी जन–विरोधी एवं राष्ट्र–विरोधी कदमों एवं कार्रवाईयों को विफल बनाने के लिये निडर होकर तेजी से संघर्ष की कार्रवाईयां करनी होंगी और विधायी निकायों के भीतर तथा बाहर एक सच्चे प्रतिपक्ष के रूप में लोगों का विश्वास जीतना होगा।

हमारे कंधों पर यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। किन्तु अपनी सफलताओं एवं विफलताओं का विश्लेषण करने से पूर्व हम अगरतला कार्य समिति की बैठक के बाद पिछले छःह मास की अपनी गतिविधियों पर एक नज़र डालेंगे जो इस प्रकार है।

अखिल भारतीय आंदोलन

काम का अधिकारः काम का अधिकार विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 12–13 मार्च, 2005 को युवा भारती (साल्ट लेक) स्टेडियम, कोलकाता में समुचित ढंग से किया गया।

नासिक जनरल कौंसिल बैठक द्वारा बेरोजगारी की अत्यंत गम्भीर स्थिति को अनुभव करते हुए बल दिया गया था कि सीआइटीयू को एक मौलिक अधिकार के रूप में काम के अधिकार के लिये संघर्ष का नेतश्त्व करना चाहिये; यह एक अनिवार्य कार्य है। अगरतला कार्य समिति की बैठक में भी यही दोहराया था कि हमारे लिये यह एक बहुत बड़ा काम है। उसने यह फैसला भी किया था कि 'काम के अधिकार' पर सम्मेलन के आयोजन के बाद भी 'काम के अधिकार' के लिये आंदोलन को हम अपनी नियमित कार्यसूची में से नहीं निकालेंगे जैसा कि वर्ष 1990 में दुर्गापुर में आयोजित सम्मेलन के बाद हुआ था। बेरोजगारी की समस्या और अधिक भयानक हो चुकी है और बालग बेराजगारी में तीखी वृद्धि होने के कारण इस समस्या के अनेक नये पहलू सामने आ रहे हैं और इसके साथ ही अर्ध रोजगारी तथा अच्छी गुणवत्ता वाले कामों के नहीं मिलने तथा खराब कामकाजी स्थितियां अब एक साधारण–सी बात बन चुकी हैं।

इसी पृष्ठभूमि में कोलकाता सम्मेलन का आयोजन सफलता के साथ किया गया और इसमें भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया। देश भर से सीआइटीयू के नेतश्त्वकारी साथियों और उसके साथ–साथ बैंकों, बीमा उद्योग में सक्रिय स्वतंत्र श्रमिक संघों तथा राज्य एवं केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी महासंघों पर आधारित 735 प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। रक्षा उद्योग तथा उपक्रमों और उनके साथ–साथ टेलीकाम, औषध एवं अन्य क्षेत्रों (सेक्टर्स) के प्रतिनिधियों ने भी सम्मेलन में भाग लिया था। किसानों, खेतिहर श्रमिकों, छात्रों, युवाओं तथा महिला संगठनों के नेतश्त्व ने भी इस सम्मेलन में शिरकत की थी।

यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है और हमारे कंधों पर यह काम करने की जिम्मेदारी आ जाती है कि हम इसके लिये जोरदार संघर्ष चलाएं और अपने इस संघर्ष की शुरूआत ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में रहने वाले बेरोजगार लोगों को 100 दिन के रोजगार की गारंटी दिलाने के लिये करें और धीरे–धीरे पूर्ण रोजगार प्राप्ति के अपने लक्ष्य को पाने की दिशा में आगे बढ़ें।

सम्मेलन के घोषणापत्र में राज्य, जिला, औद्योगिक केन्द्रों के स्तर पर चरणबद्ध ढंग से संघर्ष के कार्यक्रम चलाने का आह्वान किया गया था जिसकी परिणति संसद की ओर मार्च कार्यक्रम के रूप में होगी; हमारा लक्ष्य है–इस समस्या को लेकर एक शक्तिशाली राष्ट्रव्यापी जन–आंदोलन का निर्माण करना।

सम्मेलन के आह्वान पर सीआइटीयू द्वारा पहलकदमी किये जाने के फलस्वरूप दूसरे जन संगठनों को साथ लेकर 28 मार्च, 2005 को देश भर में 'बेरोजगारी विरोधी दिवस' मनाया गया; इस अवसर पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किये गए। सीआइटीयू केन्द्र को प्राप्त कुछ समाचार इस प्रकार हैं:–

आंध्र प्रदेशः सभी जिलों में बेरोजगारी विरोधी दिवस 28 मार्च को मनाया गया। विभिन्न रूपों में विरोध की कार्रवाईयां की गई। बूट पालिश करने, सड़कों की सफाई, रास्ता रोको, धरनों तथा मानव श्रृंखला बनाने जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

पंजाबः अमृतसर, संगरूर, लुधियाना, पटियाला, भटिंडा, चण्डीगढ़, बटाला, होशियारपुर, डेराबस्सी तथा दूसरे स्थानों पर रैलियों एवं प्रदर्शनों का आयोजन किया गया। साइकिल, परिवहन, ईट भट्ठा तथा दूसरे उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों ने भारी उत्साह के साथ इन कार्यक्रमों में भाग लिया।

राजस्थानः सीकर के जिला कलैक्टोरेट कार्यालय के सामने 'काम के अधिकार' की मांग को लेकर श्रमिकों तथा कर्मचारियों की ओर से विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया गया। वे ग्रामीण रोजगार गारंटी विधेयक में परिवर्तन लाने की मांग भी कर रहे थे।

त्रिपुराः राज्य के 51 उप–मण्डलों में 41 स्थानों पर प्रदर्शनों एवं रैलियों का आयोजन किया गया। अगरतला में विभिन्न क्षेत्रों से रैलियां निकाली गई जिन्होंने बाद में एक विशाल रैली का रूप ले लिया; इस रैली में दस हजार से अधिक श्रमिकों तथा कर्मचारियों ने भाग लिया। सीआइटीयू के अतिरिक्त यूटीयूसी, टीयूसीसी, डीवाइएफआइ, बेफी, एडवा तथा दूसरे संगठनों के नेताओं ने भी रैली को सम्बोधित किया।

पश्चिम बंगालः श्रमिक संघों ने किसानों, युवाओं, महिलाओं के संगठनों के साथ मिल कर 'सब के लिये रोजगार' कार्यक्रम का नेतश्त्व किया। उनकी ओर से 28 मार्च को कोलकाता तथा दूसरे सभी जिला मुख्यालयों और उनके साथ–साथ सभी औद्योगिक केन्द्रों एवं राज्य के सभी महत्वपूर्ण नगरों में सम्मेलनों, प्रदर्शनों, रैलियों, जुलूसों का आयोजन किया गया।

हिमाचल प्रदेशः जिला स्तरों पर लामबंदी की गई। शिमला में सभी श्रमिक संघों तथा जन संगठनों की ओर से एक संयुक्त रैली का आयोजन किया गया।

इसके साथ ही असम से भी काम के अधिकार पर जिला स्तरीय सम्मेलनों का आयोजन किये जाने के समाचार मिले हैं। हरियाणा में, 31 जुलाई, 2005 को राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किये जाने का फैसला किया गया है।

इसी मध्य राष्ट्रीय सम्मेलन की कार्रवाई, पृष्ठभूमि आलेख, घोषणापत्र तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी विधेयक 2004 पर आधारित राष्ट्रीय सम्मेलन के दस्तावेजों को अंग्रेजी तथा हिन्दी भाषाओं में प्रकाशित किया जा चुका है। सभी राज्य समितियों तथा सम्बद्ध यूनियनों से अनुरोध किया जाता है कि वे इस प्रश्न पर देशव्यापी अभियान चलाते समय जहां तक सम्भव हो सके उनका प्रचार–प्रसार करें।

पेटैंट अध्यादेश

दिसम्बर 2004 में लागू किये गए पेटैंट अध्यादेश के खिलाफ विरोध की कार्रवाईयों और उनमें जन भागीदारी की दृष्टि से जनता एवं श्रमिक वर्ग का भारी प्रत्युत्तर मिला है। प्राप्त समाचारों के अनुसार श्रमिक संघों विशेष तौर पर सीआइटीयू के साथ सम्बद्ध श्रमिक संघों की ओर से जन प्रतिरोध की इन कार्रवाईयों का नेतृत्व किया गया तथा उनके द्वारा पहलकदमी किये जाने के फलस्वरूप विभिन्न जन संगठनों, विशेषज्ञ दलों, कारोबारी लोगों को इस प्रतिरोधी आंदोलन की पंक्तियों में शामिल किया जा सका। इन दुरूह विषयों को समझ पाना जन साधारण के लिये कठिन है। सीआइटीयू केन्द्र, राज्य समितियों तथा यूनियनों ने इस अभियान का नेतश्त्व करने और जन साधारण को शिक्षित करने के मामले में संतोषजनक कार्य किया है जिसका जन साधारण तथा सरकार पर प्रभाव पड़ा है; यह एक उल्लेखनीय तथ्य है। अंतत पेटैंट विधेयक को पारित कराते समय सरकार को वामपक्षी दलों द्वारा प्रस्तुत अनेक संशोधनों पर सहमत होना पड़ा था जिसके फलस्वरूप कुछ सीमा तक उत्पादों पर आधारित पेटैंट व्यवस्था के दुष्प्रभावों को कम किया जा सका था। इस सम्बन्ध में संघर्ष के लिये जो कार्यक्रम चलाए गए थे, उनकी रिपोर्ट इस प्रकार हैः

असमः श्रमिक संघों तथा कर्मचारी महासंघों (फैडरेशनों) की ओर से 26 फरवरी, 2005 को गुवाहाटी में इस अध्यादेश के खिलाफ एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। इससे पूर्व 20 जनवरी, 2005 को गुवाहाटी में एक संयुक्त सम्मेलन का आयोजन भी किया गया जिसमें श्रमिक संघों के अलावा बैंक एवं बीमा उद्योग में सक्रिय कर्मचारियों के स्वतंत्र महासंघों और एफएमआरएआइ की ओर से सैंकड़ों प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

छत्तीसगढ़: सीआइटीयू तथा दूसरे जन संगठनों के आह्वान पर रायपुर में 27 फरवरी, 2005 को एक विशाल सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन को सभी संगठनों तथा एफएमआरएआइ के बरिष्ठ नेताओं ने सम्बोधित किया और इस विषय पर विस्तार में प्रकाश डाला। तत्पश्चात् जिला स्तरीय सम्मेलनों का आयोजन 7 मार्च, 2005 को किया गया।

दिल्लीः पेटैंट अध्यादेश के खिलाफ 11 फरवरी को एक सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें सीआइटीयू, एआइसीसीटीयू, टीयूसीसी तथा यूटीयूसी के बरिष्ठ नेताओं के साथ–साथ बुद्धिजीवियों एवं दूसरे कारोबारी लोगों सहित 300 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन की ओर से 26 फरवरी को संसद के आगे प्रदर्शन करने का फैसला किया गया। 26 फरवरी को 10,000 से अधिक श्रमिकों, कर्मचारियों, किसानों, युवाओं, छात्रों, बुद्धिजीवियों, कारोबारी लोगों ने पटेल चौक संसद मार्ग पर जबरदस्त प्रदर्शन किया और बाद में लोक सभा अध्यक्ष को एक ज्ञापन भेंट किया गया।

गुजरातः श्रमिक संघों तथा दूसरे जन संगठनों की ओर से 11 फरवरी, 2005 को भावनगर में एक संयुक्त सम्मेलन का आयोजन किया गया। राजकोट में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। श्रमिक संघों तथा दूसरे जन संगठनों के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने 26 फरवरी, 2005 को भावनगर, राजकोट, अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा तथा दूसरे शहरों में प्रदर्शन किये तथा गिरफ्तारियां दीं।

हिमाचल प्रदेशः सीआइटीयू की पहलकदमी पर पेटैंट अध्यादेश के खिलाफ एक जन मंच की स्थापना की गई। शिमला में पांच फरवरी को एक विशाल सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें श्रमिक संघों के अलावा बैंक, बीमा उद्योग में सक्रिय कर्मचारियों के महासंघों, मेडिकल सेल्स रिपर्जेंटेटिव्स, केन्द्रीय एवं राज्य सरकारी कर्मचारियों और उनके साथ–साथ एसएफआइ, डीवाइएफआइ, किसान सभा, जेएमएस एवं दूसरे संगठनों के प्रतिनिधियों ने भारी संख्या में भाग लिया। बरिष्ठ नेताओं ने विस्तार में इस विषय पर चर्चा की और 26 फरवरी को शिमला तथा प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन करने का फैसला किया गया। इस कार्यक्रम को भारी सफलता मिली।

शिमला, मण्डी, चम्बा, सोलन, कांगड़ा, हमीरपुर, सिरमौर, सुन्दर नगर, भावा नगर इत्यादि स्थानों में 26 फरवरी को विशाल रोष प्रदर्शनों का आयोजन किया गया।

मध्य प्रदेशः सीआइटीयू की पहलकदमी पर पेटैंट अध्यादेश के खिलाफ राजधानी भोपाल में एक विशाल सम्मेलन का आयोजन किया गया। तत्पश्चात् आठ जिलों में स्थानीय स्तर पर सम्मेलनों का आयोजन किया गया।

पंजाबः चण्डीगढ़ के मटका चौक में 5000 श्रमिकों तथा कर्मचारियों की ओर से 1 फरवरी, 2005 को अध्यादेश के खिलाफ प्रदर्शन किया गया जिसे कामरेड बासुदेव आचार्य तथा सीआइटीयू के बरिष्ठ नेताओं ने सम्बोधित किया। चण्डीगढ़ में ही श्रमिकों तथा दूसरे जन संगठनों की ओर से 6 फरवरी, 2005 को एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में नेताओं की ओर से पेटैंट अध्यादेश के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया और पेटैंट अध्यादेश के खिलाफ प्रस्तावित रैली के लिये 3000 कार्यकर्ताओं को दिल्ली भेजने का फैसला किया गया।

उत्तर प्रदेशः भारतीय पेटैंट अधिनियम में तीसरे संशोधन को निरस्त करने की मांग को लेकर हजारों श्रमिकों की ओर से राज्य की राजधानी लखनऊ तथा दूसरे प्रमुख औद्योगिक केन्द्रों में एकत्रित होकर प्रदर्शन किये गए। लखनऊ में विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया गया।

पश्चिम बंगालः कोलकाता के नेताजी सुभाष इंस्टीच्यूट हाल में एक संयुक्त सम्मेलन का आयोजन किया गया। श्रमिकों को आह्वान किया गया कि वे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों तथा साम्राज्यवादी ताकतों के धिनावने हथकण्डों और भारत सरकार द्वारा उनके आगे आत्मसमर्पण किये जाने के खिलाफ संघर्ष करें। सम्मेलन में सीआइटीयू, एटक,

ऐक्टू, यूटीयूसी, यूटीयूसी (एलएस), टीयूसीसी, 12 जुलाई समिति तथा मरसेंटाइल फैडरेशन के कार्यकर्ताओं एवं नेताओं ने भाग लिया।

दूसरे अखिल भारतीय आंदोलन

सीमेंट: नयी दिल्ली में सेवायोजकों तथा सीआइटीयू, एटक, बीएमएस, एचएमएस एवं इंटक इत्यादि पांच केन्द्रीय श्रमिक संगठनों के बीच 26 अप्रैल, 2005 को मुख्य श्रम आयुक्त के सामने राष्ट्रीय स्तर पर एक वेतन समझौता हुआ। जो श्रमिक दूसरे पंचाट निर्णय के अन्तर्गत आते हैं उन्हें इस समझौते के फलस्वरूप विशुद्ध रूप में 1335 रुपये का लाभ होगा और अंतरिम समझौते की 215 रुपये की राशि भी उन्हें उपलब्ध होगी। यह समझौता सभी केन्द्रीय श्रमिक संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से की गई पहलकदमी की पृष्ठभूमि में सम्पन्न हो सका है।

बीएचईएल: यूपीए सरकार की ओर से बीएचईएल के 10 प्रतिशत शेयरों का विनिवेश किये जाने सम्बन्धी लिये गए निर्णय के खिलाफ बीएचईएल की सभी इकाईयों में सहज स्वाभाविक विरोध की लहर दौड़ गई। प्रमुख रूप से सीआइटीयू की पहलकदमी पर 27 मई, 2005 को श्रमिकों द्वारा विरोध प्रदर्शनों का आयोजन किया गया। इससे पूर्व 24 जनवरी को भारी उद्योग मंत्री को उस समय बीएचईएल श्रमिकों के भारी रोष प्रदर्शन का सामना करना पड़ा था जब वह हरिद्वार आए थे। सीआइटीयू की पहलकदमी के फलस्वरूप सभी यूनियनों की ओर से बीएचईएल की सभी इकाईयों में 27 जून, 2005 तक की अवधि में संयुक्त विरोध प्रदर्शनों का आयोजन किया जा सका; इंटक से सम्बद्ध यूनियनों की ओर से भी इन प्रदर्शनों में भाग लिया गया। कुछ स्थानों पर अधिकारियों ने भी विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया और उनके द्वारा अलग से भी विरोध प्रदर्शन किये गए।

कोयला: आशा की जाती थी कि सातवें राष्ट्रीय कोयला श्रमिक वेतन समझौते (NCWA-VII) पर 29–30 मई, 2005 को कोयला उद्योग के लिये संयुक्त द्विपक्षीय समिति (जेबीसीसीआइ) की बैठक में हस्ताक्षर हो जाएंगे। कोयला मंत्री के स्तर पर सचिव, कोल तथा चेयरमैन सीआइएल की उपस्थिति में 3 मई, 2005 को प्रमुख मतभेद सुलझा लिये गए थे।

किन्तु 29–30 मई की बैठक इसमें नाकाम रही। न्यूनतम गारंटीशुदा लाभ, NCWA-VI में रोजगार पर अनुच्छेदों को कार्यरूप दिये जाने, निजी खदानों के श्रमिकों को भी समझौते की परिधि में लाने; नियमित रोजगार के स्थान पर संविदाकरण, आउटसोर्सिंग, वेतन भोगी रोजगार तथा आकस्मिक रोजगार समाप्त करने जैसे मामलों में मतभेद बने रहे। सभी पांचों फैडरेशनों ने 31–5–2005 को संयुक्त रूप से हड़ताल का नोटिस दिया गया और पूरे कोयला उद्योग में 18 जुलाई, 2005 से सात दिवसीय हड़ताल की जा रही है। हड़ताल को सफल बनाने के लिये जोरदार तैयारियां की जा रही हैं।

इसी मध्य भारतीय कोलियरी मजदूर सभा (सीएमएसआइ) की ओर से ईसीएल मुख्यालय पर एक विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया गया और अपनी बारह सूत्रीय मांगों को लेकर सांकेतिक हड़ताल करने के लिये 23 जून, 2005 को हड़ताल का नोटिस दिया गया। मांग पत्र में राष्ट्रीय स्तर की मांगें, स्थानीय मांगें, रोजगार के मामले, भविष्य निधि धन के प्रबंधन के मामले में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुप्रबंधन, चोरियों और भ्रष्ट कार्रवाईयों के विरोध में और उनके साथ–साथ सुरक्षा, पेय जल तथा दूसरी सुविधाओं से जुड़ी मांगे भी शामिल की गई हैं। हड़ताल लगभग सम्पूर्ण रही।

ईंट का भट्ठा उद्योग: सीआइटीयू के नेतृत्व में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के हजारों भट्ठा मजदूरों ने 13 दिसम्बर, 2004 को पटेल चौक, नयी दिल्ली में संसद के आगे जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की ओर से तीन प्रमुख मांगें उठाई गई जो इस प्रकार हैं: (1) ईंट के भट्ठों में फलाई एश का उपयोग किये जाने से सम्बन्धित अधिसूचना को तत्काल वापस लिया जाए; (2) श्रम कानूनों को लागू किया जाए और (3) बंद पड़े भट्ठों के श्रमिकों को राहत दी जाए। उनकी ओर से पर्यावरण मंत्री को एक ज्ञापन भी भेंट किया गया।

सीआइटीयू के नेतश्त्व और संघर्ष की इस कार्रवाई के फलस्वरूप ईंट बनाने में फलाई एश का उपयोग को अनिवार्य कर देने के लिये जारी अधिसूचना के चलते ईंट के हजारों भट्ठों के बंद हो जाने के कारण अपने रोजगार

खो देने वाले लाखों भट्ठा मजदूरों में नयी आशा ने जन्म लिया है।

<u>विद्युत:</u> अगरतला कार्य समिति की बैठक के तत्काल बाद केन्द्रीय स्तर पर नयी दिल्ली में 10 दिसम्बर, 2004 को विशाल संयुक्त प्रदर्शन किया गया। इस प्रकार विद्युत कर्मचारियों की ओर से देश भर में प्रदर्शन किये गए। इसका आह्वान श्रमिक संघों तथा सभी सम्बद्धताओं वाले इंजीनियरों के संगठनों पर आधारित विद्युत श्रमिकों तथा इंजीनियरों की राष्ट्रीय समन्वय समिति की ओर से किया गया था। उनकी ओर से मांग की गई थी कि विद्युत अधिनियम, 2003 की तत्काल समीक्षा की जाए और विद्युत बोर्डों का बिस्तर गोल कर देने के लिये उठाए जा रहे सभी कदम वापस लिये जाएं। रैली में यूपीए सरकार को विद्युत अधिनियम, 2003 की समीक्षा करने के बारे में एनसीएमपी में उसकी ओर से व्यक्त की गई प्रतिबद्धता की याद दिलाई गई। सरकार को चेतावनी दी गई कि यदि वह अपनी प्रतिबद्धता पर पूरी नहीं उतरी तो श्रमिकों की ओर से उसके खिलाफ हड़ताल की संयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

विद्युत उद्योग में 31 मई तथा 1 जून, 2005 को दो दिवसीय हड़ताल का आयोजन करने में सीआइटीयू की ओर से नेतृत्वकारी भूमिका निभाई गई थी। श्रमिकों तथा इंजीनियरों के सभी 6 अखिल भारतीय महासंघों (फैडरेशनों) द्वारा सरकार को नोटिस भेज कर विद्युत अधिनियम, 2003 तथा समग्र रूप में विद्युत नीति विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में बिजलीकरण के लिये सब्सिडी दिये जाने के मामले की समीक्षा करने की मांग की गई।

केन्द्रीय सरकार के अस्थायी तौर पर झुकना पड़ा और उसने श्रमिक संगठनों के नेतृत्व को इस प्रश्न पर बातचीत के लिये आमंत्रित किया। इसके चलते 9 जून, 2005 से छःह मास के लिये अधिनियम को लागू किये जाने का कार्यक्रम सरकार को टाल देना पड़ा।

सीआइटीयू तथा एटक से जुड़े केरल राज्य बिजली बोर्ड (केएसईबी) के कर्मचारियों तथा अधिकारियों की एसोसिएशन द्वारा निजीकरण तथा केएसईबी का बिस्तर गोल किये जाने के खिलाफ राज्य सचिवालय के सामने दिन भर धरना दिया गया। श्रमिकों द्वारा 2 जून से हड़ताल पर चले जाने की चेतावनी भी दी गई। हड़ताल की धमकी मिलने के बाद सरकार को बिजली बोर्ड का बिस्तर गोल करने सम्बन्धी अपने फैसले से पीछे हट जाना पड़ा।

<u>सरकारी कर्मचारी:</u> आल इंडिया स्टेट गवर्नमैंट इम्पलाईज़ फैडरेशन, गवर्नमैंट इम्पलाईज़ कनफैडरेशन तथा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों एवं श्रमिकों की ओर से दिल्ली की सड़कों पर जुझारू मार्च किया गया; इस मार्च में 50,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। यह मार्च रामलीला मैदान से चला और संसद भवन के निकट पटेल चौक में पहुंच कर जन सभा के रूप में तबदील हो गया। वे मांग कर रहे थे कि 6 अगस्त, 2003 के उच्चतम न्यायालय के फैसले के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने के उद्देश्य से कर्मचारियों को हड़ताल का अधिकार प्रदान करने के लिये कानून बनाया जाए। कर्मचारियों की ओर से हड़ताल करने के अपने अधिकार की प्राप्ति के लिये हड़ताल करने की धमकी दी गई।

<u>टेलीकाम:</u> बीएसएनएल तथा एमटीएनएल के सभी कर्मचारियों तथा अधिकारियों द्वारा 8 फरवरी, 2005 को टेलीकाम सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) की ऊपरी सीमा बढ़ा कर 74 प्रतिशत किये जाने सम्बन्धी सरकार के फैसले के खिलाफ देश भर में जोरदार प्रदर्शन किये गए। इन प्रदर्शनों में कर्मचारियों तथा अधिकारियों की भागीदारी पूरे देश में यहां तक कि दूरवर्ती क्षेत्रों में भी पूर्ण रही। इसका आह्वान सभी यूनियनों की ओर से किया गया था। दिल्ली में बीएसएनएल तथा एमटीएनएल के मुख्यालयों के आगे विशाल प्रदर्शन किये गए।

<u>बैंक:</u> भारत का बैंकिंग सेक्टर अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी का प्रमुख लक्ष्य है और उसी के दबाव पर भारत सरकार इस सेक्टर में सरकार की एक्विटी को कम करने के लिये हर कदम उठा रही है; इस समय सरकार की एक्विटी 51 प्रतिशत है और इसका उद्देश्य है–इस सेक्टर का निजीकरण करना तथा निजी क्षेत्र के राष्ट्रीय बैंकों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) की सीमा बढ़ा कर 74 प्रतिशत करना। बैंक कर्मचारियों तथा अधिकारियों के संगठनों पर आधारित यूएफबीयू ने सरकार की प्रत्येक कार्रवाई के खिलाफ संघर्ष चलाने का फैसला किया है। देना बैंक में 24 जनवरी को पूर्ण हड़ताल रही ओर 7 मार्च को पीएनबी में मुकम्मल हड़ताल रही। नगरों में प्रदर्शन करके

इस आंदोलन को आगे बढ़ाया गया; ये प्रदर्शन 10 मार्च को किये गए जबकि राज्यों की राजधानियों में 16 मार्च को तथा संसद अभियान 18 मार्च, 2005 को चलाया गया। देश भर में बैंकिंग उद्योग के कर्मचारियों की ओर से 22 मार्च को मुकम्मल हड़ताल करके सरकार की नीतियों को करारा जवाब दिया गया।

196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) जिनकी देश भर में 14500 शाखाएं हैं, के 70,000 कर्मचारियों द्वारा 22 मार्च, 2005 को पूर्ण हड़ताल की गई। वे मांग कर रहे थे (1) सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को राज्य स्तर के ग्रामीण बैंकों में विलीन कर दिया जाए और (2) उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में काम करने वाले कर्मचारियों के समान सेवानिवृत्ति के लाभ दिये जाएं। उन्होंने ग्रामीण बैंकों की शाखाओं की संख्या में कमी लाए जाने की कार्रवाईयों का विरोध किया और गांवों की ऋण व्यवस्था को निजी बैंकों के भरोसे छोड़ दिये जाने की घोर निंदा भी की। मुम्बई में, हड़ताली कर्मचारियों पर लाठियां बरसाई गई; 250 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया जिनमें नाबार्ड के महासचिव भी शामिल हैं। तिरुवनंथपुरम तथा दूसरे स्थानों पर भी हड़ताली कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाईयां होने के समाचार भी मिले हैं।

<u>बगीचा</u>: बगीचा उद्योग में इस वर्ष के शुरू से उत्पादन तथा लाभ दोनों दृष्टियों से उल्लेखनीय उभार देखने को मिल रहा है। अन्तरराष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय बाजार में चाय, काफी, रबड़ तथा इलायची के मूल्यों में तीखी वृद्धि हुई है। बगीचों के मालिक पिछले वर्षों में जारी संकट की स्थिति का तर्क देकर ऋण माफी, सब्सिडी, राहत पैकेज के रूप में सरकार से करोड़ों रुपये की रियायतें और निर्यात प्रोन्नयन के लाभ हासिल करते रहे हैं। उन्हें मिलने वाले कुछ वित्तीय प्रोत्साहन वर्ष 2007 तक जारी रहेंगे।

इसके विपरीत श्रमिकों के वेतन, सेवा स्थितियां तथा जीवन स्थितियां बद से बदतर होती चली जा रही हैं। उन्हें वेतन का भुगतान नहीं किया जाता, भविष्य निधि में अंशदान जमा नहीं कराया जाता, उनके लिये समुचित आवासीय व्यवस्था नहीं की जाती, उन्हें शिक्षा तथा चिकित्सा की सुविधाएं प्रदान नहीं की जातीं, अधिकांश बगीचों के आस पास पेय जल की व्यवस्था भी नहीं की जाती। वैकल्पिक रोजगार नहीं मिलने के कारण वे भूखों मरने लग जाते हैं और भुखमरी के चलते अनेक श्रमिकों तथा उनके परिवार के सदस्यों की मश्त्यु हो जाती है।

इन परिस्थितियों में, श्रमिक बड़े संघर्षों के लिये तैयारियां कर रहे हैं। असम में 850 चाय बगीचों में काम करने वाले श्रमिकों द्वारा 18 मई, 2005 को हड़ताल की गई जो मुकम्मल रही। वे अच्छे वेतनों तथा बगीचा श्रमिक अधिनियम को लागू किये जाने की मांग कर रहे थे। बंगाल में श्रमिक जून में एक दिन की हड़ताल करने की तैयारी कर रहे थे और जुलाई से लगातार हड़ताल करने का कार्यक्रम बना रहे थे। केरल में चाय, काफी, रबड़ तथा इलायची के बगीचों में काम करने वाले श्रमिक 15 जून से हड़ताल करने की योजना बना रहे थे। तमिलनाडु में, चाय बगीचों के सम्बन्ध में वार्ता जारी थी और रबड़ निकालने वालों के लिये अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी थी। कर्नाटक में, सीआइटीयू को छोड़ कर सभी दूसरी यूनियनों की ओर से मालिकों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किये गए; समझौते के अनुसार श्रमिकों का वेतन 78 रुपये प्रति दिन निश्चित किया गया; श्रमिक इस सौदे के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। सीआइटीयू बगीचा श्रमिकों की सभी श्रेणियों में मजबूत होती चली जा रही है।

केरल में लगभग तीन लाख बगीचा श्रमिक 15 जून, 2005 से लगातार हड़ताल कर रहे हैं; वे वेतन संशोधन जो 1 अप्रैल, 2002 के बाद नहीं किया गया, करने तथा कामकाजी स्थितियों में सुधार लाने के साथ–साथ दूसरी सुविधाएं देने की मांग भी कर रहे हैं। सेवायोजकों ने 1–4–02 से लागू होने वाले नये समझौते के लिये बातचीत करने से इन्कार कर दिया है। इसके विपरीत उन्होंने परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का एक भाग अपने पास रख कर उसमें कमी कर दी है।

श्रम मंत्री के कार्यालय में बगीचा श्रम समिति में इस समस्या का समाधान करने के लिये प्रयास किये गए और यूनियनों की ओर से भी 14 जून, 2005 को मुख्यमंत्री के साथ बात करके इस समस्या को सुलझाने के लिये अंतिम प्रयास किया गया था, किन्तु इसमें सफलता नहीं मिली। सीआइटीयू, इंटक, एटक तथा बीएमएस यूनियनों द्वारा संयुक्त रूप से हड़ताल का नेतृत्व किया जा रहा है। हड़ताल सम्पूर्ण रही।

राज्यों में गतिविधियों की रिपोर्ट

आंध्र प्रदेशः अखिल भारतीय केन्द्र के आह्वान पर 6–12 मार्च, को यूपीए सरकार की नीतियों के खिलाफ 'विरोध सप्ताह' मनाया गया। इस अवसर पर 3,86,000 पैम्फलट छपा कर बांटे गए। 17 जिला समितियों की ओर से धरनों, काले बिले लगाने, सम्मेलनों एवं प्रदर्शनों के आयोजन जैसे कार्यक्रम किये गए।

कुछ महत्वपूर्ण संघर्ष:

आंगनवाड़ी: हमारी यूनियन राज्य सरकार द्वारा लिये जा रहे अतिरिक्त काम के लिये अतिरिक्त वेतन का भुगतान करने की मांग को पूरा कराने के उद्देश्य से संघर्ष कर रही है। कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के बाद लम्बे समय तक इस मुद्दे को लटकाए रखा। श्रमिकों को नियमित रूप से वेतन पाने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उनके वेतन बजट नियंत्रण के दायरे में आ चुके हैं। उन्हें महीनों से वेतन का भुगतान नहीं किया जाता।

जहां कहीं भी और जब कभी भी श्रमिकों के वेतनों की बकाया राशियों का भुगतान नहीं किया गया सीआइटीयू यूनियन ने उन्हीं जिलों में इसके लिये घोर संघर्ष किया है। सरकार पर दबाव डालने के लिये दो राज्यव्यापी कार्यक्रम किये गए। तेरह दिसम्बर को कलैक्टोरेट के कार्यालयों पर 35 हजार श्रमिकों ने धावा बोल दिया। मार्च 2005 में विधान सभा अधिवेशन के समय 15 हजार श्रमिकों की ओर से हैदराबाद की ओर मार्च किया गया। आखिरकार, सरकार को उनके वेतनों में वृद्धि करने पर मजबूर होना पड़ा। शिक्षकों के वेतनों में 200 रुपये तथा कार्यकर्ताओं के वेतनों में 100 रुपये की वृद्धि की गई है। किन्तु इसके साथ ही उनके कामकाजी समय में भी दो घण्टों की बढ़ोतरी कर दी गई है। हमारी यूनियन ने अतिरिक्त कामकाजी घण्टों को स्वीकार नहीं करने का आह्वान किया है। हमारे आंदोलन के फलस्वरूप सरकार ने वेतनों को बजट नियंत्रण से मुक्त कर दिया है। वर्तमान में, वेतनों का भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा है।

ग्राम सेवक: ग्राम सेवक अपने वेतनों में वृद्धि करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। ;उन्हें मानदेय के नाम पर भुगतान किया जाता हैद्ध उन्हें अत्यंत अल्प राशि 900 रुपये + कुछ महंगाई भत्ता, कुल 1200 रुपये के बदले में पूरा दिन काम करना पड़ता है। हैदराबाद में 10 दिसम्बर को 16 हजार ग्राम सेवकों ने विधान सभा अधिवेशन के दिनों मार्च किया था। सरकार को बढ़ते दबाव के आगे झुकना पड़ा और उसकी ओर से ग्राम सेवकों के वेतन में 300 रुपये की वृद्धि करने का आश्वासन दिया गया। किन्तु जब इस वादे को लिखित में पूरा नहीं किया गया तब इन श्रमिकों को फरवरी में हैदराबाद में क्रमिक अनशन पर बैठ जाने के लिये मजबूर होना पड़ा। आखिरकार, सरकार की ओर से 300 रुपये की वृद्धि के लिये आदेश जारी कर दिये गए।

संविदा श्रमिक: लगभग 10 हजार पैरा मैडिकल कर्मचारी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग में अनुबंध के आधार पर काम करते हैं। यद्यपि उनकी भर्ती नियमित कर्मचारियों के रिक्त स्थानों पर की गई थी। ये कर्मचारी इन दिनों आंदोलन कर रहे हैं; उनकी मांग है कि उनकी सेवाओं को नियमित किया जाए। कर्मचारियों की ओर से मार्च में हैदराबाद में विरोध मार्च किये जाने के बाद उन्हें नियमित करने का आश्वासन दिया गया, किन्तु उस आश्वासन को पूरा नहीं किया गया। इसके खिलाफ कर्मचारियों की ओर से क्रमिक अनशन किया गया और उसके पश्चात् मार्च के महीने में अनिश्चितकाल के लिये भूख हड़ताल शुरू कर दी गई। सैंकड़ों कर्मचारियों की ओर से इसी महीने हैदराबाद में निदेशालय के सामने धरना दिया जा रहा है। अनेक महिलाओं सहित अधिकांश कर्मचारियों की ओर से गिरफ्तारियां भी दी गई।

ऊर्जा क्षेत्र में, संविदा कर्मचारियों की ओर से न्यूनतम वेतन लागू कराने के लिये लम्बा संघर्ष चलाया गया। हैदराबाद में सफल होने के बाद जिलों में लगातार आंदोलन चलाया गया। सरकार पर दबाव डालने के लिये संघर्ष के अनेक राज्यवार कार्यक्रम किये गए। लम्बे आंदोलनों के फलस्वरूप अनेक जिलों में उनके वेतनों में भारी बढ़ोतरी हुई है।

लगभग 6000 बहु उद्देश्यीय अधिकारियों जिनकी सेवा अवधि बढ़ाई जा चुकी थी (कृषि विभाग), को संविदा

के आधार पर नियुक्त किया गया था उनकी सेवाएं राज्य सरकार द्वारा समाप्त कर दी गई। उन्होंने सीआइटीयू की सहायता से इसके खिलाफ अनेक संघर्ष चलाए। जब उन्होंने विधान सभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया तो उन पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया। उनके आंदोलन के बाद सरकार कुछ कृषि अधिकारियों के पदों पर नियुक्ति करते समय उन्हें अधिमान देने के लिये सहमत हो गई।

<u>मान्यताप्राप्त कृषि सभाओं</u> के कर्मचारियों की ओर से हमारे झण्डे तले अपना आंदोलन जारी रखा जा रहा है। वे सभाओं को बंद किये जाने और कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने का विरोध कर रहे हैं।

उन्होंने धरनों, पिकटिंग तथा हड़ताल के रूप में राज्यवार संघर्ष चलाए हैं। इन्हीं आंदोलनों के कारण सरकार कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की अपनी कार्रवाई जारी नहीं रख सकी। यद्यपि उसकी ओर से मार्च में यह घोषणा की गई थी कि सभाओं का पुनर्गठन किया जाएगा और अप्रैल के शुरू में 8000 कर्मचारियों को हटा दिया जाएगा, किन्तु वह अभी तक उन्हें निकाल नहीं पाई।

<u>राज्य सडक परिवहन संगठन में</u> नयी बसों को खरीदने तथा नयी भर्ती पर लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ कर्मचारियों की ओर से विरोध प्रदर्शन किये गए। उच्चाधिकार प्राप्त समिति की मध्यावधि रिपोर्ट में संगठन को बंद करने का सुझाव दिया गया है। शुरू में संयुक्त आंदोलन चलाने के प्रति दूसरे श्रमिक संघों की ओर से उत्साहवर्धक प्रत्युत्तर नहीं दिया गया था। वर्तमान में, कर्मचारी, श्रमिक तथा अधिकारी इस खतरे को अनुभव करने लगे हैं ओर कर्मचारी यूनियन तथा मजदूर यूनियन (बहुसंख्य यूनियनों) ने स्वयं संयुक्त कार्रवाई करने का प्रस्ताव रखा है और उनकी ओर से हड़ताल का नोटिस दे दिया गया है। संयुक्त संघर्ष समिति का गठन कर दिया गया और उसने 27 मार्च को हड़ताल का नोटिस देने का फैसला किया था।

विशाखापत्तनम जिले में काफी उत्पादन के काम में लगे बगीचा कर्मचारियों ने 12 दिनों तक काम ठप्प रखा। पांच हजार स्थायी तथा ऋतुनिष्ठ (सीज़नल) कर्मचारियों की ओर से हड़ताल में भाग लिया गया। उनके दैनिक वेतन को 63 रुपये से बढ़ा कर 73 रुपये कर दिया गया है। फल इकट्ठा करने का शुल्क 1.47 रुपये से बढ़ा कर 1.60 रुपये कर दिया गया है। इसका जन जातीय क्षेत्रों में अच्छा प्रभाव पड़ा है।

काकीनाडा एनकोरेज पोर्ट वर्कर्स (कार्गो बोट वर्कर्स) की ओर से जहाजों (आयात एवं निर्यात) को काकीनाडा डीप वाटर पोर्ट (एमएनसी पोर्ट) में भेज देने और श्रमिकों को काम से हटाए जाने के खिलाफ आंदोलन चलाया जा रहा है। सीआइटीयू की जिला समिति इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही है। यद्यपि उनमें से 2000 श्रमिक एचएमएस के झण्डे तले काम करते हैं। गोदामों के बाहर 31 घण्टों तक धरने दिये गए। 250 श्रमिकों को गिरफ्तार कर लिया गया। हम श्रमिकों की रोजगार सुरक्षा के लिये लगातार उन्हें मार्ग दर्शन दे रहे हैं।

गुण्टूर जिले में जूट मिल के प्रबंधन की ओर से 11 यूनियनों के साथ श्रमिक विरोधी समझौते पर हस्ताक्षर किये गए। सीआइटीयू ने समझौते पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया। श्रमिकों ने समझौते को मानने से इन्कार कर दिया और तालाबंदी के खिलाफ जुझारू आंदोलन चलाया गया। हमारी ओर से दखल दिये जाने के बाद दूसरी यूनियनों द्वारा समझौते में सुधार लाया गया और तालाबंदी समाप्त कर दी गई और बर्खास्त कर्मचारियों को काम पर वापस ले लिया गया। बोनस समझौते में भी संशोधन किया गया और बिना किसी सीमा के कर्मचारियों को बोनस का भुगतान किया गया।

गुण्टूर में सहकारी चीनी मिल को पिछली टीडीपी सरकार की ओर से एक निजी पार्टी को बेच दिया गया था। 500 श्रमिकों को काम से निकाल दिया गया और केवल 74 श्रमिकों को ही काम पर बने रहने दिया गया। यूनियन (जो हमारे साथ सम्बद्ध नहीं है) ने कुछ श्रमिकों के साथ अदालत का द्वार खटखटाया। अदालत द्वारा सरकार के खिलाफ फैसला दिया गया। हमारे मार्ग दर्शन में श्रमिकों ने अपना आंदोलन लगातार जारी रखा और यह मिल दोबारा सहकारी क्षेत्र में आ गई। अदालत के अनुकूल फैसले के आधार पर श्रमिकों को काम पर वापस ले लिया गया। अदालत के फैसले को समय पर लागू नहीं किये जाने के आरोप में चार आइएएस अधिकारियों तथा प्रबंधन पर जुर्माना ठोंका गया।

चुनावः बीएचईएल में वर्कस कमेटी तथा ईसी सदस्यों के लिये मई, 2004 में चुनाव कराए गए। सीआइटीयू ने वर्कस कमेटी के सभी 7 पदों के लिये विजय प्राप्त की तथा ईसी के पांच में से चार सदस्य सीआइटीयू के प्रत्याशी चुने गए। विशाखापतनम जिले के फेरो एलोय चुनाव में हमें 8 मतों के अन्तर से पराजय मिली। महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा में हमने केवल 15 मतों के अन्तर से चुनाव हारा है; इंटक के पी जनार्दन रेड्डी (पूर्व श्रम मंत्री) यह चुनाव जीत गए। एचएमएस के एन नरसिम्हा रेड्डी तीसरे स्थान पर रहे।

सुनामीः सुनामी पीड़ितों की सहायता के लिये 1,37,000 रुपये का धन एकत्रित किया गया। उस राशि से आवश्यक सामग्री खरीदी गई जिसे कृष्णा एवं प्रकाशम जिलों में सुनामी पीड़ितों में बांट दिया गया।

एकजुटता कार्यक्रमः जिला समितियों की ओर से बैंक, एलआइसी, जीआइसी तथा नाबार्ड के हड़ताली कर्मचारियों के पक्ष में एकजुटता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। उनकी हड़तालों के समर्थन में पुस्तिकाएं निकाली गई और बांटी गई। सीआइटीयू नेतृत्व तथा कार्यकर्ताओं ने उनके प्रदर्शनों तथा बैठकों में भाग लिया।

असमः सीआइटीयू ने नये खोजे गए तेल क्षेत्र आमगुरी–सिब सागर को विदेशी तेल कम्पनियों के हवाले किये जाने की सरकार की कार्रवाई के खिलाफ 21 अप्रैल, 2005 को पूरे असम राज्य में 24 घण्टे के बंद का आयोजन करने में नेतृत्वकारी भूमिका निभाई थी। सभी औद्योगिक श्रमिकों, राज्य परिवहन निगम के श्रमिकों ने एकजुट होकर काम ठप्प रखा और बंद को सफल बनाया। इससे पूर्व जनवरी 2005 में असम विधान सभा के सामने एक विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया गया था।

आंगनवाड़ी की लगभग 5000 कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं ने 19 मार्च, 2005 को गुवाहाटी में एक विशाल रैली का आयोजन किया था। ये सभी कार्यकर्ता तथा सहायिकाएं राज्य के 17 जिलों तथा दूरवर्ती इलाकों से आई थीं। उनका कहना था कि वर्तमान में उनसे अतिरिक्त काम लिया जा रहा है; इसके लिये प्रत्येक कार्यकर्ता को 500 रुपये तथा सहायिका को 300 रुपये प्रतिमास का अतिरिक्त भुगतान किया जाए। रैली का आयोजन करने में सीआइटीयू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने सितम्बर 2005 तक अपने संघर्ष को और तीखा करने का फैसला किया है।

राज्य भर के मोटर श्रमिकों ने 22 फरवरी को राज्य भर में एक दिन की हड़ताल की; इसका आह्वान संयुक्त मंच की ओर से किया गया था; विधान सभा के आगे एक विशाल रैली भी की गई। असम सरकार के विभिन्न विभागों में काम करने वाले 3000 मस्टर रोल श्रमिकों ने 10 मार्च, 2005 को राज्य विधान सभा के सामने जोरदार प्रदर्शन किया; वे मांग कर रहे थे कि उनकी सेवाओं को नियमित किया जाए। राज्य सरकार ने उनकी मांग को स्वीकार कर लिया है, उसे इसी वर्ष लागू कर दिया जाएगा।

निजी नर्सिंग होम्स में काम करने वाली नर्सों तथा लड़कियों की ओर से 22 मार्च को प्रदर्शन किये गए; वे मांग कर रही थीं कि उन्हें बेहतर वेतनमान तथा कानूनी तौर देय सभी सेवा सुविधाएं दी जाएं। रेलवे के हाकरों की ओर से 8 अप्रैल को रेलवे मुख्यालय के सामने तथा दूसरे स्थानों पर प्रदर्शन किये गए; वे मांग कर रहे थे कि उन्हें उनके अधिकार दिये जाएं और उनका उत्पीड़न बंद किया जाए।

कोठारी श्रमिकों का संघर्षः जोरहाट में पान मसाला की निर्माता कम्पनी कोठारी प्राडक्टस् लिमिटेड तथा असम सरकार द्वारा एक साथ मिल कर कार्रवाई करते हुए श्रमिकों को उनकी यूनियन बनाने से रोक दिया है। यूनियन नेताओं की ओर से इसकी सभी औपचारिकताओं को पूरा किये जाने के बाबजूद श्रमायुक्त ने यूनियन का पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने से इन्कार कर दिया। कम्पनी ने प्रतिशोध की कार्रवाई करते हुए यूनियन के महासचिव तथा कुछ दूसरे सक्रिय सदस्यों को नौकरी से निकाल दिया है। कुछ अन्य श्रमिकों एवं नेताओं के खिलाफ झूठे पुलिस केस बनाए गए हैं और मालिकों के गुण्डों द्वारा श्रमिकों को डराया धमकाया जा रहा है। सेवायोजक तथा राज्य सरकार की इस प्रकार की प्रतिशोधात्मक एवं उत्पीड़नकारी कार्रवाईयों के खिलाफ सीआइटीयू की ओर से श्रमिकों के संघर्ष का नेतश्त्व किया जा रहा है। इसके खिलाफ प्रदर्शनों, रैलियों, कन्वेंशनों का आयोजन किया जा रहा है; सभी इकाईयों की ओर से मुख्यमंत्री, श्रमायुक्त के नाम तारें भेजी जा रही हैं।

छत्तीसगढ़: 31 सूत्रीय मांगों को लेकर 22 दिसम्बर, 2004 को राज्यव्यापी रैलियों का आयोजन किया गया। रैलियों की तैयारियों के सिलसिले में धरनों, प्रदर्शनों का आयोजन चरणबद्ध ढंग से किया गया।

राज्य सीआइटीयू ने टेलीकाम सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाए जाने के खिलाफ आयोजित विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया। राज्य विद्युत बोर्ड के रख रखाव से जुड़े कार्यो का निजीकरण किये जाने के खिलाफ जिलों में प्रदर्शन किये गए। मण्डी अधिनियम में संशोधन जिसके चलते मण्डी श्रमिकों के अधिकार छिन जाएंगे और किसानों को गल्लाखोरों के रहम पर निर्भर करना पड़ेगा, के खिलाफ मण्डी वर्कर्स यूनियन तथा किसान सभा द्वारा संयुक्त रूप से 17–19 तथा 25–26 अप्रैल, 2005 को जीप–जत्था कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

स्टरलाइट के अन्तर्गत बोकारों में दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ रही है। हाल ही में ठेकेदार के अन्तर्गत काम करने वाले दो श्रमिकों की मृत्यु हो गई और अनेक श्रमिक घायल हो गए। कम्पनी की ओर से उन्हें क्षतिपूर्ति का भुगतान करने से इन्कार कर दिया गया। सीआइटीयू द्वारा हस्तक्षेप किये जाने पर पीड़ित परिवारों को क्षतिपूर्ति दी गई और प्रत्येक मृतक श्रमिक के परिवार में एक आश्रित सदस्य को रोजगार दिया गया। स्टरलाइट प्रबंधन द्वारास सीआइटीयू यूनियन के अध्यक्ष को निलम्बित करके और कोषाध्यक्ष को आरोप पत्र देकर सीआइटीयू पर धावा बोला गया। इसके खिलाफ श्रमिकों की ओर से 18 तथा 19 अप्रैल, 2005 को मुकम्मल हड़ताल की गई जिसके कारण प्रबंधन को अपने दोनों आदेश वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा।

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मई, 2005 को 300 महिलाओं की ओर से एक रैली निकाली गई।

दिल्ली: सैंकड़ों संविदा श्रमिकों ने 10 नवम्बर, 2004 को भारतीय वायुपत्तण प्राधिकरण के मुख्यालय के सामने प्रदर्शन किया गया। वे कार्गो हैंडलिंग में संविदा प्रणाली समाप्त करने और संविदा श्रमिकों को नियमित श्रमिकों के समान वेतन दिये जाने की मांग कर रहे थे।

गुजरात: राजकोट जिले में नवलखी बंदरगाह क्षेत्र में नमक उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों द्वारा वेतनों का भुगतान नहीं किये जाने के खिलाफ भूख हड़ताल की गई। अब उन्हें समूह में वेतनों का भुगतान किया जा रहा है। इसी प्रकार उस क्षेत्र में बंदरगाह श्रमिक तथा मत्स्य पालन के काम में लगे श्रमिक भारी संख्या में अपने अधिकारों के लिये संघर्ष कर रहे हैं।

भावनगर में हजारों गरीब श्रमिकों द्वारा अपनी मांगों के लिये भूखहड़ताल की गई और उन्होंने बीपीएल कार्ड हासिल कर लिये। उनकी संख्या 34000 है। उन्हें कार्ड मिल गए और नियत तिथि पर राशन का आबंटन होने लगा है।

असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले 80,000 श्रमिकों की ओर से अपनी झुग्गी झोपड़ियों को नियमित करने की मांग को लेकर संघर्ष किया जा रहा है। शहरों में काम करने वाले असंगठित क्षेत्र के हजारों श्रमिक अपने लिये आवासीय भूमि प्राप्त करने तथा हाउसिंग बोर्ड की ओर से पानी की आपूर्ति किये जाने का आश्वासन पाने में सफल रहे हैं। इसके फलस्वरूप श्रमिकों में भारी उत्साह पैदा हुआ है और अधिक से अधिक श्रमिक सीआइटीयू में शामिल हो रहे हैं।

इस प्रकार के आंदोलन जूनागढ़, भरोच, बनासकांठा जैसे दूसरे जिलों में भी फैल रहे हैं।

हिमाचल प्रदेश: सतलुज नदी पर दो पण विद्युत परियोजनाओं में काम करने वाले सभी 1500 श्रमिकों द्वारा सीआइटीयू के नेतश्त्व में दिसम्बर, 2004 को यूनियन का गठन किया गया। उनकी ओर से वेतन, सुरक्षा, चिकित्सकीय देखभाल, सामाजिक सुरक्षा इत्यादि मामलों में श्रम कानूनों के पालन को सुनिश्चित बनाने के लिये आंदोलन किया गया। उसके तत्काल बाद प्रधान नियोक्ता एनटीपीसी का प्रबंधन हरकत में आ गया; उसकी ओर से श्रमिकों को सीटू यूनियन में शामिल नहीं होने की धमकियां दी गई और 3 फरवरी, 2005 की रैली को रोका गया। पुलिस द्वारा श्रमिकों पर लाठीचार्ज किया गया तथा गोली भी चलाई गई। श्रमिकों ने बहादुरी के साथ इस हमले का मुकाबिला किया और वे मालिकों की धमकियों की परवाह न करते हुए संघर्ष के पथ पर आगे बढ़ते चले गए। इसके फलस्वरूप प्रबंधन को यूनियन के साथ बातचीत करने, वेतन कटौती वापस लेने तथा नेताओं के

खिलाफ की गई कार्रवाई समाप्त करने पर विवश होना पड़ा।

हिमाचल प्रदेश के होटल मालिकों की ओर से अपने श्रमिकों का दमन करने के लिये घिनावने हथकण्डे अपनाए गए; इसका प्रमाण उस समय देखने को मिला जब शिमला से लगभग 15 किलोमीटर दूर तौशाली रिजोर्ट के श्रमिकों ने अपनी मांगों के लिये संघर्ष किया था। मालिकों ने सितम्बर 2004 में सरसरी तौर पर 32 श्रमिकों को सेवामुक्त करके होटल का मुख्य काम ठेकेदारों के हवाले कर दिया। श्रमिकों द्वारा विरोध किये जाने पर भी मालिक ने प्रशासन की सहायता से बाहर से नये श्रमिकों को लाकर काम जारी रखा और पुराने श्रमिकों को बीच मंझधार में छोड़ दिया। उन श्रमिकों में से एक श्रमिक 25 मार्च, 2005 को मश्त पाया गया और उसकी मश्तक देह को जानबूझ कर छिपा दिया गया।

इसके विरोध में शिमला के सभी होटलों में आधा दिन की हड़ताल रही और एक बार फिर 9 अप्रैल को पूरे दिन की हड़ताल की गई और जिला कलैक्टर के कार्यालय के सामने धरना दिया गया। प्रशासन की ओर से उसके बाद ही घटना की न्यायिक जांच कराने के आदेश दिये गए और यूनियन को भी इस जांच में शामिल किया गया।

सीआइटीयू की ओर से भी इस अवधि में खोली, अंधरा.II, घानवी.II और शोवान नामक चार मिनी पण विद्युत परियोजनाओं में श्रमिकों को संगठित किया गया। अनेक बार हड़ताल किये जाने तथा संघर्ष चलाने के फलस्वरूप कोलडैम, पार्वती तथा उहाल परियोजनाओं में सीआइटीयू की स्थिति मजबूत हुई है।

सीआइटीयू द्वारा मण्डी में 1638 पीडब्ल्यूडी श्रमिकों की छंटनी रोकने के लिये कानूनी कार्रवाई की गई तथा आंदोलन चलाया गया।

जम्मू एवं कश्मीरः इस समीक्षा अवधि के दौरान सेवा पण विद्युत परियोजना के श्रमिकों द्वारा सीआइटीयू के नेतश्त्व में हड़ताल की गई। श्रमिकों ने बड़ी बहादुरी के साथ पुलिस और प्रबंधन की ओर से खरीदे गए गुण्डों की दमनकारी एवं उत्पीड़नकारी कार्रवाईयों का सामना किया। आखिरकार, सेवायोजक को यूनियन के साथ बातचीत करने के लिये मजबूर होना पड़ा और दोनों पक्षों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गए। ऊधम पुर–बारामूला क्षेत्र में रेलवे निर्माण की परियोजना में काम करने वाले निर्माण श्रमिकों द्वारा अगस्त 2004 से संघर्ष किया जा रहा है। पुलिस फायरिंग में एक श्रमिक मारा जा चुका है तथा इस संघर्ष में एक और श्रमिक भूख एवं ठण्ड के कारण मर गया। श्रमिक श्रम कानूनों को लागू करने की मांग कर रहे हैं। ठेकेदार कम्पनी मैसर्ज हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कम्पनी (एचसीसी) ने राज्य सरकार तथा श्रम विभाग के अधिकारियों (केन्द्रीय) के साथ मिल कर उस समझौते को भी लागू करने से इन्कार कर दिया जो श्रम विभाग के अधिकारियों, तहसीलदार तथा स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों की उपस्थिति में हुआ था। अधिकांश श्रमिकों को काम से निकाल दिया गया है। सीआइटीयू की राज्य समिति के नेतृत्व में श्रमिकों द्वारा अब भी अपना संघर्ष जारी रखा जा रहा है। सीआइटीयू केन्द्र द्वारा हस्तक्षेप किया गया तथा अनेक संसद सदस्यों ने घटनास्थल का दौरा किया; उनकी ओर से यह मामला रेलवे मंत्री और उनके साथ–साथ राज्य के मुख्यमंत्री के पास भी उठाया जा चुका है। किन्तु ठेकेदार, राज्य सरकार एवं श्रम विभाग के प्रशासन की मिलीभुगत इतनी मजबूत है कि एचसीसी अभी तक गैर कानूनी कार्रवाईयों में संलिप्त है और श्रमिकों को गैर कानूनी ढंग से निकाला जाना जारी है। श्रमिकों का संघर्ष जारी है।

कर्नाटकः बंगलौर में 28 मार्च, 2005 को 5000 से अधिक निर्माण श्रमिकों ने 'विधान सौधा' के सामने प्रदर्शन किया। वे श्रम कानूनों को लागू करने, सभी सेक्टर्स में कानूनी तौर पर देय न्यूनतम वेतन देने और दुर्घटना लाभ एवं सामाजिक सुरक्षा से सम्बन्धित कानूनों पर अमल करने की मांग कर रहे थे।

केरलः तिरुवनंथपुरम तथा कोलम जिलों में कायर श्रमिकों की ओर से उच्चतर वेतन देने की अपनी मांग के लिये लगातार हड़ताल की गई; यह हड़ताल 1 फरवरी, 2005 को शुरू हुई थी। हड़ताल सफल रही और समझौते पर हस्ताक्षर किये गए। अम्बालाप्पुजा तथा चेरथला तालुकों में कायर फैक्टरी के 40,000 श्रमिकों द्वारा हड़ताल की गई; यह हड़ताल 3 मई, 2005 को शुरू हुई थी। सीआइटीयू और उसके साथ–साथ एटक तथा इंटक ने भी हड़ताल में भाग लिया। इसका परिणाम एक समझौते के रूप में निकला जिसमें श्रमिकों के लिये उच्चतर वेतनों तथा छोटे उत्पादकों के लिये कायर उत्पादों के बेहतर मूल्यों को सुनिश्चित बनाया गया था।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाए जाने, नयी पेन्शन योजना तथा सरकार की दूसरी श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ 10 मार्च, 2005 को विरोध दिवस मनाया गया; इस अवसर पर तिरुवनंथपुरम तथा राज्य के दूसरे जिला मुख्यालयों में श्रमिक संघों की प्रायोजन समिति के झण्डे तले जुलूस निकाले गए। सार्वजनिक उपक्रमों का विखण्डन किये जाने के खिलाफ सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों द्वारा 26 मार्च, 2005 को एक विशाल रोष प्रदर्शन किया गया। कृषक संगम खेतिहर श्रमिक संघ द्वारा सरकारी सचिवालय के सामने 8–9–10 मई, 2005 को 72 घण्टों के लिये धरना दिया गया; वे विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाली नगदी फसलों के लिये संरक्षण के लिये एक अलग पैकेज बनाने की मांग कर रहे थे।

सिर पर बोझा उठाने वाले 25000 श्रमिकों द्वारा 10 मई को बंद का आयोजन किया गया; वे प्रतिगामी केरल लोडिंग एवं अनलोडिंग की गैर कानूनी गतिविधियों तथा वेतन अधिनियम के नियमन को वापस लिये जाने की मांग कर रहे थे। इस कार्रवाई का नेतृत्व सीआइटीयू, एटक, बीएमएस द्वारा किया गया था। हैंडलूम श्रमिकों ने 11 मई को केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के कार्यालयों के सामने धरना दिया; वे हैंडलूम उद्योग को संरक्षण देने की मांग कर रहे थे। इस धरने में सीआइटीयू, एटक, यूटीयूसी तथा एचएमएस के कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया।

सीआइटीयू काजू उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों द्वारा अपने वेतनों में संशोधन करने की मांग के लिये चलाए जा रहे संघर्ष का नेतृत्व कर रही है; श्रमिक मांग कर रहे हैं कि सेवायोजकों की ओर से उनका भविष्य निधि धन नियमित रूप से जमा कराया जाए और उन्हें रोजगार सुरक्षा दी जाए। उन्हें अधिसूचित न्यूनतम वेतन भी नहीं दिये जा रहे जबकि काजू के निर्यात से होने वाली आय 2700 करोड़ रुपये से भी अधिक हो चुकी है। हजारों काजू श्रमिकों द्वारा 31 मई को कोलम के कलैक्टरेट तथा दूसरे तालुक कार्यालयों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित कार्यालयों का घेराव किया गया।

निजी मोटर श्रमिकों द्वारा सीआइटीयू, एटक, इंटक, बीएमएस तथा एसटीयू के नेतृत्व में 31 मई को सचिवालय तथा कलैक्टोरेट कार्यालयों की ओर मार्च किये गए और मांग की गई कि नयी परिवहन नीति बनाई जाए, कल्याणकारी योजनाएं तथा उदारीकृत न्यूनतम वेतन लागू किये जाएं और उन्हें रोजगार सुरक्षा प्रदान की जाए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं द्वारा 11 मार्च को सरकारी सचिवालय के आगे विशाल धरना दिया गया; वे पेन्शन तथा दूसरे सेवा लाभ देने की मांग कर रहे थे।

निर्माण श्रमिकों ने 25 अप्रैल को सीआइटीयू के झण्डे तले एक मार्च का आयोजन किया; वे निर्माण सामग्री की आपूर्ति नियमित करने और निर्माण सामग्री के अभाव के चलते काम को रोकने की कार्रवाईयों को बंद किये जाने की मांग कर रहे थे।

राज्य परिवहन श्रमिक पीएससी के माध्यम से चुने गए नये कर्मचारियों को नियमित वेतनमानों एवं सेवा लाभों से वंचित किये जाने के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। इंटक सहित सभी यूनियनों ने 20 मई को मानव श्रृंखला का निर्माण करके ग्रामीण जल आपूर्ति का निजीकरण किये जाने जिसकी शुरूआत एनजीओ के रास्ते से की गई है, का विरोध किया।

केरल में श्रमिक संघों की राज्य स्तरीय प्रायोजन समिति के झण्डे तले संयुक्त रूप से 5 जुलाई को राज्यव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है; यह हड़ताल तीन प्रमुख मांगों अर्थात् (1) राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों के निजीकरण की कार्रवाईयों को रोकने, (2) परम्परागत उद्योगों को बचाने तथा (3) विभिन्न उद्योगों में श्रमिक संघों द्वारा उठाए गए सभी दूसरे मुद्दों का निपटारा करने इत्यादि के लिये की जा रही है।

मध्य प्रदेशः देर से मिले समाचारों के अनुसार रीवा में अक्टूबर 2004 को उप श्रमायुक्त के कार्यालय के सामने एक विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया गया। आंगनवाड़ी, सिर पर बोझा उठाने वाले, निर्माण, बीड़ी, पीडब्ल्यूडी इत्यादि के सैंकड़ों श्रमिकों ने इस प्रदर्शन में भाग लिया। वे श्रम कानूनों को लागू करने, सेवा लाभ तथा सामाजिक सुरक्षा के लाभ दिये जाने, संविदा श्रमिकों को नियमित करने के लिये समुचित कानून बनाने की मांग कर रहे थे।

अपनी कमजोर उपस्थिति होने पर भी हमने सड़क परिवहन निगम के श्रमिकों को संगठित करने के लिये पहलकदमी की है और उनके राज्यव्यापी आंदोलन का निर्माण करने के लिये नयी सिरे से कोशिशें की हैं। इस

उद्देश्य के लिये अभियान सामग्री के रूप में पुस्तिकाओं, पोस्टरों, लीफलैट इत्यादि का प्रकाशन किया गया।

बीएचईएल के विनिवेश के खिलाफ प्रदर्शनों तथा संगोष्ठियों इत्यादि का आयोजन किया गया। सरकार की इस कार्रवाई के खिलाफ प्रधानमंत्री को हजारों पोस्टकार्ड भेजे गए हैं। होली का त्योहार आ जाने पर भी राज्य के 10–12 केन्द्रों में बेरोजगारी विरोधी दिवस मनाया गया। बाल मजदूरी के खिलाफ अभियान चलाया गया और आंगनवाड़ी सुपरवाइजर पर हमले के लिये रोष एवं आक्रोश भरी कार्रवाईयां की गई।

नागदा में, श्रमिकों के आंदोलन के फलस्वरूप ग्रेसिम उद्योगों ने नये वेतन समझौते किये जा सके।

नेशनल फर्टिलाइजर्स में काम करने वाले संविदा श्रमिकों की ओर से हड़ताल की गई और सेवा योजकों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किये गए। इसी प्रकार एमपीईएबीके के ऊर्जा संयंत्र में काम करने वाले संविदा श्रमिकों की ओर से भी हड़ताल की गई जो सफल रही और उनकी मांगे मान ली गई। मण्डीद्वीप औद्योगिक क्षेत्र में पिछले कई वर्षो से श्रमिकों का भयानक दमन किये जाने के खिलाफ दो बड़े प्रदर्शन किये गए तथा एक पूरे दिन का सत्याग्रह किया गया। कोयला श्रमिकों की जुलाई 2005 में प्रस्तावित अखिल भारतीय हड़ताल की तैयारियों के सिलसिले में कोयलाफील्ड के क्षेत्रों में जन अभियान तथा सांगठनिक बैठकों का आयोजन चल रहा है। जन साधारण के जीवन को छू लेने वाले सभी प्रमुख मुद्दों तथा समस्याओं को लेकर अभियान सामग्री प्रकाशित करने पर बल दिया जा रहा है। इसके साथ ही हमने कार्यकर्ताओं, श्रमिकों तथा जन साधारण को शिक्षित करने के लिये अपनी गतिविधियों का विस्तार किया है, अनेक छोटी–छोटी पुस्तिकाओं का प्रकाशन किया है, पैम्फलट छापे हैं।

महाराष्ट्रः सीआइटीयू ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को उनकी समस्याओं पर लामबंद करने के काम में नेतृत्वकारी भूमिका का निवर्हन किया है। राज्य सरकार ने जुलाई तथा अगस्त 2004 में एक राजपत्रीय अधिसूचना जारी की थी; उसमें राज्य तथा जिला स्तरों पर असंगठित क्षेत्र श्रमिक प्राधिकरण की स्थापना किये जाने की घोषणा की गई थी। किन्तु इस अधिसूचना को आज तक कार्यान्वित नहीं किया गया। सीआइटीयू की राज्य समिति असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा सहित दूसरी मांगों को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन चला रही है।

सीआइटीयू द्वारा जनवादी महिला समिति के साथ मिल कर प्रयास किये जाने के कारण घरेलू काम धंधों में लगे श्रमिकों के बीच अपनी पैठ मजबूत की गई है। यह एक बड़ी उपलब्धि है। अनेक जिलों में इन श्रमिकों की यूनियनों का पंजीकरण हो चुका है और राज्य में इस सेक्टर की सदस्य संख्या 30,000 तक पहुंच चुकी है। निर्माण श्रमिकों, शारीरिक काम करने वाले मजदूरों, आटो रिक्शा चालकों, गन्ने की कटाई करने वाले श्रमिकों तथा हाकरों के बीच हमारा काम बढ़ रहा है। पिछले वर्ष श्रमिकों की इन श्रेणियों में अनेक जिला स्तरीय संघर्ष चलाए गए थे।

संगठित क्षेत्र में श्रमिकों द्वारा सिएट नासिक फैक्टरी में 12 दिन की हड़ताल की गई; इस हड़ताल का नेतृत्व सीआइटीयू ने किया था; हड़ताल में सभी 1700 श्रमिकों ने भाग लिया। हड़ताल की परिणति एक मांग पत्र पर समझौते के रूप में हुई। यद्यपि हड़ताल के लिये यह तात्कालिक मुद्दा नहीं था।

राज्य में बंद पड़े कारखानों के श्रमिकों के एक राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन 5 जुलाई को मुम्बई में किया जा रहा है; उनकी मांग है कि पश्चिम बंगाल सरकार के ढांचे के अनुरूप पात्र श्रमिकों को 1000 रुपये का निर्वाह भत्ता दिया जाए। सुरक्षाकरण अधिनियम के चलते उत्पन्न नयी स्थिति में श्रमिकों की पिछले बकाया राशियों का संरक्षण किया जाए; यह भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।

इराक पर अमरीकी साम्राज्यवादियों के कब्जे की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर मार्च 2005 को एक विशाल रैली का आयोजन किया गया; इस रैली में सीआइटीयू की भागीदारी अच्छी रही। राष्ट्रीय आह्वान के प्रत्युत्तर में राज्य के विभिन्न जिलों में पेटैंट अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन किये गए। मुम्बई में मलिन बस्तियों को साफ किये जाने के नाम पर झुग्गी–झोंपड़ियां गिराए जाने के खिलाफ आयोजित प्रदर्शनों में हमारे सदस्यों की सक्रिय भागीदारी रही।

दाभोल परियोजना के प्रश्न पर सीआइटीयू द्वारा विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी; यह याचिका उच्चतम न्यायालय में लम्बित पड़ी है; एनरों सहित सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किये जाने के कारण यह

मामला महत्वपूर्ण चरण में पहुंच चुका है; अदालत ने अपने कारण बताओ नोटिस में यह पूछा है कि एसएलपी की मूल सम्भावना को ही फिर से बहाल क्यों न कर दिया जाए।

उड़ीसाः हजारों बीड़ी श्रमिकों ने अखिल उड़ीसा बीड़ी श्रमिक महासंघ के नेतृत्व में 27 जनवरी, 2005 को अपनी दस सूत्रीय मांगों के लिये सैस कमिश्नर, भुबनेश्वर के कार्यालय के आगे प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों में अधिकांश महिलाएं थीं; वे अपनी निकटवर्ती तथा दूरवर्ती जिलों से आई थीं। उन्होंने सीआइटीयू के प्रतिनिधियों को राज्य स्तरीय समन्वय समितियों में शामिल करने की मांग भी की। बाद में बरिष्ठ नेताओं ने अधिकारियों से मिल कर उन्हें ज्ञापन भेंट किये।

भुबनेश्वर में 2000 श्रमिकों ने 7 जनवरी, 2005 को ओसवाल इंडस्ट्रीज़, जे के पेपर मिल्स रायगडा के श्रमिकों तथा भारतीय स्टेट बैंक के अस्थायी श्रमिकों पर हमलों के खिलाफ रोष व्यक्त करने के लिये श्रम आयुक्त तथा भारतीय स्टेट बैंक के मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किये। प्रदर्शनकारियों ने बीड़ी, निर्माण, आंगनवाड़ी, वन श्रमिकों तथा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की दूसरी श्रेणियों के लिये कल्याणकारी योजनाएं बनाने की मांग भी की।

उड़ीसा सेल्स रिपर्जेटेटिव्स यूनियन द्वारा 10 जनवरी, 05 को भुबनेश्वर में एक रंगारंग एवं जुझारू प्रदर्शन का आयोजन किया गया और प्रदर्शन के बाद उड़ीसा के श्रम मंत्री तथा स्वास्थ्य मंत्री को अपनी मांगों पर आधारित ज्ञापन भेंट किये।

देशी तथा विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा उड़ीसा के प्राकृतिक संसाधनों की लूट मचाए जाने के खिलाफ संघर्ष के कार्यक्रम किये गए; उनकी ओर से राज्य को उनका समुचित मूल्य दिये बिना और श्रमिकों को उचित वेतन न देकर यह लूट मचाई जा रही है; वे अंधाधुध काम करके राज्य के पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहे हैं और प्रदूषण फैला रहे हैं।

ईएसआइसी के क्षेत्रीय निदेशक के कार्यालय के सामने 24 मई को एक विशाल प्रदर्शन किया गया; मांग की गई कि श्रमिकों को ईएसआइ के अन्तर्गत लाया जाए और दूसरे लाभ दिये जाएं।

पंजाबः सीआइटीयू की राज्य समिति के नेतश्त्व में ईंटों के भट्ठों में काम करने वाले श्रमिकों ने 13 दिसम्बर, 2004 को नयी दिल्ली में आयोजित एक केन्द्रीय प्रदर्शन में भाग लिया; यह प्रदर्शन ईंट बनाने के काम में फलाई एश के उपयोग को अनिवार्य बनाए जाने के खिलाफ किया गया था। चण्डीगढ़ में पेटैंट अधिनियम के खिलाफ 29 दिसम्बर, 2004 को एक रैली की गई तथा धरना दिया गया; उसी दिन शाम के समय पीसीएमएसआरयू श्रमिकों द्वारा सेक्टर 17 में एक मशाल जुलूस निकाला गया। चण्डीगढ़ में 6 फरवरी, 2005 को एक और कन्वेंशन का आयोजन किया गया।

वन श्रमिकों द्वारा 21 दिसम्बर को प्रिंसिपल कंजरवेटिव के सामने राज्य स्तरीय रैली का आयोजन किया गया; वे मांग कर रहे थे कि उन्हें नियमित किया जाए, वेतनों का भुगतान प्रत्येक मास की 7 तारीक से पहले किया जाए और समुचित उपकरण दिये जाएं।

लुधियाना, संगरूर, होशियारपुर, भटिंडा तथा दूसरे जिलों में हजारों मजदूरों ने पीएसईबी के कर्मचारियों की हड़ताल के समर्थन में 16 दिसम्बर, 2004 को एकजुटता प्रदर्शनों का आयोजन किया।

एफसीआइ श्रमिकों द्वारा 20 दिसम्बर को नयी दिल्ली में उसके मुख्यालय के सामने धरना दिया गया। धरने में भाग लेने वाले श्रमिकों की बहुसंख्या सीआइटीयू के सदस्यों की थी। एक बार फिर 29 जनवरी को एफसीआइ के 2000 श्रमिकों की ओर से उपायुक्त के कार्यालय के सामने धरना दिया गया। केन्द्र शासित प्रदेश चण्डीगढ़ तथा नगर निगम के 5000 कर्मचारियों तथा श्रमिकों द्वारा समन्वय समिति के आह्वान पर 1 फरवरी, 2005 को रैली की गई।

साइकिल उद्योग के श्रमिकों ने हजारों की संख्या में कारखाना मालिकों की दमनकारी एवं प्रतिशोध की कार्रवाईयों के खिलाफ साइकिल कारखानों के मुख्य द्वारों के सामने 14 अप्रैल तथा 24 अप्रैल को जोरदार प्रदर्शन किये। खुल कर सेवायोजकों का पक्षपोषण करने और यूनियनों के गठन तथा पंजीकरण में अड़ंगे डालने के लिये

पंजाब सरकार की आलोचना की गई।

श्रमिक संघों के पंजीकरण अधिकारी के कार्यालय के सामने उसी मुद्दे को लेकर 12 मई 2005 को धरना दिया गया। राज्य भर के 3000 श्रमिकों ने इस धरने में भाग लिया।

संयुक्त मोर्चे का गठनः पंजाब सरकार के कर्मचारियों की फैडरेशन, अध्यापक यूनियनों, पैरा मैडिकल कर्मचारियों, पीडब्ल्यूडी, सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के श्रमिकों इत्यादि की ओर से अपने संघर्षों को आगे बढ़ाने के लिये संयुक्त मोर्चे का गठन किया गया है; यह एक महत्वपूर्ण घटना है। पीएसईबी के कर्मचारियों ने भी संयुक्त मोर्चे का गठन किया है। राज्य, जिला, स्थानीय स्तरों पर आयोजित सम्मेलनों में लगभग 50,000 कर्मचारियों ने भाग लिया। सीआइटीयू की पहलकदमी पर एनपीएमओ की बैठक 27 मई, 2005 को चण्डीगढ़ में आयोजित की गई। एनपीएमओ ने जन समस्याओं तथा राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों की ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिये निरंतर अभियान चलाने, रैलियां करने, धरने देने का कार्यक्रम बनाया है।

पंजाब राज्य बिजली बोर्ड के 8000 से अधिक श्रमिकों द्वारा पीएसईबी के निजीकरण एवं संविदाकरण के खिलाफ 19-20 अप्रैल, 2005 को दो दिवसीय हड़ताल की गई। उल्लेखनीय है कि सीआइटीयू की राज्य समिति ने इस हड़ताल का पूरी तरह समर्थन किया और बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिये पूरे राज्य में कार्रवाईयां की थीं।

राजस्थानः सीआइटीयू ने रावलगढ़, अनूपगढ़, घरसाणा जैसे राज्य के सभी जिलों में अक्टूबर 2004 को फसलों की सिंचाई के लिये पानी की मांग के लिये किसानों द्वारा किये जा रहे संघर्ष में नेतत्श्वकारी भूमिका निभाई थी। सीआइटीयू की राज्य समिति ने इस संघर्ष के समर्थन में एकजुटता की कार्रवाईयां कीं और 27-10-2004 को पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने के बाद बंद का आयोजन करने में सक्रिय भूमिका निभाई थी।

सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रम भारतीय राज्य फार्म निगम के अन्तर्गत सूरतगढ़, सरदारगढ़ तथा जैतसर स्थित तीनों कृषि फार्मों में काम करने वाले श्रमिक 11 अप्रैल, 2005 से लगातार हड़ताल पर चले गए। उनकी मांगें थीं-पिछले बीस वर्षों अथवा उससे अधिक समय से काम करने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित किया जाए, दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार दिया जाए और श्रमिकों तथा ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं के खिलाफ की गई प्रतिशोध की कार्रवाईयों को समाप्त किया जाए।

राज्य की भाजपा सरकार ने श्रमिकों, उनके परिजनों पर अनेक हमले कराए; महिलाओं को भी बख्शा नहीं गया। श्रमिक इससे भयभीत नहीं हुए और न ही उन्होंने दहशत फैलाने वाले सरकार के हथकण्डों से घबरा का आत्म समर्पण किया। इसके कारण सरकार को विवश होकर 25 अप्रैल, 2005 को यूनियन के साथ समझौता करना पड़ा और श्रमिकों द्वारा हड़ताल वापस ले ली गई।

तमिलनाडुः सीआइटीयू की ओर से जत्थों का कार्यक्रम चलाया गया जो 90 टोलियों पर आधारित था। इनमें 1800 पुरुष, महिलाएं, श्रमिक तथा श्रमजीवी जनता की दूसरी श्रेणियों के लोग शामिल थे। जत्थों के सदस्यों ने राज्य के 4000 गांवों का दौरा किया और पांच हजार किलोमीटर की यात्रा करके नागपट्टिपम जिले में एक छोटे से गांव वेनमानी में उसका समापन किया। यह वही गांव है जहां 1968 में भूमिपतियों ने 44 दलित महिलाओं को बर्बरतापूर्वक जीवित जला दिया था। जत्थे के सदस्यों ने उन्हें श्रद्धांजलि भेंट की। इस वर्ष यह विशेष कार्यक्रम बीटीआर शताब्दी के अवसर पर आयोजित किया गया था। गांवों के लोगों ने जगह-जगह जत्थे के सदस्यों का स्वागत किया; वेनमानी पहुंच कर जत्थे के सदस्यों द्वारा जन साधारण की मांगों के पक्ष में नारे लगाए गए।

चेन्नै तथा राज्य के दूसरे जिलों में 8 मार्च को सैंकड़ों कामकाजी महिलाओं ने अपनी तेरह सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किये। एक प्रतिनिधिमण्डल ने राज्यपाल से मुलाकात करके उन्हें अपनी मांगों पर आधारित एक ज्ञापन जिस पर 50,000 लोगों के हस्ताक्षर थे, भेंट किया।

राज्य के 150 केन्द्रों में 17 मार्च, 2005 को ऐतिहासिक प्रदर्शन किये गए जिनमें असंगठित क्षेत्र के 70,000 से अधिक श्रमिकों ने भाग लिया। ये श्रमिक तमिलनाडु के सभी भागों से आए थे। इन प्रदर्शनों में हजारों कामकाजी

महिलाओं की उल्लेखनीय भागीदारी रही। ये श्रमिक निर्माण, बीड़ी, हथकर्घा, विद्युतकर्घा, टेलरिंग, मत्स्य उद्योग से सम्बन्ध रखते थे। उनके साथ–साथ आटो रिक्शा चालकों, बोझा ढोने वाले श्रमिकों ने भी बड़ी संख्या में इन कार्यक्रमों में भाग लिया। संगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों ने भी भारी संख्या में इन कार्यक्रमों में भाग लिया। उनकी मांग थी कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिये गठित कल्याणकारी निकायों का बिस्तर गोल न किया जाए और न्यूनतम वेतन के निर्धारण तथा उन्हें लागू करने के लिये समुचित एवं न्यायोचित विधियां अपनाई जाएं। उन्होंने यह मांग भी की कि नियमित रोजगारों में संविदा एवं आकस्मिक श्रम की प्रणाली को समाप्त किया जाए। लम्बे संघर्ष के फलस्वरूप तमिलनाडु सरकार को निर्माण श्रमिकों के लिये 200 रुपये प्रति मास की पेन्शन देने की घोषणा करनी पड़ी किन्तु उसने दूसरे उद्योगों के श्रमिकों के मामले में यह कदम नहीं उठाया। श्रमिकों ने मांग की थी कि कल्याणकारी बोर्ड का पुनर्गठन किया जाए और उसमें सीआइटीयू को अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाए तथा दूसरे उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों के लिये भी पेन्शन योजना शुरू की जाए।

टेलरिंग उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों की राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन 18 मार्च, 2005 को नागरकोयल में किया गया। इस समावेश में 13 जिलों से टेलर भाग लेने के लिये आए थे और उनकी ओर से आंदोलन के कार्यक्रम का निर्धारण किया गया।

इस समीक्षा अवधि में चीनी उद्योग के श्रमिकों द्वारा लगातार हड़ताल की गई जिसे श्रमिक संघों ने संयुक्त रूप से संगठित किया था। हड़ताल की समाप्ति संतोषजनक समझौता हो जाने के बाद हुई।

टेनरी श्रमिकों की ओर से चार दिवसीय राज्यव्यापी हड़ताल की गई। हैंडलूम श्रमिकों ने 2 अप्रैल को राज्यव्यापी प्रदर्शनों का आयोजन किया। वे मांग कर रहे थे कि उन्हें भी बीमा योजना के अन्तर्गत लाया जाए। सहकारिता विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों द्वारा 17 मार्च को चेन्नै में रोजगार सुरक्षा की मांग को लेकर विशाल धरना दिया।

पश्चिम बंगालः भारतीय लौह एवं इस्पात कम्पनी (आइआइएससीओ), बर्नपुर के अधिकारियों तथा श्रमिकों के समावेश का आयोजन 'एइस्को बचाओ समिति' तथा आफिसर्ज़ एसोसिएशन के तत्वावधान में भारती भवन में किया गया। समावेश में सेल में एइस्को के विलय और संयंत्र के आधुनिकीकरण तथा विस्तार के लिये संघर्ष को और तेज करने का फैसला किया गया। कामरेड एम के पन्धे ने इस समावेश को सम्बोधित किया। एइस्को के श्रमिकों द्वारा लगातार संघर्ष चलाए जाने के फलस्वरूप सरकार को अंततः सेल के साथ एइस्को के विलय का निर्णय लेना ही पड़ा।

एनपीएमओ की पहलकदमी पर 17 अप्रैल, 2005 को कोलकाता में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया जिसमें सीआइटीयू की ओर से नेतत्त्वकारी भूमिका निभाई गई। रैली में एक दस सूत्रीय मांग पत्र की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया जिसमें रोजगार गारंटी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, महिलाओं के लिये समान अधिकारों, बीमार इकाईयों के पुनरुद्धार, हड़ताल के अधिकार तथा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों एवं खेतिहर श्रमिकों के लिये सर्वसमावेशी कानून बनाने जैसी मांगे भी शामिल थीं।

सीआइटीयू ने जनता की सभी श्रेणियों की मांगों को लेकर एक 22 सूत्रीय मांग पत्र तैयार किया है और इस मांग पत्र के लिये आंदोलन का एक विस्तृत कार्यक्रम बनाया गया है। यह अभियान एनपीएमओ के झण्डे तले चलाया गया। कार्यक्रम इस प्रकार थाः

1) पूरे राज्य भर में 28 जनवरी को विशाल प्रदर्शन किये गए।

2) सभी जन संगठनों के साथ मिल कर 8 मार्च को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया।

3) 28 मार्च को व्यापक स्तर पर बेरोजगारी विरोधी दिवस मनाया गया।

कार्यक्रम की परिणति कोलकाता में 17 अप्रैल को एक केन्द्रीय रैली के रूप में हुई। जिलों में भी रैलियों का आयोजन भी किया गया।

इस वर्ष 30 मई को अलग–अलग ढंग से सीआइटीयू का स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर रक्त दान शिविर, स्वास्थ्य की जांच शिविर, मश्त्यु के बाद अपने शरीर के अंगों का दान करने की शपथ लेने का शिविर इत्यादि का आयोजन भारी उत्साह के साथ किया गया।

दुर्गापुर तथा उसके आस–पास के इलाकों में स्थापित नये उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों को सेवायोजकों द्वारा कारखाना अधिनियम तथा सभी श्रम कानूनों के उल्लंघन की कार्रवाईयों का सामना करना पड़ रहा था। इसके खिलाफ लगभग एक महीने तक विशाल स्तर पर अभियान चलाया गया। सभी बीस औद्योगिक इकाईयों के श्रमिकों को हड़ताल करने के लिये मजबूर होना पड़ा। अंततः सेवायोजकों को श्रमिकों के साथ समझौता करने के लिये मजबूर होना पड़ा।

जूट उद्योग के सेवायोजक त्रिपक्षीय समझौते का उल्लंघन कर रहे हैं इसके खिलाफ इस उद्योग के श्रमिकों को निरंतर संघर्ष चलाना पड़ा तथा जन लामबंदी करनी पड़ी।

रेलवे के हाकरः रेलवे में काम करने वाले हजारों हाकरों को उत्पीड़न की कार्रवाईयों के खिलाफ तथा कानूनी लायसेंस के लिये व्यापक स्तर पर लामबंद किया जा रहा है। कुछ संसद सदस्यों के साथ उनके एक प्रतिनिधिमण्डल ने रेलवे मंत्री से मुलाकात की थी। आश्वासन दिये जाने पर भी उनकी स्थिति में कोई तबदीली नहीं आई है। बीड़ी तथा चाय उद्योग में उच्चतर वेतनों तथा कानूनी तौर पर देय सेवा लाभों के लिये इन उद्योगों के प्रमुख केन्द्रों में एक दिवसीय हड़ताल की तैयारियां चल रही हैं।

दसियों हजार बीड़ी श्रमिकों की ओर से अपनी दस सूत्रीय मांगों के लिये लगातार हड़ताल की गई; उनकी मांगों में 1000 बीड़ियां बनाने पर 50 रुपये का पारिश्रमिक देने, महंगाई भत्ता, महिलाओं एवं पुरुषों को एक समान वेतन दिये जाने, पहचान पत्र देने तथा मिनी–सिगरेट पर करों में छूट वापस लेने जैसी मांगें भी शामिल हैं। हड़ताल का असर झारखण्ड के समीपवर्ती जिलों में भी देखने को मिला। उन जिलों के श्रमिकों ने भी हड़ताल की इस कार्रवाई में भाग लिया।

उत्तर प्रदेशः असंगठित क्षेत्र के उद्योगों में काम करने वाले दस लाख श्रमिकों तथा तीस लाख मेडिकल रिपर्जेटेटिव्स द्वारा 15 फरवरी, 2005 को राज्यव्यापी हड़ताल की गई। उन्होंने 3500 रुपये प्रति मास न्यूनतम वेतन देने के कानून को लागू करने की मांग की जिसकी सिफारिश सलाहकार समिति द्वारा की गई थी। हड़ताल का नेतृत्व सीआइटीयू, एटक, एचएमएस, बीएमएस, इंटक, एचएमकेपी तथा एआइसीसीटीयू एवं एफएमआरएआइ पर आधारित संयुक्त संघर्ष समिति ने किया था। सेवायोजकों तथा प्रशासन की ओर से धमकियां दिये जाने पर भी चूड़ी, चर्म, इस्पात, कालीन, रबड़, बिस्कुट, पलास्टिक, कैमिकल इंजीनियरिंग एवं दूसरे उद्योगों से जुड़े श्रमिकों ने हड़ताल में भाग लिया।

जे के जूट मिल्स के श्रमिकों ने जे के जूट मिल मजदूर पंचायत (सीटू) के नेतृत्व में जून 2003 से जारी मिल की गैर कानूनी कामबंदी के खिलाफ 29 जनवरी को विशाल प्रदर्शन किया। अतिरिक्त श्रमायुक्त, कानपुर को एक ज्ञापन सौंपा गया। कम्पनी के महाप्रबंधक के कार्यालय के सामने 7 फरवरी को 24 घण्टों के लिये धरना दिया गया। श्रमिकों ने मिल नहीं खुलने की स्थिति में अपना संघर्ष और तेज करने का फैसला किया है।

फिरोजाबाद में कांच की चूड़ियां बनाने वाले हजारों श्रमिक पुलिस दमन, गिरफ्तारियों, स्वयं पर तथा अपने परिजनों पर प्राण घातक हमलों जैसी कार्रवाईयों का सामना करके भी पिछले एक वर्ष से भी अधिक समय से वीरोचित संघर्ष कर रहे हैं। कांच उद्योग क्रांतिकारी मजदूर संघ (सीटू) इस संघर्ष का नेतश्त्व कर रही है। उनकी ओर से प्रतिबंधों को तोड़ कर 30 दिसम्बर, 2004 को एक रैली का आयोजन करके गिरफ्तार श्रमिकों को रिहा करने और श्रम कानूनों को लागू किये जाने की मांग की गई। कांच की चूड़ी बनाने वाले श्रमिकों का आंदोलन उत्तर प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को संगठित करने के मामले में एक उत्साहवर्धक घटना है।

मई दिवस समारोह

प्राप्त समाचारों के अनुसार इस वर्ष सभी राज्यों की राजधानियों, महत्वपूर्ण औद्योगिक केन्द्रों, जिला मुख्यालयों

और अधिकांश मामलों में कारखाना के मुख्य द्वारों पर मई दिवस समारोहों का आयोजन किया गया। इन समारोहों में श्रमिकों एवं श्रमजीवी जनता की पहले से अच्छी भागीदारी रही। सामान्यतया मई दिवस रैलियां तथा जुलूस निकाल कर मनाया गया। इसके अतिरिक्त कुछ केन्द्रों में कन्वेंशनों एवं जन सभाओं का आयोजन भी किया गया। समारोहों में जो नारे लगाए गए वे मुख्य तौर पर श्रम कानूनों को लागू करने, काम के अधिकार, श्रम कानूनों में सुधार लाए जाने के विरुद्ध और भूमण्डलीयकरण के खिलाफ थे। इनके साथ–साथ कुछ दूसरे नारे भी लगाए गए। कुछ राज्यों में और कुछ विशेष केन्द्रों में यह दिवस दूसरे केन्द्रीय श्रमिक संगठनों तथा जन संगठनों के साथ मिल कर संयुक्त रूप से मनाया गया।

सुनामी राहत कार्य तथा राहत कोष

सुनामी की प्राकृतिक आपदा और इसकी विनाशकारी प्रकृति को देखते हुए सीआइटीयू को एक संगठन के रूप में पीड़ितों की सहायता के लिये समय गंवाए बिना आगे आने के लिये प्रेरित किया; सीआइटीयू केन्द्र से लेकर उसकी नीचे की इकाई तक, श्रमिकों द्वारा निजी तौर पर भी उस समय जैसे भी सम्भव हो सका सुनामी की विनाशकारी लीला से पीड़ित लोगों की तन, मन और धन से सहायता की गई। ये सभी कार्य तत्काल हाथ में ले लिये गए। सीआइटीयू के कार्यकर्ताओं द्वारा सबसे पहले राहत कार्यो का संचालन किया, उन्होंने सुनामी से प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाने के काम में दिन रात एक कर दिया। जो बच गए उनकी सहायता के लिये हमारे कार्यकर्ता सदा तत्पर दिखाई दिये। इस प्रलयंकारी विनाशलीला ने तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश इत्यादि राज्यों में अपना असर दिखाया। अण्डेमान की समस्या कहीं अधिक विकराल थी और वहां राहत कार्य करना भी उतना ही कठिन था। सभी स्थानों पर सीधे तौर पर अथवा मालिकों अथवा दूसरे संगठनों के साथ मिल कर अथवा विशेष राहत समितियों का गठन करके फण्ड इकट्ठा किया गया। कुछ धन अन्तर्राष्ट्रीय भ्रातृ संगठनों की ओर से भी दिया गया। प्राप्त समाचारों के अनुसार जन साधारण तथा अधिकारियों की ओर से सीआइटीयू द्वारा निभाई गई भूमिका को सराहा गया है।

सीआइटीयू केन्द्र ने विशेष सुनामी राहत कोष बना कर उसमें धन देने का आह्वान किया था। सीआइटीयू यूनियनों की ओर से विपुल धन राशि एकत्रित की गई। यह राशि पूरे देश भर में एकत्रित की गई थी। यूनियनों की ओर से यह राशि सीआइटीयू केन्द्र अथवा सीधे सुनामी प्रभावित राज्यों को भेज दी गई थी। आज की तारीक तक विभिन्न राज्य समितियों/इकाईयों की ओर से सुनामी पीड़ितों के लिये सीआइटीयू के केन्द्रीय राहत कोष में 49,33,418 रुपये की राशि प्राप्त की जा चुकी थी। एकत्रित कोष का प्रभावशाली ढंग से उपयोग हो इसके लिये हमने प्रभावित क्षेत्रों में समुचित ढंग से पुनर्निमाण के कार्य शुरू करने के लिये पहलकदमी की है।

फैडरेशनें

आल इंडिया फैडरेशन आफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एण्ड हैल्पर्स

सीआइटीयू कार्य समिति की पिछली बैठक के बाद एआइएफएडब्ल्यूएच की कार्य समिति की बैठक 8–9 जनवरी, 2005 को दिल्ली में सम्पन्न हुई। कार्य समिति ने आइसीडीएस को नियमित करने किये जाने की मांग को लोकप्रिय बनाने के लिये वर्तमान में जारी अभियान की समीक्षा की। कन्वेंशनों का आयोजन करके इस अभियान को और तेज करने का निर्णण लिया गया; प्रस्तावित कन्वेंशनों में इस योजना से लाभान्वित होने वाले लोगों को भी शामिल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अभियान की मांगों के समर्थन में लाभान्वित होने वाले लोगों तथा जन साधारण के बीच जा कर हस्ताक्षर अभियान चलाने का फैसला भी किया गया। हमारी अपेक्षा है कि कम से कम एक करोड़ हस्ताक्षर करा लिये जाएंगे। लगभग 20 राज्यों में इस योजना से लाभान्वित होने वाले लोगों से हस्ताक्षर कराए गए हैं। अनेक राज्य समितियों विशेष तौर पर पश्चिम बंगाल तथा असम ने हस्ताक्षर एकत्रित करने के मामले में सराहनीय प्रयास किये हैं। किन्तु दुर्भाग्यवश कुछ राज्य समितियों की ओर से इस काम को उचित महत्व नहीं दिया गया। यद्यपि केरल में लाखों लोगों के हस्ताक्षर कराए जाने की सूचना मिली है किन्तु अभी तक कुछ हजार हस्ताक्षर ही केन्द्र के पास पहुंचे हैं। अब तक लगभग 70 लाख ह्स्ताक्षर अखिल भारतीय केन्द्र में पहुंचे हैं। किन्तु महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय ने इस हस्ताक्षरों को स्थान की कमी का रोना रोकर लेने से इन्कार

कर दिया है। फैडरेशन ने इसके खिलाफ मानव संसाधन मंत्री के पास शिकायत की है। सभी राज्य एवं परियोजना समितियों से इसके खिलाफ तारें भेजने के लिये कहा गया है। परियोजना समितियों से कहा गया है कि वे स्वयं अपनी सहायता करने वाले समूहों अर्थात् सेल्फ हैल्प ग्रुप्स और मदर्स समितियों को भी विरोध की तारें भेजें। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने भी अपनी समितियों से जहां तक सम्भव हो सके आंगनवाड़ी यूनियनों की सहायता करने के लिये कहा है ताकि उन्हें तारें भेजने में सहायता मिल सके।

आइसीडीएस को नियमित करने की मांग को लेकर 26 अप्रैल, 2005 को नयी दिल्ली में एक विशाल कन्वेंशन का आयोजन किया गया। पांच हजार से अधिक आंगनवाड़ी महिलाओं ने इस कन्वेंशन में भाग लिया। योजना आयोग की सदस्या सय्यदा हमीद, प्रख्यात अर्थ शास्त्री जयति घोष ने भी अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति, अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन, अखिल भारतीय किसान सभा तथा एसएफआइ के नेताओं के साथ मिल कर इस कन्वेंशन में भाग लिया। इस कन्वेंशन से हमारे कार्यकर्ताओं तथा सदस्यों में नये जोश एवं उत्साह का संचार हुआ है। अगले दिन मानव संसाधन मंत्री को एक ज्ञापन भेंट किया गया।

अपेक्षा थी कि वर्ष 2004 में फैडरेशन की सदस्य संख्या 2 लाख से अधिक हो जाएगी। कार्य समिति ने वर्ष 2005 के लिये सदस्यता का कोटा 3,11,350 निश्चित किया है। आल इंडिया फैडरेशन आफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एण्ड हैल्पर्स के पांचवें अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2004 की सदस्य संख्या के आधार पर 8–11 नवम्बर, 2005 को बंगलौर में किया जाएगा। इस सम्मेलन में लगभग पांच सौ प्रतिनिधियों के भाग लिये जाने की सम्भावना है। अखिल भारतीय सम्मेलन से पूर्व अब तक की सदस्य संख्या के आधार पर सेक्टर, परियोजना, जिला तथा राज्यवार सम्मेलनों का आयोजन करने का फैसला किया गया है। बंगलौर में 13 जून, 2005 को स्वागत समिति का गठन कर दिया गया।

कामकाजी महिलाएं

कामकाजी महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति की बैठक सीआइटीयू की अगरतला कार्य समिति की बैठक से पहले नवम्बर में हुई थी। बैठक में कामकाजी महिलाओं की 13 सूत्रीय मांगों को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाने का फैसला किया गया था और इकट्ठे किये गए हस्ताक्षरों से युक्त ज्ञापन 8 मार्च को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राज्यों के राज्यपालों को भेंट करने का निश्चय हुआ था। यह फैसला भी किया गया था कि प्राथमिकता वाले उद्योगों एवं सेक्टर्स में गश्ह आधारित काम धंधों में लगे श्रमिकों के लिये कक्षाओं का आयोजन किया जाए और उनकी समस्याओं की ओर सरकार एवं समाज का ध्यान केन्द्रित करने के लिये पत्रकार सम्मेलन किये जाएं। यद्यपि कामकाजी महिलाओं की राज्य समन्वय समितियों तथा सीआइटीयू से सम्बद्ध यूनियनों ने अलग–अलग तरह की गतिविधियां चलाई हैं जैसे बैठकें करना, गोल मेज बैठकों का आयोजन करना, धरने देना, प्रदर्शन करना इत्यादि और अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राज्यों के राज्यपालों को ज्ञापन भेंट किये गए हैं। किन्तु गृह आधारित काम धंधों में लगे श्रमिकों के लिये बहुत अधिक नहीं किया जा सका। सीआइटीयू की राज्य समितियों तथा राज्यों में कामकाजी महिलाओं की समन्वय समितियों ने गृह आधारित काम धंधों में लगे श्रमिकों को संगठित करने के काम को गम्भीरता से नहीं लिया है; इससे यही संकेत मिलता है; यद्यपि हमने इस ओर गम्भीरता से ध्यान देने का फैसला किया था।

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सीआइटीयू केन्द्र में एक बैठक का आयोजन किया गया। चेन्नै, तमिलनाडु में राज भवन के समीप सभा की गई जिसमें अलग–अलग उद्योगों में काम करने वाली हजारों कामकाजी महिलाओं ने भाग लिया। बाद में हजारों लोगों के हस्ताक्षरों से युक्त एक ज्ञापन राज्यपाल को भेंट किया गया। छत्तीसगढ़ में बीड़ी उद्योग तथा मण्डियों में काम करने वाली सैंकड़ों कामकाजी महिलाओं की ओर से धमतरी में आयोजित एक धरने में भाग लिया गया। पश्चिम बंगाल में बिजली उद्योग में सक्रिय यूनियनों तथा एसोसिएशनों में काम करने वाली 200 से अधिक कामकाजी महिलाओं ने इस अवसर पर आयोजित एक संगोष्ठी में भाग लिया। बिहार में, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के साथ मिल कर कामकाजी महिलाओं की राज्य समन्वय समिति द्वारा आयोजित एक धरने में सैंकड़ों कामकाजी महिलाओं ने भाग लिया। यह धरना कारगिल चौक, पटना में दिया गया था। सैंकड़ों हस्ताक्षरों से युक्त एक ज्ञापन राज्यपाल को भेंट किया गया। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र

इत्यादि राज्यों में परिवहन श्रमिक संघ जैसी हमारी यूनियनों और राज्य तथा जिला स्तरीय कामकाजी महिलाओं की समन्वय समितियों की ओर से भी अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया।

इस वर्ष विमल रणदिवे स्मारक व्याख्यान 'बेरोजगारी तथा भूमण्डलीयकरण के युग में महिलाएं' विषय पर कराने का फैसला किया गया था। प्रख्यात अर्थशास्त्री उत्सा पटनायक ने सीआइटीयू केन्द्र में आयोजित एक बैठक में 'भूमण्डलीयकरण के युग में महिलाएं, बेरोजगारी तथा दरिद्रता' विषय पर व्याख्यान दिया। राज्यों से हमें इस सम्बन्ध में कोई समाचार नहीं मिला है।

'द वायस आफ वर्किंग विमन' की प्रसार संख्या लम्बे समय से 3,500 पर निश्चल बनी हुई है। अब यह गिरावट के रुझान को दर्शाने लगी है क्योंकि अधिकतर इसके शुल्क का नवीकरण नहीं कराया जाता। जिन साथियों ने पहले अपना चंदा जमा कराया था, उन्हें उसका नवीकरण कराने के लिये और पहलकदमी करनी पड़ेगी। राज्यों की समन्वय समितियां जो अनेक राज्यों में कार्यालयों में काम करने वाली मध्यम श्रेणी की महिलाओं पर आधारित हैं, को इसकी ग्राहक संख्या बढ़ाने के लिये और अधिक पहलकदमी करनी चाहिये।

'द वायस आफ वर्किंग विमन' की एक प्रति का मूल्य 5 रुपये है और इसका वार्षिक चनदा 40 रुपये है। वार्षिक चन्दा 40 रुपये से बढ़ा कर 50 रुपये कर देने और इसकी पश्ठ संख्या जो 28 से कम करके 24 कर दी गई थी, को फिर से 28 कर देने का प्रस्ताव है। एक प्रति का मूल्य जस का तस रहेगा।

हिन्दी की त्रैमासिक पत्रिका की प्रकाशन संख्या लगभग 2,000 है। इसे अधिकतर आंगनवाड़ी कर्मचारियों के बीच वितरित किया जाता है। सीआइटीयू की राज्य समितियों तथा हिन्दी भाषी राज्यों में कामकाजी महिलाओं की राज्य समन्वय समितियों को कामकाजी महिलाओं की दूसरी श्रेणियों में भी इसकी प्रसार संख्या को बढ़ाने के लिये पहलकदमियां करनी चाहियें।

सीमेंट उद्योगः मांगों का निपटारा

सीमेंट उद्योग में राष्ट्रीय स्तर पर वेतन समझौते 1992, 1996 तथा 2004 में हुए थे। पिछले समझौते की अवधि 31 मार्च, 2004 को समाप्त हो गई थी। एटक, बीएमएस, सीआइटीयू तथा इंटक ने एक साथ मिल कर समझौता वार्ताओं में भाग लिया था और समस्या का निपटारा किया था।

एटक, बीएमएस, सीआइटीयू, एचएमएस तथा इंटक ने राष्ट्रीय स्तर पर एक और वेतन समझौता करने के लिये दिनांक 1 मार्च, 2004 को सांझा मांग पत्र दिया था।

एसीसी में पश्थक इकाई वार समझौता करने की परिपाटी है। वर्ष 2004 में जब पिछला समझौता हुआ था, तब उद्योग वार मांगों का निपटारा चार वर्ष की अवधि के लिये हुआ था जबकि एसीसी समझौता पांच वर्षों की अवधि के लिये था। सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (सीएमए) ने पिछले समझौते की अवधि एक वर्ष के लिये बढ़ा देने का सुझाव दिया था ताकि एसीसी समझौते के अनुरूप इस समझौते की अवधि निश्चित की जा सके। पांचों केन्द्रीय श्रमिक संगठनों ने इस सुझाव को रद्द कर दिया था और उन्होंने यथाशीघ्र समझौता वार्ता शुरू करने और उसके साथ-साथ अंतरिम राहत देने की मांग भी की थी।

सीमेंट श्रमिकों के अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन 19 सितम्बर, 2004 को नयी दिल्ली में किया गया था। उसी सम्मेलन में हड़ताल की सूचना देने का फैसला किया गया था। सीएलसी ने हस्तक्षेप किया और सभी पक्षों को द्विपक्षीय वार्ता शुरू करने का परामर्श दिया। द्विपक्षीय वार्ता नवम्बर/दिसम्बर 2004 में हुई; उसमें यह सहमति बनी कि सांझा मांग पत्र 1-4-2005 को प्रभावी होगा और 1-4-2004 तथा 31-3-2005 के बीच की अवधि के लिये 2580 रुपये की एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाएगा; इसे उपस्थिति से जोड़ा जाएगा। उसके बाद भी वार्ताओं के कई दौर चले तब जाकर 28 अप्रैल, 2005 को सीएलसी के सामने उद्योग वार समझौता हो सका। समझौते के अन्तर्गत 1550 रुपये के कुल लाभ दिये जाने थे; उनमें से 400 रुपये की राशि मूल वेतनों में विलीन कर दी गई। समझौता 31-3-2010 तक लागू रहेगा।

यह एक संयुक्त कार्रवाई है; इंटक, एटक, बीएमएस तथा एचएमएस के साथ मिल कर वर्ष 1992 से ही सीआइटीयू इसमें शामिल रहा है। इस तरह की संयुक्त कार्रवाई में अनेक दबाव तो विरासत में ही मिले थे; यह स्पष्ट ही है। इस प्रकार की स्थिति में हम एक ऐसा समझौता कर सकते हैं जो भले ही अधिकांश लोगों को स्वीकार्य न हो किन्तु कम से कम अस्वीकार्य भी न हो। सीआइटीयू सचिवमण्डल ने इस विशेष प्रकार की स्थिति को समझ कर अनुभव किया था कि राष्ट्रीय स्तर पर समझौता वार्ता की प्रक्रिया को जारी रखना देश में सीमेंट उद्योग के श्रमिकों के विशाल बहुसंख्या के हित में होगा। अन्यथा, इस स्थिति का परिणाम सीएमए के रूप में निकलेगा; स्वयं राष्ट्रीय स्तर की समझौता वार्ता की प्रक्रिया रुक जाएगी और इसके चलते इकाई स्तर पर वेतन समझौते होने लगेंगे। इस प्रक्रिया में एसीसी के मूल ढांचे के भीतर यह समझौता करने में सफलता मिली है; जो वर्ष 1992 से ही राष्ट्रीय स्तर के समझौतों से बाहर रही थी।

राष्ट्रीय स्तर पर वेतनों का निर्धारण होने के बावजूद सीमेंट उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों की बड़ी संख्या को समझौते का लाभ नहीं मिलता। समझौते के अन्तर्गत केवल स्थायी श्रमिक ही लाभ हासिल करने के पात्र होते हैं। कुछ इकाईयों में अस्थायी श्रमिकों को दैनिक वेतन दरों पर पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। अधिकांश इकाईयों में बहुत सारा काम संविदा श्रमिकों द्वारा किया जाता है; ये श्रमिक ठेकेदारों के अन्तर्गत काम करते हैं। उन्हें समझौते के अन्तर्गत देय वेतनों से कहीं कम वेतन दिये जाते हैं।

कुछेक पाकिटों को छोड़ कर सीमेंट उद्योग की विभिन्न इकाईयों में हमारी उपस्थिति उल्लेखनीय नहीं है। इसलिये जरूरी हो जाता है कि हमने उद्योग स्तर की वेतन वार्ताओं में भाग लेकर जो उत्तोलन–शक्ति (leverage) हासिल की है उसका उपयोग हम समुचित ढंग से इस क्षेत्र में अपनी सदस्य संख्या को बढ़ाने तथा अपनी सांगठनिक शक्ति को और मजबूत बनाने के लिये करें। इसलिये आवश्यक हो जाता है कि सीआइटीयू तथा उसकी राज्य समितियां उपयुक्त कार्यक्रमों का निर्धारण करें।

आल इंडिया एफसीआइ मजदूर फैडरेशन

आल इंडिया एफसीआइ मजदूर फैडरेशन पिछले कुछ समय से काम नहीं कर रही है। सीआइटीयू केन्द्र की ओर से भारतीय खाद्य निगम (एफसीआइ) के श्रमिकों के बीच अपनी गतिविधियों तथा काम को फिर से चलाने के लिये कुछ पहलकदमियां की गई हैं। एफसीआइ में सक्रिय यूनियनों में काम करने वाले कुछ प्रमुख साथियों की बैठक बुलाई गई। पहले कदम के रूप में फैडरेशन की कार्य समिति की एक बैठक 15 फरवरी, 2005 को सीआइटीयू के केन्द्रीय कार्यालय में बुलाई गई जिसमें सीआइटीयू के अध्यक्ष तथा महासचिव ने भी भाग लिया था।

बैठक में 29–30 मई, 2005 को चण्डीगढ़ में एफसीआइ यूनियनों तथा श्रमिकों के अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। क्योंकि फैडरेशन के महासचिव लम्बे समय से अस्वस्थ्य चले आ रहे हैं इसलिये पश्चिम बंगाल के कामरेड अशीम बाला को सम्मेलन के आयोजन के लिये आवश्यक कदम उठाने का अधिकार दिया गया। पंजाब राज्य समिति की ओर से कुछ विशेष कठिनाईया अनुभव किये जाने के कारण सम्मेलन की तिथियां स्थगित कर दी गई।

सीआइटीयू केन्द्र की ओर से सीआइटीयू की राज्य समितियों को इस सम्बन्ध में उपयुक्त पहलकदमियां करने का अनुरोध किया गया था और उनसे एफसीआइ में व्याप्त स्थिति तथा प्रत्येक राज्य में सक्रिय यूनियनों एवं श्रमिकों के बीच हमारे सम्पर्कों के बारे में विस्तृत सूचना भेजने के लिये कहा गया था। किन्तु राज्य समितियों की ओर से भेजा गया उत्तर संतोषजनक नहीं था।

आल इंडिया एफसीआइ मजदूर फैडरेशन का दूसरा सम्मेलन 10–11 फरवरी, 2005 को चण्डीगढ़ में सम्पन्न हुआ। सीआइटीयू केन्द्र की ओर से सीआइटीयू के महासचिव कामरेड चित्तब्रत मजुमदार तथा सचिव कामरेड डब्ल्यू आर वरद राजन ने इस सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन में फैडरेशन का संविधान पारित किया गया और कार्य समिति का चुनाव किया गया; इंटक के एच पी सिंह अध्यक्ष, रघुनाथ सिंह कार्यकारी अध्यक्ष तथा अशीम बाला महासचिव चुने गए। भारी वर्षा होने पर भी चण्डीगढ़ में एफसीआइ के क्षेत्रीय कार्यालय के सामने विशाल जन सभा का आयोजन किया गया। सम्मेलन ने 17 अगस्त, 2005 को नयी दिल्ली में संसद भवन के सामने विशाल धरना

देने का आह्वान किया है।

एफसीआइ के अनेक डिपो बंद करने तथा मकैंजी रिपोर्ट की सिफारिश पर श्रमिकों की संख्या में कमी लाने के लिये सरकार द्वारा की जा रही कोशिशों और देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने तथा पूरे देश में इसका प्रसार किये जाने की जरूरत को देखते हुए हमारे लिये एफसीआइ में फैडरेशन की गतिविधियों में कई गुणा वृद्धि करना आवश्यक हो जाता है।

कोयला उद्योग में वेतन समझौता

कोयला उद्योग के लिये संयुक्त द्विपक्षीय समिति में चल रही वेतन वार्ताओं में व्यावधान पैदा हो जाने के कारण इंटक, एटक, एचएमएस, बीएमएस तथा सीआइटीयू से सम्बद्ध पांचों फैडरेशनों को 18 जुलाई, 2005 से एक सप्ताह के लिये हड़ताल का आह्वान करने के लिये मजबूर होना पड़ गया। 9–10 जुलाई, 2005 को सम्पन्न लम्बी वार्ता के बाद आखिर यह व्यावधान समाप्त हो गया।

उद्योग में समझौता हो गया जिसके परिणामस्वरूप कोयला उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों को 15 प्रतिशत अंतरिम राहत जमा 300 रुपये अथवा 1185 रुपये जो भी अधिक होगा, के न्यूनतम गारंटीशुदा लाभ मिलेंगे। पिछली बकाया राशियों के भुगतान पर यह सहमति हुई है कि श्रमिकों को समझौते के लाभ मिलेंगे। भुगतान किस तरह किया जाएगा; इसका फैसला बीसीसीएल तथा ईसीएल के पुनरुद्धार पैकेज को देखते हुए संयुक्त रूप से किया जाएगा।

सीआइटीयू ने एकता का शानदार प्रदर्शन करने तथा संघर्ष में दृढ़ता दिखाने के लिये कोयला श्रमिकों को बधाई दी है। इस संघर्ष की परिणति वेतन समझौते के सफल निष्पादन के रूप में हुई है।

कोयला उद्योग में सक्रिय सीआइटीयू नेतश्त्व ने संघर्ष एवं वार्ताओं को चलाने में निर्णायक भूमिका का निर्वहन किया है। तथापि, संगठन को मजबूत बनाने का काम तथा कोयला श्रमिकों की विशाल श्रेणियों में सीआइटीयू के बढ़ते प्रभाव को सांगठनिक शक्ति के रूप में बदलने के काम की ओर तत्काल ध्यान दिये जाने की जरूरत है।

अन्तर्राष्ट्रीय

सीआइटीयू के राष्ट्रीय सचिव कामरेड तपन सेन ने जून 2005 में जिनेवा में आयोजित आइएलओ सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने पेरिस में आयल इंटरनेशनल की पहलकदमी पर आयोजित कोर ग्रुप की बैठक में भी भाग लिया।

सीआइटीयू के महासचिव कामरेड चित्तब्रत मजुमदार के नेतश्त्व में एक 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल ने 26 जून – 1 जुलाई तक बैंकाक में सम्पन्न सिगटुर (साउदर्न इनिशिएटिव आन

ग्लोबलाइजेशन एण्ड ट्रेड यूनियन राईट) की सातवीं कांग्रेस में भाग लिया। कांग्रेस में फैसला किया गया कि जिस समय पुसान (दक्षिण कोरिया) में आइएलओ का क्षेत्रीय सम्मेलन हो रहा होगा उसी समय अर्थात् इस वर्ष 14 अक्टूबर को श्रमिक अधिकार दिवस मनाया जाएगा। यौन शोषण तथा ट्रेड यूनियन मामलों पर आधे दिन के सत्र में विचार किया गया। कांग्रेस में भाग लेने वाले सभी श्रमिक संघों को आह्वान किया गया कि वे विशेष तौर पर 8 मार्च को कामकाजी महिलाओं पर अन्तर्राष्ट्रीय दिवस मनाएं।

सीआइटीयू की सचिव हेमलता ने फुकुट (थाईलैंड) में 11 – 13 जुलाई, 2005 को आइएलओ द्वारा आयोजित बाल मजदूरी पर क्षेत्रीय त्रिपक्षीय कार्यशाला में भाग लिया। इस कार्यशाला के आयोजन का प्रमुख उद्देश्य आइएलओ की कन्वेंशन संख्या 182 के अनुसार बाल मजदूरों के लिये खतरनाक कामों की सूची तैयार करने में श्रमिकों तथा सेवायोजकों की बेहतर सहभागिता को सुनिश्चित बनाने के लिये आवश्यक कदमों पर विचार करना था और पारस्परिक विचार विमर्श के लिये नैटवर्क का निर्माण करना था।

निर्माण श्रमिकों के अखिल भारतीय महासंघ के अध्यक्ष आर सिंगारावेलु तथा उपाध्यक्ष टी के अचुथान ने हवाना में 19–20 मई, 2005 को आयोजित क्यूबन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियन की नौवीं कांग्रेस में भाग लिया।